वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110114
वेबसाइट : **www.fcamin.nic.in, www.consumeraffairs.nic.in**
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नं. : **1800-11-4000**

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय न.	विषय	पेज न.
1.	I	कार्य तथा संगठनात्मक ढांचा	1-6
2.	II	कार्यकारी सार	7-22
3.	III	सामान्य मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता	23-46
4.	IV	आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन	47-50
5.	V	उपभोक्ता संरक्षण	51-68
6.	VI	उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान	69-76
7.	VII	वायदा बाजार आयोग	77-118
8.	VIII	भारतीय मानक ब्यूरो	119-146
9.	IX	वाट तथा माप	147-164
10.	X	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	165-196
11.	XI	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	197-198
12.	XII	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	199-200
13.	XIII	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	201-202
14.	XIV	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	203-206
15.	XV	समेकित वित्त प्रभाग	207-212
16	XVI	अपंग व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीमें	213-214

अध्याय - I

कार्य तथा संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रो0 के.वी. थॉमस ने 1 जून, 2009 से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य् मंत्री के पद का कार्यभार संभाला और 19 जनवरी, 2011 से उनको विभाग का स्वतन्त्र प्रभार सौंपा गया।

1.2 श्री राजीव अग्रवाल, 31.7.2009 (अपराह्न) से सचिव (उपभोक्ता) मामले के पद पर बने रहे। एक अपर सचिव और एक वरिष्ठ आर्थिक सला. हकार, जो वर्तमान में प्रधान सलाहकार हैं, सचिव (उपभोक्ता मामले) की सहायता करते हैं।

1.3 इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:–

(i) आन्तरिक व्यापार

(ii) भावी सौदा व्यापार का नियन्त्रणः अग्रिम सं. विदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)

(iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से सम्बन्धित कार्य जिनके बारे में किसी दूसरे मंत्रालय/विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है)

(iv) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7)

(v) पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन।

(vi) विधिक माप–विज्ञान में प्रशिक्षण।

(vii) सम्प्रतीक तथा नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952

(viii) बाट और माप के मानक। बाट एवं माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985

(ix) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986.

(x) जैव ईंधन के अंतिम उपयोग के लिए विनिर्देशन, मानक और संहिताएं निर्धारित करना तथा गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करना।

(xi) वायदा बाजार आयोग।

(xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां।

(xiii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986.

(xiv) मूल्यों की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

(xv) राष्ट्रीय परीक्षण शाला।

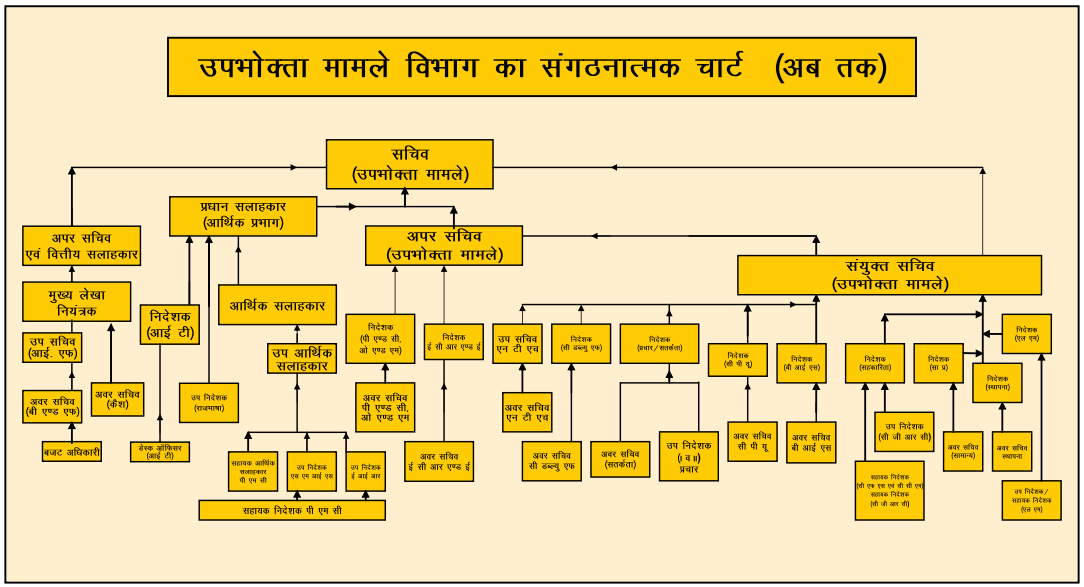

सचिव (उ मा) – श्री राजीव अग्रवाल
प्रधान सलाहकार – श्रीमती गंगा मूर्तिअपर सचिव (उ मा) – श्री पंकज अग्रवाल
संयुक्त सचिव (उ मा) – श्री मनोज परिडा
आर्थिक सलाहकार– डा. के. जी. राधाकृष्णन

उपभोक्ता मामले विभाग का संगठनात्मक चार्ट (अद्यतन स्थिति के अनुसार)					
निदेशक/उपसचिव सर्वश्री		**अवर सचिव सर्वश्री**		**उप निदेशक सर्वश्री**	
1. बृज मोहन	आन्तरिक व्यापार	1. राम जोगेश	आई.एफ.	1. सुश्री ए.प्रतिभा	ए.ई.ए.
2. टी.के. मुरुगन	सी.पी.यू.	2. सुश्री प्रेमा भट्ट	सी.डब्ल्यू.एफ.	2. सुश्री सुमित्रा चौधरी	पी.एम.सी.
3. डॉ ए.के.मिश्रा	सह कारिता,सी.जी.आर.सी.	3. केवल कृष्ण	एन.टी.एच.	3. वाई. एन. खरे	ई.आई.आर.
4. बी.एन.दीक्षित	सहकारिता,सी.जी.आर.सी.	4. किशन पाल	बी.आई.एस.	4. एम.एस. अशोकन	सहकारिता
5. अशोक कुमार जैन	बी.आई.एस., पी.एंड सी.–ओ एंड एम	5. पुमचिनखप गुईते	ई.सी.आर.एंड ई.	5. ए.एस.खान	प्रचार
6. जी.एन.सिंह	ई.सी.आर.एंड ई.,स्थापना	6. अनुराग भल्ला	सामान्य प्रशासन, रोकड़ सतर्कता	6. एस.एस.ठाकुर	प्रचार
7. पी.एम. लाल	सतर्कता, प्रचार	7. सुश्री शैला टाईटस	सी.पी.यू.	7. के.एस. टंगणिया	हिन्दी
8. एस. के. नाग	सी.डब्ल्य.एफ., सामान्य प्रशासन	8. राकेश कुमार	पी.एंड सी., ओ एंड एम		
9. एच. एस. सैनी	आन्तरिक वित्त	9. एम.ए. चौधुरी	स्थापना		
10. ओम प्रकाश	एन.टी.एच.				
11. रमेश चन्द्र (उप आर्थिक सलाहकार)	आर्थिक प्रभाग				

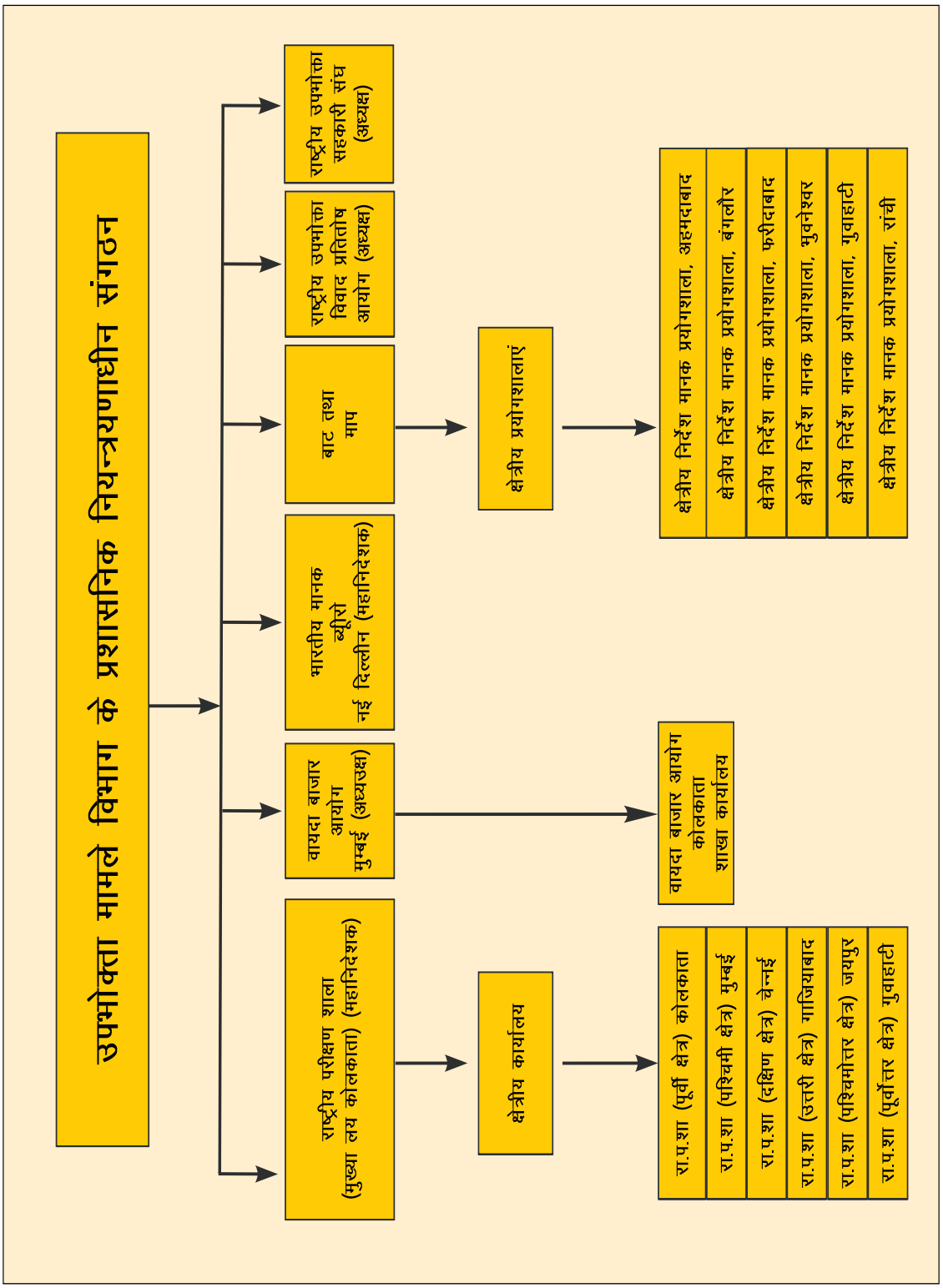
उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन संगठन
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (अध्यक्ष)
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष)
बाट तथा माप
भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्लीन (महानिदेशक)
वायदा बाजार आयोग मुम्बई (अध्यक्ष)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्या लय कोलकाता) (महानिदेशक)
क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं
क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, रांची
वायदा बाजार आयोग कोलकाता शाखा कार्यालय
रा.प.शा (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता
रा.प.शा (पश्चिमी क्षेत्र) मुम्बई
रा.प.शा (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई
रा.प.शा (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद
रा.प.शा (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) जयपुर
रा.प.शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी

नागरिक अधिकार पत्र

1.4 उपभोक्ता मामले विभाग का नागरिक अधिकार पत्र जो उपभोक्ताओं और जनता के व्यापक हित में उपभोक्ता मामले विभाग की नीतियों और प्रतिक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है, विभाग की वेबसाइट www-consumeraffairs-nic-in है।

आम जनता से सम्पर्क रखने वाले सभी संगठनों के लिए सर्वोत्तम ढांचे को अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर. सी.) की सिफारिश, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, के अनुसार इस विभाग ने 'सर्वोत्तम' शिकायत के रूप में नागरिक अधिकार पत्र को आशोधित किया है। अधिकार पत्र के अनुसार सेवाओं की सूची को अद्यतन बनाने और उसके मूल्यांकन के लिए वार्षिक रूप से इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को विभाग की वेबसाइट www-consumeraffairs-nic-in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अधिनियम के तहत जनता को सूचना प्रदान करने हेतु विभिन्न संगठनों/प्रभागों के लिए सम्बन्धित अपीलीय अधिकारियों सहित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। सभी टेंडर, नोटिस तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य निर्णय भी नियमित रूप से इस बेवसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सतर्कता

उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव को उनकी अन्य जिम्मेदारियों के अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी पदनामित किया गया है।

1.6 यह विभाग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, विधिक माप विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई और राष्ट्रीय परीक्षण शाला तथा इसकी कोलकाता, मुम्बई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सतर्कता कार्यों की भी निगरानी करता है। बी.आई.एस. और एन.सी.सी. एफ. में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति इस विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से की जाती है।

1.7 भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया जाता है:–

(क) इस विभाग तथा विभाग के अधीन सभी संगठनों में सतर्कता मामलों के निपटान की बारीकी से निगरानी करना।

(ख) संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों का बारी–बारी से तबादला।

(ग) विशेषरूप से भ्रष्टाचार की सम्भावना वाले क्षेत्रों में प्रभावशाली तरीके से अचानक निरीक्षण करना।

1.8 सतर्कता और भ्रष्टाचार–रोधी उपायों के सम्बन्ध में आवधिक विवरणियां नियमित रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा रही हैं। विभाग तथा विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों के सम्बन्ध में भी सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है।

1.9 इस विभाग और अन्य संगठनों के लम्बित मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है और मामलों के त्वरित निपटान के लिए निदेश दिए जाते हैं। लम्बित पड़े सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या काफी कम हो गई है।

1.10 विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 31 अक्तूबर से 05 नवम्बर, 2011 के बीच सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस अवसर पर 3 नवम्बर, 2011 को "सतर्कता में भागीदारी" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

◆◆◆

जागो ग्राहक जागो

अध्याय - II

कार्यकारी सार

1. आवश्यक वस्तुओं का मूल्य रुझान और उनकी उपलब्धता

1.1 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से निगरानी की गई और वर्ष 2011–12 (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान आपूर्ति में वृद्धि करने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। दालों के सम्बन्ध में नीति तैयार करना और सब्सिडी स्कीम चलाना भी इस विभाग के दायरे में आता है। मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ–साथ दालों की कीमतों को भी मॉनीटर करता है और दालों की कीमतों और उपलब्धता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए समुचित जानकारी प्रदान करता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या को सब्सिडीकृत कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए दालों के सम्बन्ध में एक सब्सिडी स्कीम नवम्बर, 2008 से चलाई जा रही है।

1.2 मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) 22 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोया तेल, पॉम आयॅल, सूरजमुखी का तेल, गुड, आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों की निगरानी करता है। दैनिक आधार पर खुदरा मूल्य और थोक मूल्य राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 49 केन्द्रों से एकत्र किए जाते हैं।

1.3 थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सभी वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति दर दिसम्बर 2010 के 9.45% की तुलना में दिसम्बर 2011 के दौरान 7.47% रही। समीक्षाधीन अवधि (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान इस विभाग द्वारा निगरानी की जा रहीं कुछेक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं, आटा, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, नमक, आलू और टमाटर की कीमतों में कमी का रुख देखा गया जबकि चावल, चना दाल, चीनी, दूध, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, खुली चाय और प्याज की कीमतों में तेजी आई।

1.4 खाद्यान्न : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यानों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के दौरान (धान की सामान्य किस्म के लिए) 1080 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 1285 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुमोदित किया है। 1.12. 2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 276.56 लाख टन और चावल का स्टॉक 270.63 लाख टन था।

1.5 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गए हैं:–

(क) राजकोषीय उपाय

(i) चावल, गेहूं और प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है। रिफाइंड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% कर दिया गया है।

(ii) एन.डी.डी.बी. को शुल्क, दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 50000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और होल मिल्कड पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई।

(iii) चीनी मिलों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी.एल.) के तहत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को भी प्रदान कर दी गई।

(iv) आरम्भ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित करते हुए एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी./पी.ई. सी. और नैफेड को आयात शुल्क मुक्त सफेद/रिफाइन्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। बाद में, केन्द्रीय/राज्य/ सरकारों की अन्य ऐजेन्सियों और निजी व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क–मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

(ख) प्रशासनिक उपाय

(i) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइण्ड चीनी के सम्बन्ध में लेवी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।

(ii) खाद्य तेलों (नारियल तेल और बन आधारित तेल तथा 5 कि.ग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी) दालों (काबुली चना और जैविक दलहन की अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर और मिल्क पाउडर (जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाईटनर और शिशु दुग्ध आहार शामिल हैं) तथा केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर अल्पकाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया।

(iv) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(v) चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, धान और चावल के मामले में समय–समय पर स्टॉक सीमा आदेशों को लागू किया गया।

(vi) जब कभी भी आवश्यकता पड़ी तो प्याज के निर्यात पर अल्पकाल के लिए रोक लगा दी गई। प्याज के निर्यात को प्याज के न्यूतनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.) तन्त्र के माध्यम से बढ़ाया गया।

(vii) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपये प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपये प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपये प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपये प्रति कि.ग्रा.) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को 2002 से कायम रखा गया।

(viii) वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार को निलम्बित कर दिया गया।

(ix) वर्ष 2011–12 के चीनी मौसम के लिए लेवी की अनिवार्यता को 10% कर दिया गया है।

(x) ओ.एम.एस.एस. खुदरा बिक्री स्कीम के तहत 10 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन चावल की मात्रा आबंटित की गई और अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 की

अवधि के लिए 15 लाख टन गेहूं, छोटे व्यापारियों को बिक्री करने सहित थोक बिक्री के लिए आबंटित किया गया।

(xi) 50 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे के निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(xii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 जनवरी, 2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 30.9.2011 तक वितरण हेतु 25 लाख टन खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया है जिसमें गेहूं 8.45 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से और चावल 11.85 रुपये प्रति कि.ग्रा की दर से दिया गया है।

(xiii) इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 20 राज्यों में मासिक ए.पी.एल. आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह, प्रति परिवार और पूर्वोत्तर के चार राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों में प्रति परिवार, प्रति माह 35 कि.ग्रा. हो गया। इन राज्यों में यह जून 2011 से मार्च 2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए उस मात्रा से कम था।

(xiv) माननीय उच्चतम न्यायालय के 14 मई, 2011 के, 150 सबसे गरीब जिलों अथवा अत्यन्त गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को वितरण के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न सुरक्षित रखने के निर्देशों और न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) डी. पी. वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण स्कीम सम्बन्धी केन्द्रीय सतर्कता समिति के सुझाव, के अनुसरण में 13 राज्यों के 74 जिलों के लिए प्रारम्भ में तीन महीनों के लिए जुलाई/अगस्त, 2011 में अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर लगभग 3.87 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया गया।

(xv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर पर 10 रुपये की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण की स्कीम को लागू किया गया।

(xvi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम लागू की गई।

2 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम

2.1 उपभोक्ता आंदोलन, एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है जो खरीदे गए सामान और ली गई सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

2.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) का अधिनियमन उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर, तीन स्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र स्थापित करके उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य ने इस क्षेत्र में अपना अलग कानून बनाया है। इस अधिनियम के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है जो उपभोक्ता मंच के नाम से लोकप्रिय है।

2.3 तीन स्तरीय प्रतितोष तंत्र के शीर्ष पर उपभोक्ता आयोग है, जिसका मुखिया, एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता हैं। इस समय सदस्यों के 11 पद हैं जिसमें से सदस्यों के 2 पद, एक न्यायिक और, एक गैर–न्यायिक पद, राष्ट्रीय आयोग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक अतिरिक्त पीठ की स्थापना करने हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए, सृजित किए गए हैं।

3. उपभोक्ता कूल्याण कोष

3.1 केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए, 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया। इस कोष में वह राशि जमा की जाती है जो विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है। उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन 1992 में किया गया था जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण के लिए उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.2 उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को 1992 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और 1993 में दिशा–निर्देश बनाए गए थे। ऐसी कोई एजेंसी/संगठन जो तीन साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कम्पंनी अधिनियम, 1956 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, ग्राम/मंडल/समिति स्तर की उपभोक्ता सहकारिता, उद्योग, राज्य सरकार आदि उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3.3 वैश्वीकरण से बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्रों का प्रसार हो गया है जहां उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तदनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष दिशा–निर्देशों को 2007 में संशोधित किया गया ताकि वे मौजूदा जरूरतों के अनुकूल हो सकें। अब तक कोष में 192.64 करोड़ रु. की राशि जमा हो गई है और 86.85 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। कोष से 2010–11 में 13.65 करोड़ रु. की राशि और चालू वित्त वर्ष में 31.12.2011 तक 20,71,76,076 रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

4. वायदा बाजार आयोग

वर्ष 2011–12(अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान हुई मुख्य गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

बाजारों का विनियमन

4.1 वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए दिसम्बर, 2011 के अंत तक व्यापार का कुल संचित मूल्य 137.23 लाख करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान यह 82.71 लाख करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 65.92 प्रतिशत की वृद्धि) हुई। वस्तु बाजार के विनियामक के रूप में वायदा बाजार आयोग ने विभिन्न विनियामक और विकासात्मक कदम उठाए, हैं, जो इस प्रकार हैं:–

4.2 वायदा बाजार आयोग द्वारा उठाए गए विनियामक कदम :

4.2.1 निम्नलिखित मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एक्सचेंजों को निर्देश जारी किए : –

1. यूनीक क्लाईंट कोड (विशेष ग्राहक कोड) को अपलोड किए बिना व्यापार नहीं करना।
2. ग्राहक कोड आशोधन सुविधा को प्रतिबंधित करना।
3. ग्राहकों से मार्जिन की वसूली निहायत नकदी रूप में करना।
4. दोषी सदस्यों के बारे में एक्सचेंजों के बीच सूचना का आदान–प्रदान करना।
5. कमोडिटी एक्सचेंजों में ग्राहक खाते को अलग करना।
6. पूर्व वित्त पोषित उपकरणों के संबंध में प्रक्रिया का अनुसरण करना।
7. निवेशक संरक्षण निधि पर निर्देश।
8. ग्राहकों के लिए एक समान के.वाई. सी. एकाउण्ट ओपनिंग डाक्यूमेंट पर दिशा–निर्देश।
9. एक्सचेंज के सदस्यों के निरीक्षण के बारे में एक्सचेंजों को दिशा–निर्देश।

4.2.2. निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता/ पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया :–

(क) सेंट्रल इंडिया कॉमर्शियल एक्सचेंज लि0, ग्वालियर और राजधानी आयल्स एंड आयॅलसीड्स एक्सचेंज लि0, दिल्ली। दोनों की मान्यता और पंजीकरण का रेपसीड और सरसों में संविदा के संबंध में 1 मार्च,2011 से 31 मार्च,2012 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(ख) नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर की मान्यता और पंजीकरण का सोयाबीन, सोयाबीन तेल और सोयामील के संबंध में 1 मार्च, 2011 से 28 फरवरी, 2013 तक और रेपसीड/ सरसों के संबंध में 1 जून, 2011 से 31 मई, 2013 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(ग) ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लि0, कोलकाता की मान्यता और पंजीकरण का जूट के सामानों (हेसियन और टाट) की अग्रिम संविदा के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक और कच्चे जूट (पेस्ता सहित) की अग्रिम संविदा के संबंध में 7 अप्रैल, 2011 से 6 अप्रैल, 2012 तक की अवधि के लिए नवीकरण किया गया।

(घ) बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज, बीकानेर की मान्यता और पंजीकरण का ग्वार गोंद, चना और सरसों में अग्रिम संविदा के संबंध में 1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया। आयोग ने बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज, बीकानेर की ग्वार के संबंध में मान्यता और पंजीकरण का भी 20 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया।

(ड.) मेरठ एग्रो कमोडिटी एक्सचेंज, मेरठ की मान्यता और पंजीकरण का गुड़ के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(च) निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए मंत्रालय को सिफारिश की :–

(1) राजधानी आयल्स एंड आयलसीड्स एक्सचेंज, लि0, दिल्ली को रेपसीड/ सरसों और गुड़ में वायदा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए।

(2) सेंट्रल इंडिया कामर्शियल एक्ससचेंज लि0, ग्वालियर को सरसों में व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए।

(3) चैम्बर्स ऑफ कामर्स, हापुड़ को गुड़ में वायदा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए।

4.3 विकासात्मक गतिविधियां

वर्ष के दौरान शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों में मूल्य प्रसार परियोजना का कार्यान्वयन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न श्रेणी के पणधारियों के साथ बातचीत और बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और कमोडिटी फयूचर्स मार्केट के लिए संगत विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन चालू करना शामिल हैं।

- वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर तक 346 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें किसानों के लिए आयोजित किए गए 117 कार्यक्रम शामिल हैं। आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न मंचों में कमोडिटी बाजार संबंधी चर्चाओं में भाग लिया और देश भर में विभिन्न अवसरों पर इस विषय पर व्याख्यान दिए।
- मूल्य प्रसार परियोजना के पणधारियों के साथ आयोग और पांच नेशनल एक्सचेंजों की 4 जोन–वार बैठकें 20 मई, 2011 को नई दिल्ली में, 27 मई, 2011 को कोलकाता में, 3 जून, 2011 को बेंगलुरू में और 10 जून, 2011 को मुंबई में आयोजित की गई।
- उत्तरी अंचल, पूर्वी अंचल, दक्षिणी अंचल और पश्चिमी अंचल के नेशनल एक्सचेंजों के चुनिंदा सदस्यों की आयोग अधिकारियों और पांच नेशनल एक्सचेंजों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी 4 बैठकें 20 मई, 2011 को नई दिल्ली में, 28 मई, 2011 को कोलकाता में 3 जून, 2011 को बेंगलुरू में और 10 जून, 2011 को मुंबई में आयोजित की गई।
- कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट विद स्पेशल एम्पेसिस ऑन रबड़ पर 9 नवम्बर, 2011 को तिरुअनंतपुरम, केरल में एक सेमिनार आयोजित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री इस सेमिनार के मुख्य अतिथि थे और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने इसकी अध्यक्षता की।
- बाजार के विभिन्न खंडों तथा अन्य पणधारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आयोग ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क किया। वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 41 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- आयोग ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई द्वारा आयोजित आठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी वायदा बाजार आयोग के अधिकारियों को नामित किया।
- आयोग ने कश्मीर और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ग्रीष्मकालीन इनटर्नशिप भी प्रदान किया।
- कृषि उपज विपणन समिति में लगाए गए मूल्य टिकर बोर्डों पर किसानों तथा अन्य पणधारियों को कृषिजन्य वस्तुओं के

स्पॉट और भावी मूल्य उपलब्ध कराने के लि, वायदा बाजार आयोग और नेशनल कमोडिटी, एक्सचेंजों द्वारा मूल्य प्रसार स्कीम को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 157 टिकर बोर्ड लगाए गए। 31 दिसम्बर, 2011 तक देश भर में कुल 925 टिकर बोर्ड लगाए गए।

5. आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन

यह विभाग अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों को भी प्रशासित करता है;

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ई सी एक्ट 1955)

(ख) चोर बाजारी निवारण, एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (पी बी एम एक्ट, 1980)

5.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने तथा उनके समान वितरण और उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि के नियंत्रण हेतु प्रावधान किए, गए हैं। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवश्यक घोषित वस्तुओं के संबंध में उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण तथा व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्र सरकार को भेजते रहे हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान 31.12.2011(11.01.2012 तक अद्यतन) अधिनियम के तहत 173177 छापे मारे गए 4235 लोगों को गिरफ्तार किया गया 4214 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और 29 व्यक्तियों को दोष सिद्ध पाया गया ।

5.2 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रूझान को कम करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। कुछ राज्यों की सरकारों से भी यह मानते हुए कि मूल्यों में आगे और वृद्धि की प्रत्याशा में स्टॉकों, खासतौर पर गेहूं और दालों के स्टॉकों को रोककर रखा जा सकता है, जमाखोरीरोधी प्रचालन शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियों की बहाली के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

5.3 स्थिति की सरकार द्वारा समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से गेहूं और दालों (साबुत और दली हुई) के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखने का निर्णय लिया गया ताकि वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों से संबंधित संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय आदेश संख्या 1373 (अ) जारी किया जिसके आधार पर 15.2.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसैंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स, द मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन्स) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भण्डारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को वस्तुओं अर्थात गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के

जारी होने की तारीख से छः महीनों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए आस्थगित रखा गया था। तथापि, इस आदेश का गेहूं और दालों (साबुत और दली हुई) के राज्य के बाहर के स्थानों को परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा। तत्पश्चात 7.4.2008 के आदेश द्वारा केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों, खा्दय तिलहनों और चावल के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के प्रचालन को 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा था। बाद में 27.8.2008 के आदेश द्वारा इसको धान पर भी लागू किया गया और इसकी अवधि 1.9.2008 से 30.4.2009 तक कर दी गई। इन सभी आदेशों की वैधता को 30.9.2010 तक बढ़ाया गया था। इन आदेशों की वैधता को समय–समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान में ये आदेश दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल और धान के संबंध में 30.9.2010 तक वैध है। इसको बाद में केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2361(अ) तारीख 29.9.2010 के तहत दालों, धान और चावल के संबंध में 30. 9.2011 तक तथा तेलों, एवं तिलहनों के संबंध में 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है। गेहूं को एक वस्तु के रूप में दिनांक 1.4.2009 से आदेशों की परिधि से निकाल लिया गया है। दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में इसको केंद्रीय आदेश सं. का.आ. 654(अ) तारीख 30.3.2011 के तहत 30.9.2012 तक आगे बढ़ाया गया। इसको पुनः दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2227(अ) तारीख 27.9.2011 के तहत 30.9.2012 तक आगे बढ़ाया गया। धान और चावल के संबंध में इसकी वैधता को 27.9. 2011 के केंद्रीय आदेश के तहत 31.10.2011 तक आगे बढ़ाया गया जिसको केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2447(अ) तारीख 28.10.2011 के तहत 30.11.2011 तक और आगे बढ़ाया गया। इस समय सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखण्ड और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह जिन्होंने धान और चावल के संबंध में स्टॉक सीमाओं को जारी रखने के लिए विशेष विकल्प देते हुए अपना अनुरोध भेजा है, के लिए केंद्रीय आदेश सं. का.आ. 2716(अ) तारीख 29.11.2011 के तहत चावल और धान के लिए स्टॉक सीमाएं 30.11.2012 तक अनुमेय हैं।

5.4 सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से प्रतिबंधों को आगे और शिथिल करने और चीनी के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को आदेश के प्रकाशन की तारीख से चार महीने की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस वस्तु की उपलब्धता और मूल्यों का सामना किया जा सके। तदनुसार, इस आशय का एक आदेश सं. का. आ. 649 (अ) तारिक 09.03.2009 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसको बाद में 30.9.2010 तक आगे बढ़ाया गया। इसको बाद में दिनांक 18.12.2009 के केंद्रीय आदेश 30.9.2010 तक और केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2361(अ) तारीख 29.9.2010 के तहत 31.12.2010 तक आगे बढ़ा दिया गया। इन आदेशों की वैधता को केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 3060 (अ) तारीख 30.12. 2010 के तहत 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 654(अ) तारीख 30. 3.2011 के तहत 30.9.2011 तक केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2227(अ) तारीख 27.9.2011 के तहत इसको 30.11.2011 तक बढ़ाया गया। गेहूं और चीनी को क्रमशः 1.4.2009 और 1.12.2011 से इन आदेशों की परिधि से हटा दिया गया है।

5.5 उक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों से इन वस्तुओं के संबंध में मिलरों/उत्पादकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं जैसे व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टॉक सीमा तय करने हेतु नए नियंत्रण आदेश जारी करने अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को बहाल करके इस आदेश को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उनमें निहित/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकार भी दिए गए।

5.6 जहां तक इन आदेशों के कार्यान्वयन का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि केवल 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों ने सभी 5 मदों अथवा इनमें से किसी एक मद के लिए स्टॉक सीमाएं जारी की हैं या फिर केवल लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टॉक घोषणा जारी की है (इन 27 में से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्टॉक सीमा आदेश जारी किए हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टॉक घोषणाएं जारी कर दी हैं)।

5.7 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि में अधिनियम के तहत 271 व्यक्तियों के नजरबंदी के आदेश दिए गए । केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नजरबंदी आदेशों को निरस्त करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

6. भारतीय मानक ब्यूरो

6.1 भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में अस्तित्व में आए भारतीय मानक संस्था की परिसम्पत्ति और दायित्वों को हाथ में लेकर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत, एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 34 शाखा कार्यालय, 5 निरीक्षण कार्यालय और 8 प्रयोगशालाएँ हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो, सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी संपर्क–सूत्र के रूप में कार्य करता है। ब्यूरो ने मानक निर्धारण, उत्पाद और पद्धति प्रमाणन जैसी अपनी प्रमुख गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है।

(क) मानक प्रतिपादन, समीक्षा और अद्यतनीकरण

6.2 भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर समयबद्ध तरीके से आवश्यकता पर आधारित भारतीय मानकों का प्रतिपादन करता है। यह उद्योग और वाणिज्य के सभी क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अपनाया जाना सुकर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ राष्ट्रीय मानकों को सुमेलित भी करता है। अप्रैल – दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान 254 नए और पुनरीक्षित मानक प्रतिपादित किए गए और 67 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया। अब तक कुल 5089 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया जो कि जहां तदनुरूपी आई, एस ओ/आई ई सी मानक विद्यमान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का लगभग 88 प्रतिशत हैं।

मानकों की पांच वर्ष में, एक बार अथवा जब भी आवश्यक हो समीक्षा की जाती है।

अप्रैल – दिसम्बर, 2011 के दौरान 1991 मानकों की समीक्षा की गई।

(ख) उत्पाद और प्रणाली प्रमाणन

(i) उत्पाद प्रमाणन

6.3 भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उत्पाद प्रमाण न स्कीम चलाता है। उत्पादों पर मानक चिह्न (आई, स आई चिह्न के रूप में लोकप्रिय) संगत भारतीय मानकों से उनकी अनुरूपता को दर्शाता है। भारतीय मानक ब्यूरो किसी विनिर्माता को लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व संगत भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद तैयार करने और निरंतर आधार पर परीक्षण करने के लिए अपेक्षित आधार–ढांचे की उपलब्धता और विनिर्माता की क्षमता को सुनिश्चित करता है। उत्पादन स्थल और बाजार से लिए गए नमूनों का भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं/मान्यताप्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है ताकि संगत भारतीय मानक से उत्पाद की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्रमाणन स्कीम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप की है, किन्तु 83 मानक ऐसे हैं जिनको उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।

(क) **आयातित उत्पादों का प्रमाणन** – भारतीय मानक ब्यूरो आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए 1999 से 2 स्कीमें चला रहा है– एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए और दूसरी भारतीय आयातकर्ताओं के लिए। इन स्कीमों के तहत विदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं तथा भारतीय आयातकर्ता देश में आयात किए जा रहे उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 58 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। अप्रैल, 2011– दिसम्बर, 2011 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, थाइलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैण्ड, सोमालिया, स्पेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैण्ड, आइसलैण्ड, चैक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मिश्र, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, टर्की, ताईवान, अफ्रीका आदि जैसे देशों के सीमेंटे, एच डी पी ई पाइप, शिशु फार्मूला, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतल, स्विचगीयर, प्लग, एवं साकेट, मिनिएचर, सर्किट, ब्रैकेट, रेजिडुअल करंट, सर्किट ब्रैकेट, पी वी सी इंसुलेटेड केबल्स, एक्स एल पी इंसुलेटेड केबल, सेफ़टी ऑफ इलैक्ट्रिक आयरन, ड्राई सैल बैटरियां इस्पात एवं इस्पात उत्पाद, सीवन रहित गैस सिलेण्डर, काम्पेक्ट फ्लोरसेंट लैम्प्स, दूध एंव धान्य से बना दूध छुड़ाने के आहार, गैस आयतनमासी, घरेलू पानी के मीटर, वाट आवर मीटर, लकड़ी के उत्पाद, टायर और ट्यूब जैसे उत्पादों के लिए विदेशी विनिर्माता स्कीम के अंतर्गत 56 लाइसेंस जारी किए गए जिससे कुल लाइसेंसों की संख्या 220 हो गई।

(ख) **आभूषण वस्तुओं की हॉलमार्किंग** :– भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्णाभूषणों पर हालमार्किंग अप्रैल 2000 में शुरू की ताकि उपभोक्तओं को स्वर्णआभूषण की शुद्धता या परिशुद्धता पर तीसरी पार्टी आश्वासन प्रदान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत एक जौहरी को उसके आभूषण को हालमार्क

प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से हालमार्क लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जौहरियों के आभूषण की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाले एसेइंग और हाल मार्किंग (ए एंड एच) केन्द्र का भामाब्यूरो द्व ारा यह सुनिश्चित करने के बाद मान्यता प्राप्त होती है कि केंद्र के पास अपेक्षित आधारभूत संरचना है जो उसी के लिए सुरक्षा और रक्षा के अतिरिक्त स्वर्ण और रजत आभूषण वस्तुओं को एसेइंग करने और हाल मार्किंग के लिए है।

(ii) प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो प्रबंधन प्रणालियों के लिए तदनुरूपी मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करता है:–

(क) आई एस/आई, एस ओ 9001 : 2008 के अनुसार गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम;

(ख) आई एस/आइ एस ओ 14001 : 2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम;

(ग) आई एस 15000 : 1998 के अनुसार संकट विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु स्कीम;

(घ) आई एस 18001 : 2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम;

(ड) आई एस/आई एस ओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम;

(च) आई एस : 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम।

(ग) प्रयोगशाला सेवाएं

6.4 भारतीय मानक ब्यूरो ने 1962 में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। बाद में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं – मोहाली, कोलकाता, मुंबई व चैन्नई में एवं तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएं – पटना, बंगलौर, एवं गुवाहाटी में स्थापित की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की स्थाापना का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो के उत्पाद प्रमाणन चिह्न स्कीम की गतिविधियों को सहायता प्रदान करना हैं जिनमें लाइसेंसधारियों/आवेदकों से तथा खुले बाजार से भी नमूने लिए जाते हैं और इन प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, माइक्रोबायोलॉजीकल, खाद्य, विद्युत और यांत्रिक विषयों के क्षेत्र में परीक्षण के लिए सुविधाएं हैं। विद्युत के क्षेत्र में इन–हाउस अंशांकन सुविधाएं केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में उपलब्ध हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला सेवाएं अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के अनुरूप मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, मोहाली, एवं साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 के अनुसार केलीब्रेशन, एवं परीक्षण हेतु नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑन केलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरट्रीज (एन ए बी एल) द्वारा प्रत्यायित किया गया। बंगलूरू और पटना प्रयोगशालाओं को एन ए बी एल से यथाशीघ्र प्रख्योपित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं में उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत नमूनों के परीक्षा के कार्यभार की मात्रा उपलब्ध क्षमता से अधिक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना

स्थापित की है। यह योजना, एक सुप्रलेखित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025:2005) पर आधारित है जो नेशनल स्क्रीनडिटेशन बोर्ड ऑफ केलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरट्रीज द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुरूप है। भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद प्रमाणन के तहत विशिष्ट भारतीय मानक के लिए पूरी परीक्षण सुविधाएं शामिल हैं, जबकि प्रयोगशाला का प्रत्यायन विशिष्ट परीक्षण पैरामीटरों के लिए हैं। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो के लिए अपने उत्पाद प्रमाणन के अनुरूप प्रयोगशालाओं की मान्यता अनिवार्य हो जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त 127 प्रयोगशालाएं, हैं जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थाएं, सरकारी प्रयोगशालाएं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहां भी किया जाता है जहां भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को विकसित करना, भारतीय मानक ब्यूरो में भारी मात्रा में नमूनों को एकत्रित करना आर्थिक रूप से लाभकारी न हों, उपस्कर अस्थाई रूप से प्रचालन में न हों आदि। इसके अलावा, विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्व ारा जरूरत पड़ने पर 24 बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

सेवाओं में सुधार करने और विभिन्न गतिविधियों को सुमेलित करने तथा प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला ने सितम्बर, 2011 में एल आर एस के तहत लेखा परीक्षा कर रहे लेखा परीक्षकों और उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र की प्रयोगशालाओं की बैठक आयोजित की। दोनों बैठकों में अच्छी भागीदारी रही और अन्य क्षेत्रों के लिए भी भविष्य में ऐसी बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

6.5 ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसने दूसरे देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में भी गतिविधियां जारी रखीं।

(i) डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ केंद्रः

भारतीय मानक ब्यूरो ने डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ केन्द्र के रूप में अपनी गतिविधियों को मजबूत किया। डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी करार के तहत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुददों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा गया। विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के संबंध में सूचना को अपलोड किया गया, उसकी प्राथमिकता निर्धारित की गई, उसको अलग–अलग किया गया और देश में बहुत से पणधारियों को वितरित किया गया। मानकों और अनुरूपता आंकलन प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय तथा अन्य देशों के सभी उचित प्रश्नों के जवाब दिए गए।

पणधारियों के डाटाबेस को अपलोड करने के अलावा, पूछताछ केंद्र के आधार–ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यु टी ओ – टी बी टी पूछताछ केंद्र को मजबूत करने के लिए हार्डवेयर तथा जरूरत की चीजों की खरीद के लिए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो को डब्ल्यू टी ओ – टी बी टी, एन ए एम ए इत्यादि से संबंधित बातचीत आदि के बारे में वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामले

मंत्रालय से अनेक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इन दस्ताोवेजों की भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों, मानक निर्धारण सिद्धांतों, अनुरूपता आंकलन, नियामक पद्धतियों आदि के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अनुसार जांच की जाती है और वाणिज्य मंत्रालय/उपभोक्ता मामले मंत्रालय को समुचित फीडबैक/इनपुट्स दिए जाते हैं।

(ड.) भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण

6.6 भारतीय मानक ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी आधार–ढांचे के आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में चल रही भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है : –

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो के निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के लिए साफ्टवेयर अपेक्षा विनिर्देशन दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं:– उत्पाद प्रमाणन, विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम, आयातकर्ता स्कीम, प्रयोगशाला, हॉलमार्किंग एवं प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन। साफ्टवेयर विकास कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से किया जाएगा।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने मई,2011 में भारतीय मानकों को डी वी डी पर लीज पर देना शुरू किया। अब तक सरकार/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 70 से ज्यादा ग्राहक सफलतापूर्वक डी वी डी का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) सूचना प्रौद्योगिक आधार–ढांचे को समृद्ध बनाने के लिए नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के सभी सम्मेलन हॉलों में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो–वी पी एन बैण्डविड्थ के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) सितम्बर, 2011 में आई एस ओ की आम सभा आयोजित की गई। पंजीकरण और सूचना के प्रसार के लिए एक विशिष्ट वेबसाइट सफलतापूर्वक विकसित और अनुरक्षित की गई।

(ड.) नेशनल स्टैण्डर्ड और नियामक डाटाबेस से संबंधित एक वेबसाइड http:www-standardsdata.in विकसित की गई है। इस पोर्टल में मानक विकसित करने वाले संगठनों के 40 वेबसाइटों के संदर्भ दिए गए हैं।

7. बाट तथा माप

7.1 बाट तथा माप कानून किसी सभ्य समाज में वाणिज्यिक सौदों के आधार होते हैं। ऐसे सौदों में माप की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विधि माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) नामक कानून बनाया है। उक्त अधिनियम में मानक का निर्धारण और कार्य तथा मापों के प्रवर्तन को एकीकृत किया गया है।

केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए छः नियम लागू किए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन) नियम बनाए हैं। विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम 1 अप्रैल, 2011 से लागू हो गए हैं।

7.2 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विधिक माप विज्ञान नियम 1 अप्रैल, 2011 से लागू हो गए हैं:–

1. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011
2. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011
3. विधिक माप विज्ञान (मॉडल अनुमोदन) नियम, 2011
4. विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011
5. विधिक माप विज्ञान (संख्याकन) नियम, 2011
6. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्था्न नियम, 2011

7.3 विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय माप विज्ञान संगठन, इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मीटिरियोलॉजी, (ओ आई एम एल) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में नए विनिर्देशनों को अपनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस दिशा में आटोमेटिक रेल वेब्रिजज, डिजिटल टाइम क्लीनिकल थर्मामीटर्स, आटोमेटिक ग्रेवीमीट्रिक फिलिंग इंस्ट्रूंयूमेंट्स, उच्च क्षमता वाली तोलन मशीनों के परीक्षण के लिए मानक बाट, डिसकंटीन्यूअस टोटलाइजिंग आटोमेटिक वेइंग इंस्ट्यूमेंट्स सिंग्मामानोमीटर (ब्लडप्रेशर मापने का उपकरण) सी एन जी गैस डिस्पैन्सेर को ओ आई एम एस की सिफारिशों के आधार पर नियमों में शामिल किया गया है।

8. राष्ट्रीय परीक्षणशाला

8.1 राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अधीन की गई थी और उसके बाद यह विभिन्न इंजीनियरी सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला के रूप में विकसित हो गई है। यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और मानकीकरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सभी मामलों में सक्रिय रूप से संलग्न है। इसने स्वदेशी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन औद्योगिक अनुसंधान और तैयार उत्पादों के विनिर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला अन्य सम्बद्ध सेवाओं के साथ जो प्रमुख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करता है वह है – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा ग्राहक मानक और विनिर्देशन के अनुसार परीक्षण प्रमाण–पत्र जारी करके औषधि, शस्त्र और गोलाबारूद को छोड़कर सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों का परीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय परीक्षण शाला का मुख्यालय कोलकाता में है।

8.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण संस्थान के विकास, चेन्ई और गाजियाबाद, स्टाफ क्वार्टर–सह–गेस्ट हाऊस भवन के द्वितीय चरण के निर्माण, गुवाहाटी में कार्यालय–सह–प्रयोगशाला भवन का निर्माण, रख–रखाव आदि तथा नए अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए 74.84 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र),अलीपुर, कोलकाता में प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टर–सह–गेस्ट हाऊस तथा राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गाजियाबाद के दूसरे चरण का निर्माण/स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला का कार्य निष्पाादन

8.3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान अर्जित राजस्व

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख रुपयों में)
2007–08	667.61
2008–09	869.10
2009–10	1047.82
2010–11	1286.57
2011–12	981.07 दिसम्बर, 2011 तक

8.4 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 17 नवम्बर, 2011 को कोलकाता का दौरा किया। संसदीय स्थाययी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विलास मुत्तेमवार ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिनिधियों के साथ इंजीनियरी उपकरणों के परीक्षण मूल्यांनकन और अंशाकन के लिए सुविधाओं के बारे में चर्चा की। समिति के माननीय अध्यक्ष ने चाहा था कि उपभोक्ताओं और उद्योगों की सुविधा के लिए अन्य राज्यों में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएं। माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला के महानिदेशक को आश्वासन दिया कि यदि नए केंद्र खोलने में कोई कठिनाई हो तो वे समिति से बात करेंगे और समिति निश्चित रूप से इस मामले को सुलझाने में मदद करेगी।

संसदीय स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विलास मुत्तेमवार ने इंजीनियरी उपकरणों के परीक्षण, मूल्यांयकन और अंशांकन सुविधाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा की

9. उपभोक्ता जागरूकता

9.1 उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यथानिर्धारित दिशा–निर्देशों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में शामिल किया गया है। हमारे देश में उपभोक्ता आंदोलन यद्यपि धीरे–धीरे गति पकड़ रहा है किन्तु यह अभी शैशवावस्था में है क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन की सफलता मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में शिक्षित करके देश में पैदा किए गए उपभोक्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। भारत में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है जो लोगों की साक्षरता और सामाजिक जागरूकता पर आधारित हैं। आबादी के विभिन्नग वर्गों विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां उपभोक्ता का अधिक शोषण हो सकता है, उपभोक्ता हित के विभिन्न विषयों पर जिनको विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखा जाता है, 120 करोड़ से अधिक लोगों को शिक्षित करना एक कठिन कार्य है।

ग्यारहवीं योजना के लिए "जागो ग्राहक जागो" के नारे के साथ एक मल्टी–मीडिया प्रचार अभियान चलाने के लिए स्कीम को 409 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

◆◆◆

उपभोक्ता कानून का ज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान

सयानी रानी की सलाह....

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक उपभोक्ता बनें....

शिकायत कौन कर सकता है

* उपभोक्ता
* कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है।
* केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार
* एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता
* उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उसके कानूनी वारिस अथवा प्रतिनिधि

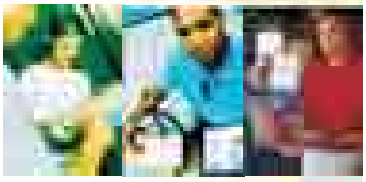

शिकायत किन स्थितियों में

* किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आप को हानि/क्षति हुई है
* यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है
* किराए पर ली गई/उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है।
* यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा तय मूल्य अथवा दोनो पछों द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
* यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत

* सामान से खराबियां हटाना
* सामान को बदलना
* चुकाए गए मूल्य को वापिस देना
* हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति
* सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाना
* पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद–व्यय प्रदान करना
* व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग पर रोक
* जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान के विक्रय पर रोक

अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए ncdrc.nic.in पर लॉग ऑन करें।

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं – सोमवार से शनिवार)

जनहित मे जारी
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

अध्याय - III

सामान्य मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

3.1 वर्ष 2011–12 के दौरान चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से निगरानी की गई और इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने और इनकी कीमतों में स्थिरता लाने के विभिन्न उपाय किए गए। समीक्षाधीन अवधि (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान इस विभाग द्वारा निगरानी की जा रहीं कुछेक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं, आटा, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, आलू और टमाटर की कीमतों में कमी का रुख देखा गया जबकि चावल, चना दाल, चीनी, दूध, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, खुली चाय और प्याज की कीमतों में तेजी आई।

3.2 मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) 22 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दूध, सोया तेल, पॉम आयॅल, सूरजमुखी का तेल, गुड, आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों की निगरानी करता है।

3.3 दैनिक आधार पर खुदरा मूल्य और थोक मूल्य राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 49 केन्द्रों से एकत्र किए जाते हैं।

3.4 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकें जैसे सचिवों की समिति, मूल्यों सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति और उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन उच्च स्तरीय बैठकों में विचार–विमर्श के लिए आवश्यक वस्तुओं की नवीनतम मूल्य स्थिति और उपलब्धता पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की गईं जो चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक, थोक/खुदरा मूल्यों, उत्पादन, खरीद और आयात/निर्यात पर आधारित थीं। आवश्यक वस्तुंओं की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर टिप्पणियां तैयार की गईं और उन्हें प्रचार के लिए साप्ताहिक तौर पर पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार को भेजा गया।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के रूप में मुद्रा स्फीति का रूझान

3.5 वर्ष 2011 (अप्रैल से दिसम्बर, 2011) के दौरान सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति की दर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित उतार–चढ़ाव (अप्रैल/दिसम्बर) जो एक वर्ष पहले की तदनुरूपी अवधि के दौरान 7.4% था की तुलना में 4.8% रहा। दिसम्बर, 2011 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसम्बर, 2010 के 9.45% की तुलना में 7.47% के निम्नतम स्तर पर रही।

खाद्य वस्तुओं के समूह की मुद्रास्फीति दर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित उतार–चढ़ाव

(अप्रैल/दिसम्बर) पिछले वर्ष के 20.6% की तुलना में मात्र 4.0% रहा।

3.6 ***अनुलग्नक–I*** (पृष्ठ सं. 42–43) में दी गई तालिका में दिसम्बर, 2011 और दिसम्बर, 2010 में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर तथा दोनों वर्षों में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तुलनात्मक उतार–चढ़ाव दिखाए गए है।

औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर

3.7 अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई.डब्ल्यू.) और थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

सूचकांक	अप्रैल, 2011	मई, 2011	जून, 2011	जुलाई, 2011	अगस्त, 2011	सितम्बर, 2011	अक्तूबर, 2011	नवम्बर, 2011	दिसम्बर, 2011	2011 औसत अप्रैल, 2011 से
सी.पी.आई	9.41	8.72	8.62	8.43	8.99	10.06	9.39	9.34	उ. न.	9.12
डब्ल्यू.पी.आई.	9.74	9.06	9.51	9.36	9.78	9.72	9.73	9.11	7.47	9.28

नोटः उ.न. = उपलब्ध नहीं

स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तथा श्रम ब्यूहरो

3.8 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्यू सूचकांक दर जो सितम्बर, 2011 में 10. 06 प्रतिशत थी, इस अवधि की सबसे ऊंची दर थी जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर इस अवधि (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान अगस्त 2011 में सबसे अधिक 9.78 प्रतिशत थी।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्यों में वस्तु–वार रूझान

3.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक रही। दालों और खाद्य तेलों के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लिया जाता है। घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अध्याय–II के पैरा 1.5 में दिए गए हैं। अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक प्रमुख महानगरों में 22 आवश्यक वस्तुओं के महीने के अन्त के खुदरा मूल्य **अनुलग्नक–II** में दर्शाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं के वस्तुवार मूल्यों, उत्पादन तथा उपलब्धता की स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है।

चावल

3.10 चालू वर्ष (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) के दौरान अधिकांश केन्द्रों में चावल के खुदरा मूल्यों में स्थिरता से कमी का रुख देखा गया। सभी केन्द्रों में चावल के खुदरा मूल्य अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान 14 से 28 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सीमा में रहे जो कि अप्रैल–दिसम्बर, 2010 के दौरान भी इसी सीमा में ही थे। माह के अन्त में चावल की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

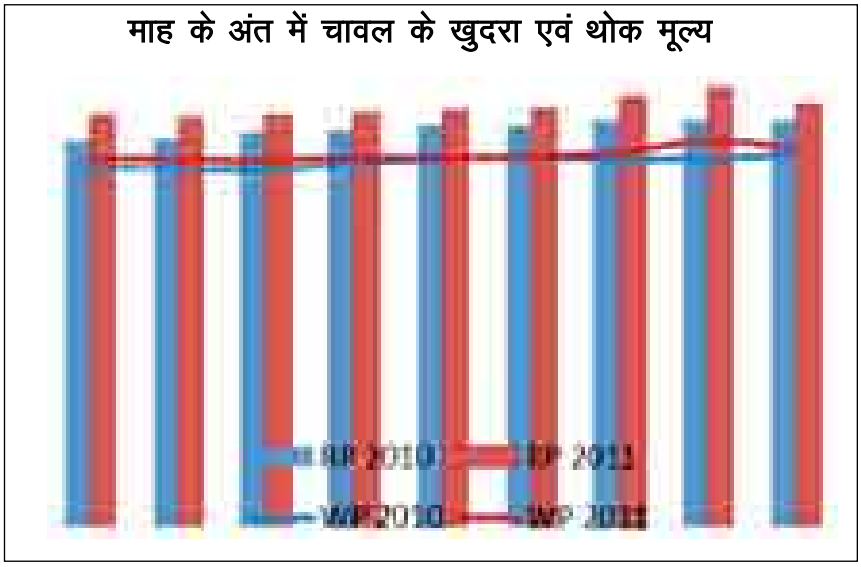

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.11 कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2011–12 के दौरान चावल का अनुमानित खरीफ उत्पादन 87. 10 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष के प्रथम अग्रिम अनुमान 80.41 मिलियन टन की तुलना में अधिक है।

3.12 राज्य ऐजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल में 1.12.2011 को चावल का स्टॉक 27.06 मिलियन टन था। खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के दौरान 13.81 मिलियन टन चावल की अधिप्राप्ति की गई जो वर्ष 2010–11 के दौरान इसी अवधि में की गई चावल की अधि ाप्राप्ति की तुलना में 1.33 मिलियन टन अधिक थी। (एफ.सी.आई. की दिनांक 19.12.2011 की रिपोर्ट)

3.13 वर्ष 2010 तथा 2011 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान चावल की मुद्रास्फीति की दर का रुझान नीचे दिए ग्राफ में दर्शाया गया हैः–

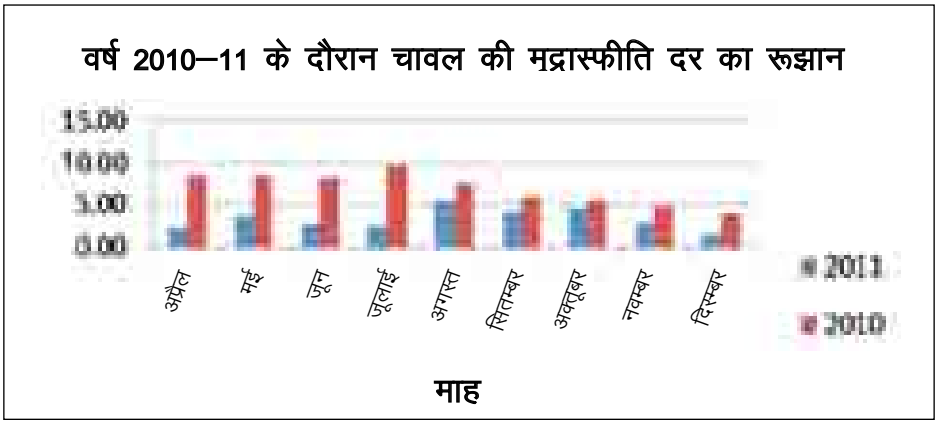

गेहूं

3.14 सभी केन्द्रों में गेहूं के खुदरा मूल्य अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान 11.00 रुपये प्रति किलोग्राम से 24.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान 12.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 25.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में रहे। माह के अन्त में गेहूं की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

माह के अंत में गेहूं के खुदरा एवं थोक मूल्य

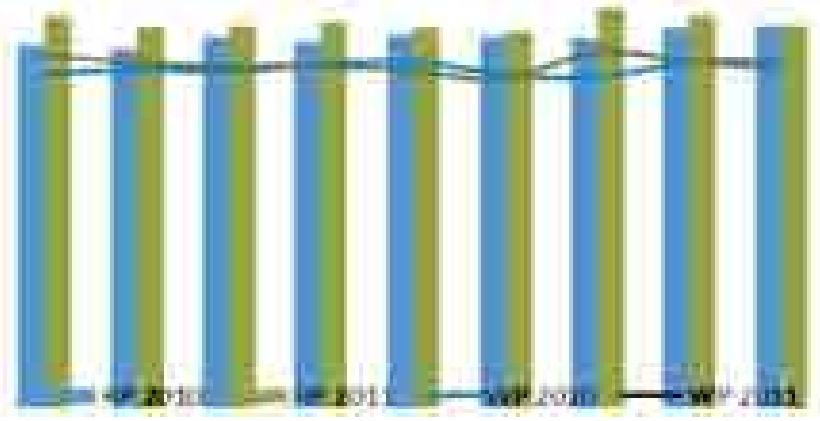

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.15 वर्ष 2011–12 के दौरान गेहूं का उत्पादन 84.00 मिलियन टन होने का लक्ष्य है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010–11 के दौरान गेहूं का उत्पादन 85.93 मिलियन टन होने की सम्भावना है।

3.16 1.12.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का ओपनिंग स्टॉक 27.66 मिलियन टन था। आर.एम.एस. 2011–12 के विपणन मौसम (अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2011) के दौरान 28. 14 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई जबकि आर.एम.एस. 2010–11 के विपणन मौसम (अप्रैल, 2010 से जुलाई, 2010) में 22.51 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई थी।

3.17 वर्ष 2010 और 2011(अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान गेहूं की मुद्रास्फीति की दर का तुलनात्मक रूझान ग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है:

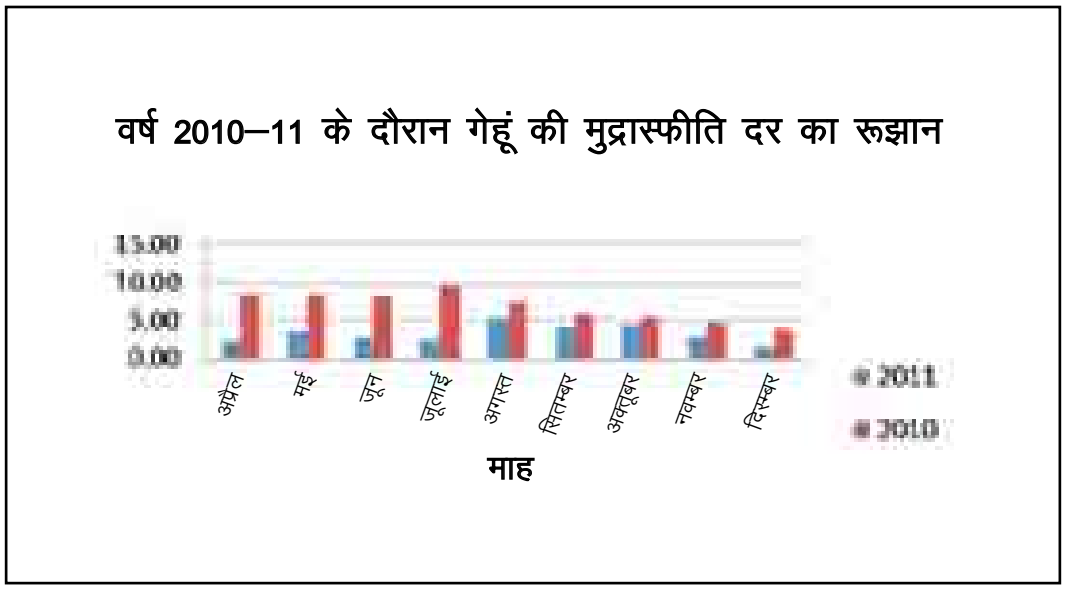

दालें

3.18 दालों के सम्बन्ध में नीति तैयार करना और सब्सिडी स्कीम चलाना भी इस विभाग के दायरे में आता है। मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ–साथ दालों की कीमतों को भी मॉनीटर करता है और दालों की कीमतों और उपलब्धता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए समुचित जानकारी प्रदान करता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या को सब्सिडीकृत कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए दालों के सम्बन्ध में एक सब्सिडी स्कीम नवम्बर, 2008 से चलाई जा रही है।

3.19 दालें भारत की आवश्यक खाद्य वस्तु है और शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। उपभोग की जाने वाली प्रमुख किस्में तूर (अरहर), मूंग, उड़द, चना और मसूर हैं।

3.20 कृषि एवं सहकारिता विभाग के फसल एवं टी. एम.ओ.पी. प्रभाग के अनुसार (30.12.2011 की स्थिति के अनुसार) दालों की बुआई का क्षेत्र पिछले वर्ष के 13.85 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में बढ़कर 14.03 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में मूंग और उड़द के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में क्रमशः 2.36% और 25.67% की बढ़ोतरी हुई है। दालों के उत्पादन के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र जो पिछले पांच वर्षों के दौरान 22 मिलियन हैक्टेयर से 24 मिलियन हैक्टेयर की सीमा में रहता था, वर्ष 2010–11 में बढ़कर 26.26 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

3.21 भारत ने वर्ष 2010–11 में दालों का 18. 09 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन किया है जो पिछले वर्ष (2009–10) से 23.4% अधिक है। भारत में दालों की उपज में निरन्तर सुधार हो रहा है। वर्ष 2005–06 में इनका उत्पादन 598 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर था जो 2008–09 में बढकर 659 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2009–10 में इसमें कुछ कमी आई परन्तु वर्ष 2010–11 में यह बढ़कर 689 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2005–06 से 2010–11 के दौरान दालों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

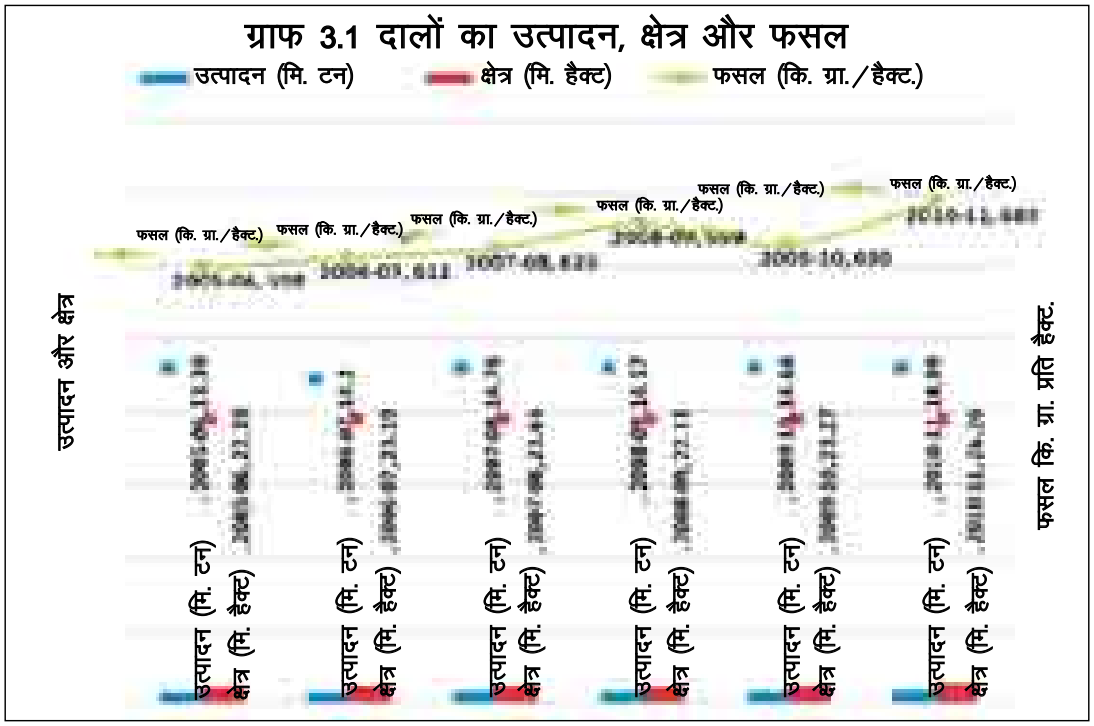

आंकड़ों का स्रोतः कृषि मंत्रालय

3.22 प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ दालों का उत्पादन वर्ष 2010–11 के 6.00 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2011–12 में बढ़कर 6.43 मिलियन टन हो गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता हैः

तालिका 3.1 खरीफ दालों का उत्पादनः 2010–11 एवं 2011–12
(उत्पादन मिलियन टन में)

	2010–11	2011–12	वृद्धि/कमी (%)
तूर	3.27	2.90	–11.31
उड़द	1.09	1.17	7.34
मूंग	0.88	1.20	36.36
अन्य दालें	0.76	1.15	51.31
कुल खरीफ	6.00	6.43	7.17

नोटः प्रथम अग्रिम अनुमान
स्रोतः कृषि मंत्रालय

3.23 जनसंख्या में वृद्धि और भोजन में प्रोटीन की जरूरत की बढ़ोतरी के कारण दालों की मांग धीरे–धीरे बढ़ रही है। मांग और आपूर्ति के बीच का अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। डी.जी.सी.आई.एस. के आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार अप्रैल–अक्तूबर, 2011 के दौरान लगभग 1.66 मिलियन टन दालों का आयात किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.628 मिलियन टन दालों का आयात किया गया था।

3.24 राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित खुदरा मूल्यों के आधार पर अप्रैल से दिसम्बर, 2011–12 के दौरान सभी केन्द्रों पर सभी दालों (चना दाल को छोड़कर) अर्थात तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल के खुदरा मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में धीरे–धीरे कमी का रूख दिखाई दिया है जो कि नीचे दिए गए ग्राफों में दर्शाया गया है:

ग्राफ 3.2 माह के अंत में खुदरा एवं थोक मूल्य : तूर दाल
अप्रैल–दिसम्बर 2010 एवं 2011

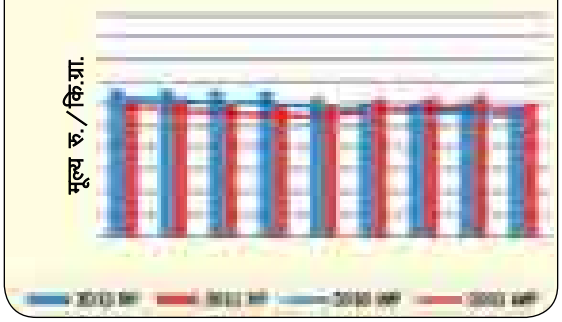

ग्राफ 3.3 माह के अंत में खुदरा एवं थोक मूल्य : उड़द दाल
अप्रैल–दिसम्बर 2010 एवं 2011

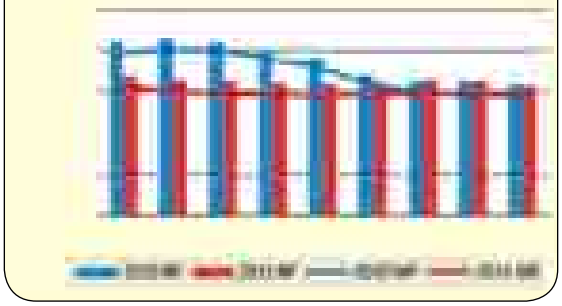

ग्राफ 3.4 माह के अंत में खुदरा एवं थोक मूल्य : मूंग दाल
अप्रैल–दिसम्बर 2010 एवं 2011

ग्राफ 3.5 माह के अंत में खुदरा एवं थोक मूल्य : मसूर दाल
अप्रैल–दिसम्बर 2010 एवं 2011

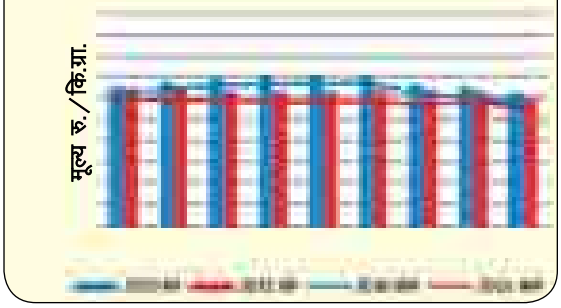

ग्राफ 3.6 माह के अंत में खुदरा एवं थोक मूल्य : चना दाल
अप्रैल–दिसम्बर 2010 एवं 2011

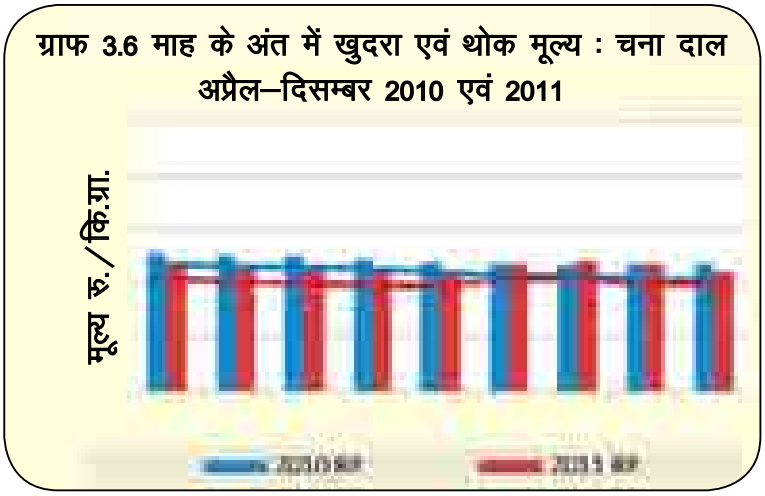

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.25 चालू वर्ष में तूर, उड़द, मूंग और मसूर की मासिक मुद्रास्फीति दरें नकारात्मक रहीं जबकि चने की मासिक मुद्रास्फीति दर मई, 2011 से निरन्तर बढ़ती रही जो कि अक्तूबर, 2011 में 44.8% की ऊंचाई पर पहुंच गई।

ग्राफ 3.7 दालों की मुद्रास्फीति दर थोक मूल्य सूचकांक
2004–05=100 के आधार पर

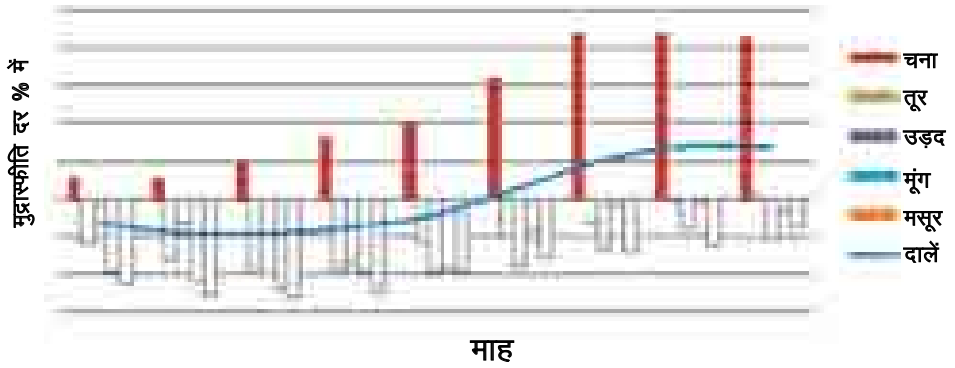

स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

भावी सौदा व्यापार

3.26 हालांकि तूर और उड़द के भावी सौदा व्यापार को स्थगित कर दिया गया है, चने को छोडकर अन्य दालों के मामले में भी यह नगण्य है। चने की स्पॉट कीमत जो अप्रैल–दिसम्बर, 2010 में 2050/–रुपये प्रति क्विंटल से 2378/– रूपये प्रति क्विंटल के बीच रही अप्रैल–दिसम्बर, 2011 में बढ़कर 2150/–रूपये से 3550/– रुपये प्रति क्विंटल हो गई। स्पॉट कीमत में बढ़ोतरी, अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू, दोनों स्रोतों से आपूर्ति के कम होने की सम्भावना के चलते विशेषकर मई, 2011 के बाद देखने को मिली।

दालों पर सब्सिडी की स्कीम

3.27 दालों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नवम्बर, 2008 से दालों के लिए एक सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत आयातित दालों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 कि.ग्रा. प्रति परिवार, प्रति माह के वितरण पर 10/– रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी दी जाती है। दालों का आयात पांच पदनामित ऐजेन्सियों (अर्थात् नैफेड, पी.ई.सी.लि., एस.टी.सी. लि., एम.एम.टी.सी. लि. और एन.सी.सी.एफ.) द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा राज्य सरकारों को आपूर्ति की जाती है।

3.28 यह स्कीम नवम्बर, 2008 से एक बारगी उपाय के रूप में अपनाई और लागू की गई थी, परन्तु बाद में इसे समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा और अब यह स्कीम 31.3.2012 तक लागू है। अब तक 12 राज्य इस स्कीम से लाभान्वित हो चुके हैं। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाण, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। 10/– रूपये प्रति कि. ग्रा. की सब्सिडी सहित आयात एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की गई दालों की कुल मात्रा का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

पदनामित ऐजेन्सियों द्वारा आयात एवं वितरित की गई दालों की मात्रा (2008–09 से 2011–12)

(टनों में)

ऐजेन्सी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	कुल
एम.एम.टी.सी.	4200	25,150	71,000	11000	**111350**
पी.ई.सी.		145,000	146,500	73105	**364605**
एस.टी.सी.		76,000	90,000	99334	**265334**
एन.सी.सी.एफ.		6,000	26,000	0	**32000**
नैफेड			10,005	0	**10005**
कुल	**4200**	**252150**	**343505**	**183439**	**783294**

नोटः दिसम्बर 2011 तक

स्रोतः पदनामित आयातक ऐजेन्सियां

चीनी

3.29 वर्ष के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर, 2011) चीनी के खुदरा मूल्य स्थिर रहे। सभी केन्द्रों में चीनी के मूल्य अप्रैल–दिसम्बर, 2010 के दौरान 27.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 45.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. थे इसकी तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2011

के दौरान यह 28.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 45.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में रहे। माह के अन्त में चीनी की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

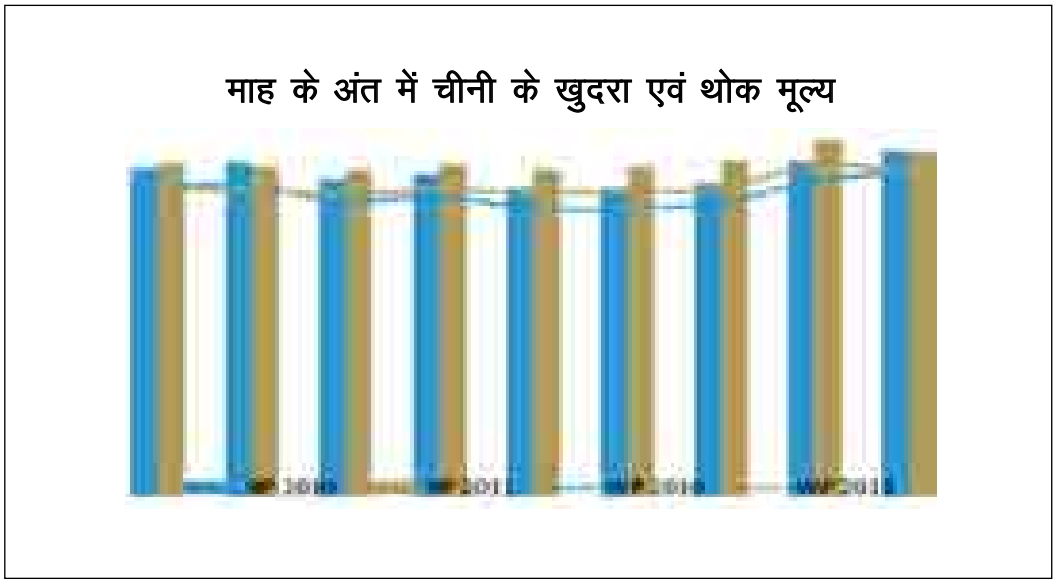

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.30 कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वर्ष 2011–12 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन 342.19 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2010–11 के 324.91 मिलियन टन के प्रथम अग्रिम अनुमानों से अधिक है।

3.31 वर्ष 2010 और 2011 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान चीनी की मुद्रास्फीति दर का तुलनात्मक रुख ग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है:

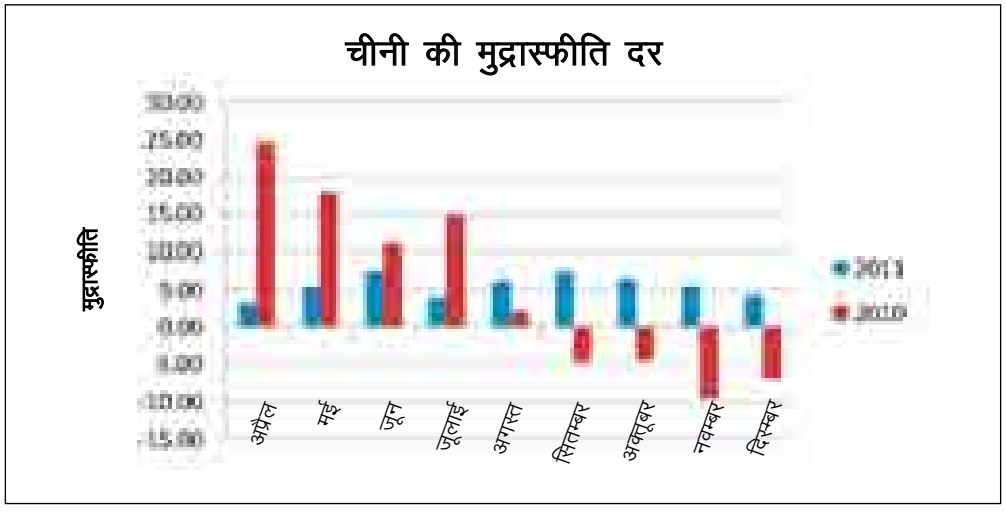

स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

खाद्य तेल

3.32 कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 14.9.2011 को रिलीज किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष के 17.27 मिलियन टन के प्रथम अनुमानों की तुलना में 20.89 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

3.33 चालू वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर, 2011) के दौरान सभी केन्द्रों में खाद्य तेलों के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का रूझान दिखाई दिया। अप्रैल–दिसम्बर, 2011 और अप्रैल–दिसम्बर, 2010 के दौरान खाद्य तेलों के मूल्य रेंज को निम्नअलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

खाद्य तेल	मूल्य रेंज (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) (रुपये/प्रति कि.ग्रा.)	मूल्य रेंज (अप्रैल–दिसम्बर, 2010) (रुपये/प्रति कि.ग्रा.)
सरसों का तेल	60-113	51-97
वनस्पति	54-97	40-80
मूंगफली का तेल	69-143	60-153
पॉम ऑयल	52-107	41-68
सोया ऑयल	64-99	48-77
सूरजमुखी का तेल	58-147	52-108

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.34 माह के अन्त में मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, सूरजमुखी के तेल, सोया ऑयल और पॉम ऑयल की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

माह के अन्त में मूंगफली के तेल के खुदरा एवं थोक मूल्य

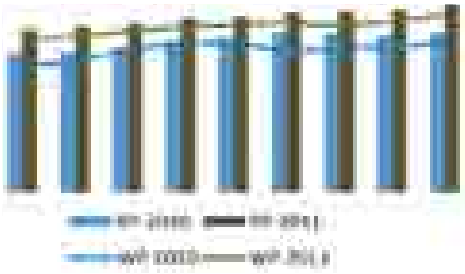

माह के अन्त में वनस्पति के खुदरा एवं थोक मूल्य

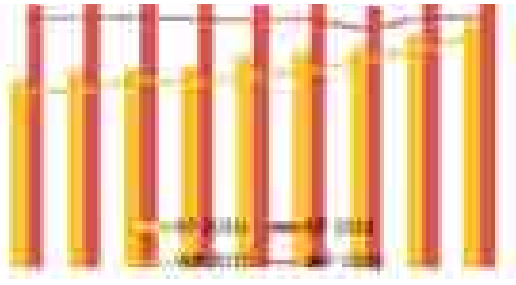

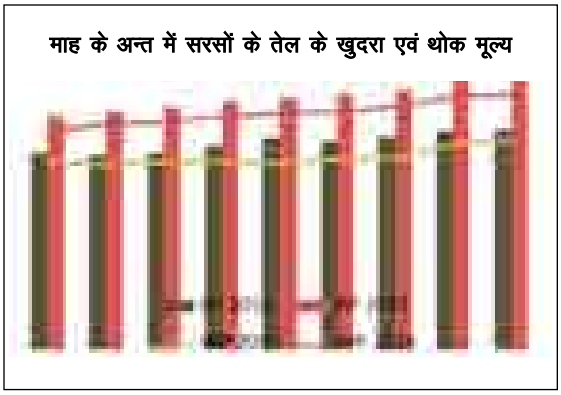

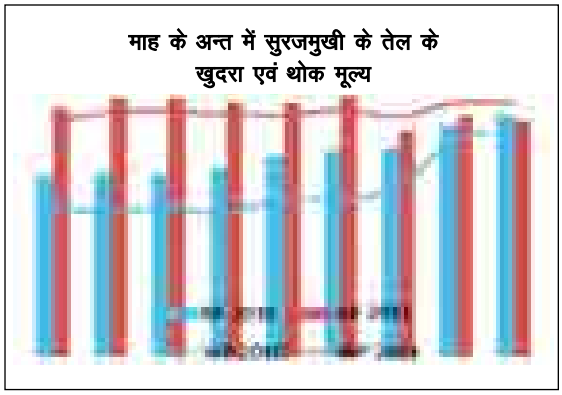

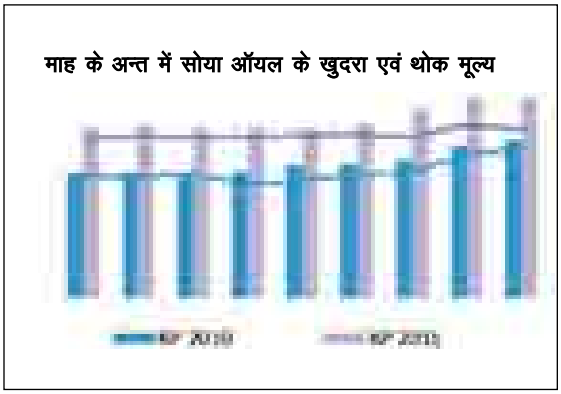

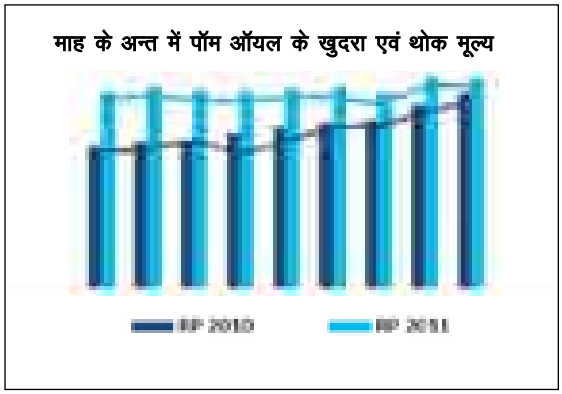

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.35 खाद्य तेलों की घरेलू आवश्यकताओं के लगभग 50 प्रतिशत तक की पूर्ति आयातों द्वारा होती है जिसमें से कुल आयातों का लगभग 77% कच्चा पॉम तेल और लगभग 12% सोया बीन तेल होता है। तेल वर्ष 2010–11 (नवम्बर–अक्तूबर) के दौरान 83.71 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जबकि 2009–10 की इसी अवधि के दौरान 88.23 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था (अर्थात इसमें 5.1% की कमी आई) नवम्बर, 2010 के दौरान 6.52 लाख टन खाद्य तेलों के आयात की तुलना में नवम्बर, 2011 में 8.28 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जो कि 27% की वृद्धि को दर्शाता है।

सब्जियां

3.36 सब्जियों के मूल्य में उतार–चढ़ाव उनकी उपलब्धता और मौसमी कारकों पर निर्भर करता है। सरकार ने सब्जियों, विशेष रूप से प्याज, आलू और टमाटर के मूल्यों और उपलब्धता पर बारीकी से नजर रखी है।

(i) प्याज (स्रोतः एन.एच.आर.डी.एफ.)

3.37 राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संगठन (एन.एच.आर.डी.एफ.) ने वर्ष 2011–12 के दौरान 151 लाख टन प्याज के उत्पादन का अनुमान लगाया था जो कि वर्ष 2010–11 के 145 लाख टन की तुलना में 11.5% अधिक है।

3.38 बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर, दिसम्बर, 2011 में प्याज की सभी किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी) 250 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन था। दिसम्बर, 2011 में बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज

का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी) 300 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

3.39 प्याज का निर्यात मुख्य रूप से बंगलादेश, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, बहरीन, नेपाल, सिंगापुर, मस्कट, कुवैत, दोहा/कतर, मारीशस आदि को किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान 18.73 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया जबकि गत वर्ष 17.84 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के बीच 10.26 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.36 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। प्याज के निर्यात पर 9.9.2011 को प्रतिबंध लगा दिया गया जिसे दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को हटा दिया गया। अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान सभी केन्द्रों पर प्याज के मूल्य 3.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 70.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर प्याज के मूल्य 5.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 35.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. रहे। माह के अन्त में प्याज की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

माह के अन्त में प्याज के खुदरा एवं थोक मूल्य

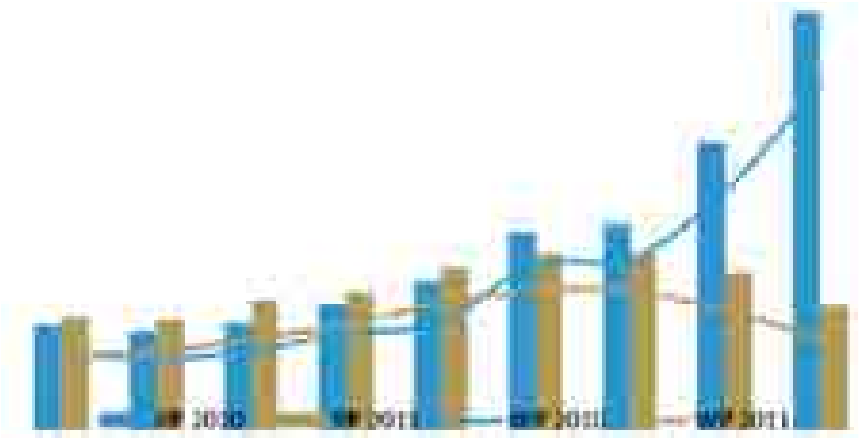

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

(ii) आलू (स्रोतः एन.एच.आर.डी.एफ.)

3.40 आलू की खेती का क्षेत्र और उत्पादन पिछले वर्ष के क्षेत्र 18.94 लाख हैक्टेयर और उत्पादन 402.39 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2010–11 में क्रमशः 18.62 लाख हैक्टेयर और 358.89 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है।

3.41 अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान सभी केन्द्रों पर आलू के मूल्य 5.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 28.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर आलू के मूल्य 4.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 22.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. रहे। माह के अन्त में आलू की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

माह के अन्त में आलू के खुदरा एवं थोक मूल्य

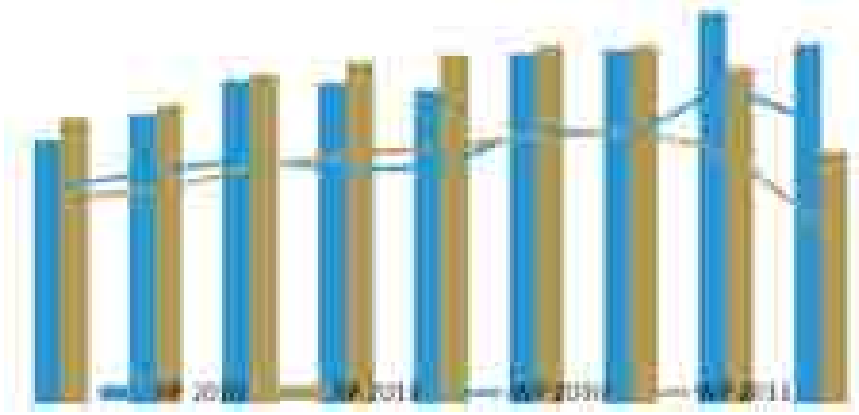

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

(iii) टमाटर

3.42 देश में टमाटर (हाईब्रिड एवं स्थानीय) का कुल उत्पादन लगभग 9.00 से 12.00 मिलियन टन है।

3.43 अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान सभी केन्द्रों पर टमाटर के मूल्य 6.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 38.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर टमाटर के मूल्य 4.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 60.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. रहे।

चाय

3.44 चाय के खुदरा मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में बढोतरी का रूझान देखने को मिला। अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान सभी केन्द्रों पर चाय के मूल्य 75.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 320.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर चाय के मूल्यु 100.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 314.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में रहे। 2010–11 (अप्रैल–मार्च) के दौरान 23.34 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 20.85 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया था। (स्रोतः डी.जी.सी.आई. एंड एस.)।

दूध

3.45 दूध के खुदरा मूल्य सभी केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान 16.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 40.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. रहे जबकि अप्रैल–दिसम्बर, 2010 के दौरान यह 16.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 33.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे।

नमक

3.46 नमक के खुदरा मूल्य सभी केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 और 2010 के दौरान 5.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 15.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. पर स्थिर रहे।

भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सार आयातित दालों की बिक्री एवं वितरण की निष्पादन लेखा–परीक्षा – (सिविल सं.) 2011–12 का 26

3.47 दालें महत्वपूर्ण खाद्य फसल हैं और औसत भारतीय के स्वास्थ्य पर इनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2002–03 से 2010–11 के दौरान देश में दालों की मांग एवं उत्पादन के बीच 10 से 50 लाख मीट्रिक टन का अन्तर रहा है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और तदनुसार उनकी कीमतों में स्थिरता लाने के लिए चार ऐजेन्सियों (नैफेड, एम.एम.टी.सी., पी. ई.सी. और एस.टी.सी.) के माध्यम से दालों के आयात एवं वितरण के लिए दो स्कीमें – पहली 2006 में और दूसरी 2008 में आरम्भ कीं। मई 2006 में आरम्भ की गई प्रथम स्कीम के अनुसार ऐजेन्सियों को सरकार द्वारा उतराई लागत के 15 प्रतिशत तक का घाटे, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के अध्यधीन सरकारी खाते में दालों का आयात करना था। दूसरी स्कीम नवम्बर, 2008 में शुरू की गई जिसमें 10 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी सहित चार लाख मीट्रिक टन दालों का आयात किया जाना था और उन्हे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना था।

3.48 दोनों स्कीमों की लेखा–परीक्षा से यह प्रकट हुआ कि ये स्कीमें तैयारी, कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में गम्भीर कमियों के कारण अपने निध ार्ारित उद्देश्यों को प्राप्त नही कर सकीं। लेखा परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- पदनामित ऐजेन्सियों द्वारा आयात किए जाने के बावजूद दालों के थोक एवं खुदरा मूल्यों में अन्तर बढ़ा हुआ पाया गया जो बाजार पर निजी व्यापारियों के बढ़े हुए नियन्त्रण को दर्शाता है।
- वर्ष 2006–11 के दौरान दालों की 53.10 लाख मीट्रिक टन लक्षित मात्रा का आयात एवं बिक्री करने की तुलना में इस अवधि के दौरान ऐजेन्सियों ने 30.04 लाख मीट्रिक टन दालों का आयात किया और 26.95 लाख मीट्रिक टन दालों की बिक्री की जिससें इस लेन–देन में कुल 1201.32 लाख रूपये का घाटा हुआ।
- बन्दरगाहों से दालों के उठान में देरी के कारण मार्च, 2011 तक 42.71 करोड़ रूपये का अपरिहार्य खर्च हुआ। इस देरी के कारण घरेलू बाजार में आयातित दालों के आने में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप उनकी कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
- उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयातित दालों के वितरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विशिष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव में सभी पदनामित ऐजेन्सियों ने आयातित दालों को राज्य ऐजेन्सियों के माध्यम से वितरित करने की बजाए उन्हें निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में बेच दिया।
- निविदा शर्तें, विशेषकर न्यूनतम बोली की ऊंची मात्रा (200–1000 मीट्रिक टन) और तदोपरान्त अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ई.एम. डी.) से यह सुनिश्चित होता है कि मुख्य रूप से बड़े निजी व्यापारियों ने ही बोली लगाई, इस प्रकार वितरण के चैनलों को प्रतिबंधित करते हुए छोटे व्यापारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया।
- 8.38 लाख मीट्रिक टन दालों की मात्रा की बिक्री की प्रतिदर्श जांच करने पर यह पाया गया कि 6.08 लाख मीट्रिक टन (73 प्रतिशत) दालें केवल चार बड़े क्रेताओं को ही बेची गई हैं।

- बहुत से मामलों में खरीददारों ने आयातित दालों के उठान में देरी की जिससे उनके घरेलू बाजार में आने में देरी हुई और बाजार में दालों की उपलब्धता कम रही।

- सरकार ने 2007 में इस आधार पर येलो पीज़ आयात करने का निर्णय लिया कि वे अन्य दालों का एक अच्छा विकल्प हैं और उसकी कीमतें भी अपेक्षाकृत कम हैं। तथापि, पीज़ को घरेलू बाजार में अधिक खरीददार नहीं मिल पाए और उन्हें काफी देरी के उपरान्त बेचा जा सका जिससे आयात ऐजेन्सियों को भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद ऐजेन्सियों ने बाद के वर्षों में भी पीज के आयात को जारी रखा यहां तक कि उनके पास बिक्री न हुए स्टॉदक के ढेर लग गए। कीमतों सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति के येलो पीज आयात करने के निर्णय की उपलब्धि यह रही कि कुल आयात के कारण आयातक ऐजेन्सियों को 897.37 करोड़ रूपये का कुल नुकसान उठाना पड़ा जो कि आयात की प्रक्रिया में हुए कुल नुकसान का 75% बनता है।

- भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2008 में लागू की गई, 10 रुपये प्रति कि.ग्रा. की समग्र सब्सिडी, 400 करोड़ रूपये की सब्सिडी सीमा सहित चार लाख मीट्रिक टन दालों के आयात और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में उनके वितरण की स्कीम भी अनेक कमियों से ग्रसित है। यह देखने में आया है कि स्कीम को मार्च 2012 तक बढ़ाने के बावजूद भी यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वितरण के सम्बन्ध. में अपनी आवश्यतकताओं को बताने में प्रायः विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मात्र 10 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के परिणामस्वरूप दालें गैर बी.पी.एल. परिवारों के साथ–साथ खुले बाजार में भी बेची जा सकती हैं।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अपनाया गया मॉनीटरिंग तन्त्र आयातित दालों का घरेलू बाजार में समुचित वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

3.49 संक्षेप में 781.10 करोड रूपये (15 प्रतिशत प्रतिपूर्ति स्कीम के तहत 361.39 करोड रूपये और सर्वाजनिक वितरण स्कीम के तहत 419.71 करोड रूपये) की सब्सिडी रिलीज करने के बावजूद भी स्कीम के दोनों उद्देश्य, अर्थात् दालों की उपलब्धिता और उनके बाजार मूल्यों में स्थिरता, पूरे पहीं हो सके हैं।

"आयातित दालों की बिक्री एवं वितरण पर निष्पादन लेखा–परीक्षा" के सम्बन्ध में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रारम्भिक टिप्पणियां

3.50 "आयातित दालों की बिक्री एवं वितरण पर निष्पादन लेखा–परीक्षा" के सम्बन्ध में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उसमें उल्लिखित प्रमुख लेखा परीक्षा आपत्तियों को अध्ययन किया गया। ये निष्कर्ष, जनहित में मांग–आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए सिद्धान्त पर आधारित प्रतीत नहीं होते।

3.51 सरकार द्वारा 2006–07 में दालों के आयात पर सब्सिडी देने का निर्णय, अवरूद्ध घरेलू उत्पाएदन से उत्पन्न कम आपूर्ति की स्थिति में दालों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लिया गया था। आयातों की सुविधा

प्रदान करने से दालों की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतें कम करने में निश्चित रूप से सहायता मिलती। यह नीचे दिए गए ग्राफ एवं तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

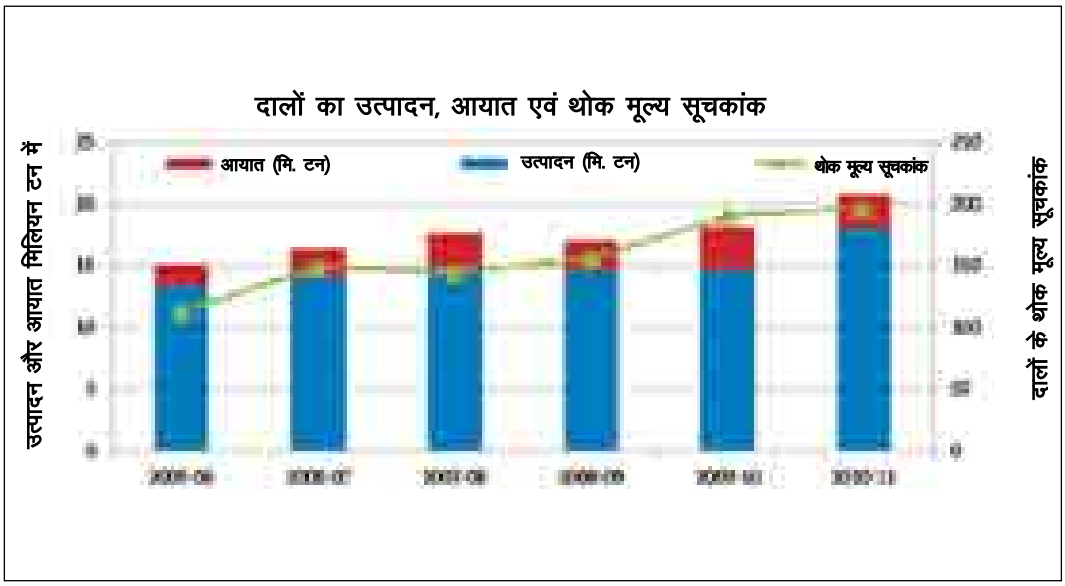

दालों की उपलब्धता एवं मूल्य की स्थिति (2005–06 से 2010–11)					
	उत्पादन	आयात	निर्यात	उपलब्धता	थोक मूल्य सूचकांक
	(मिलियन टन में)				
2005-06	13.39	1.7	0.47	14.62	113.34
2006-07	14.2	2.27	0.25	16.22	149.18
2007-08	14.76	2.84	0.16	17.44	144.93
2008-09	14.57	2.48	0.14	16.91	155.84
2009-10	14.66	3.51	0.09	18.08	190.76
2010-11	18.09	2.69	0.2	20.58	196.86

स्रोतः उत्पादन के लिए डी.ए.सी., आयात और निर्यात के लिए डी.जी.सी.आई.एस., और थोक मूल्य सूचकांक के लिए डी.आई.पी.पी.

3.52 उपर्युक्त स्थिति, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस लेखा–परीक्षा आपत्ति को नकारती है कि सब्सिडी स्कीम अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है।

3.53 वर्तमान में, इस विभाग द्वारा रिपोर्ट की विस्तृत जांच की जा रही है।

अनुलग्नक I

सितम्बर, 2011 और सितम्बर, 2010 माहों में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में विभिन्नता

वस्तु/उपसमूह		मुद्रास्फीति की वार्षिक दर		अप्रैल/दिसम्बर, 2011 और अप्रैल/दिसम्बर, 2010 के थोक मूल्य सूचकांकों में विभिन्नता	
	भार	दिसम्बर, 2011	दिसम्बर, 2010	अप्रैल/ दिसम्बर, 2011	अप्रैल/ दिसम्बर, 2010
सभी वस्तुएं	**100**	7.47	9.45	4.8	7.4
प्राथमिक वस्तुएं	**20.12**	3.07	18.37	1.1	21.0
खाद्य वस्तुएं	14.34	0.74	15.07	4.0	20.6
अनाज	3.37	1.91	1.59	3.4	7.4
चावल	1.79	1.58	4.01	6.5	7.6
गेहूं	1.12	-3.81	-4.15	-2.5	4.4
ज्वार	0.1	28.63	11.49	28.6	19.8
बाजरा	0.12	7.5	-1.85	-0.9	2.2
दालें	0.72	13.62	-11.74	23.1	-15.3
चना	0.33	42.93	-0.96	68.9	11.0
अरहर	0.14	0.72	-23.07	-14.9	-42.6
मूंग	0.08	-3.3	-14.97	-14.1	-67.3
मसूर	0.06	-7.5	-29.28	-6.8	-42.6
उड़द	0.1	-10.57	-6.72	-28.3	-6.1
सब्जियां	1.74	-34.18	33.61	11.5	96.6
आलू	0.2	-35.45	-28.57	1.6	61.2
प्याज	0.18	-60.45	74.98	28.7	321.3
दूध	3.24	11.02	18.34	23.0	8.2

मछली–समुद्री	0.72	8.42	33.65	4.2	15.0
मांस	0.35	8.78	-4.67	18.6	7.1
मिर्च (सूखी)	0.16	32.58	4.31	4.5	-4.0
चाय	0.11	-0.97	-6.51	-0.4	15.9
निर्मित उत्पाद	**64.97**	7.41	5.39	4.0	3.0
आटा	0.39	2.08	4.06	-2.3	2.2
चीनी, खांडसारी एवं गुड	2.01	9.38	1.79	8.7	4.6
चीनी	1.74	4.08	-6.98	9.2	7.4
गुड़	0.08	4.34	-6.95	7.7	-4.2
नमक	0.05	-2.9	-10.02	8.3	-7.9
खाद्य तेल	**3.04**	4.82	-7.86	6.8	8.1
वनस्पति	0.71	11.52	5.61	-0.9	9.4
सरसों का तेल	0.45	1.67	11.46	18.0	5.5
नारियल तेल	0.1	20.36	-1.6	4.1	7.6
मूंगफली का तेल	0.3	18.24	9.21	12.5	15.0
स्रोतः डी.आई.पी.पी.					

अनुलग्नक II

प्रमुख महानगरों में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक 22 आवश्यक वस्तुओं की माह के अंत की कीमतें (रूपये प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र/माह	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11
चावल									
दिल्ली	23	23	23	23	24	24	24	24	24
मुम्बई	19	20	20	21	22	23	22	22	22
कोलकाता	21	20	21	21	21	20	20	20	19
चेन्नई	22	22	22	22	22	22	24	22	22
गेहूं									
दिल्ली	15.5	15	15	15	15	15	15	16	16
मुम्बई	20	21	20	21	22	22	21	21	21
भुवनेश्वर	16	15	15	16	15	15	15	15	15
चेन्नई	22	22	22	22	22	22	22	22	22
आटा									
दिल्ली	17	16	16	16	16	16	17	17	17
मुम्बई	24	23	24	25	26	23	22	22	23
कोलकाता	16	16	16	16	16	16	16	17	16
चेन्नई	22	22	22	23	23	23	25	22	22
चना दाल									
दिल्ली	38	37	37	38	44	55	55	56	54
मुम्बई	38	39	41	43	47	57	55	55	55
कोलकाता	35	35	35	38	38	48	46	48	48
चेन्नई	34	35	38	42	44	56	54	55	55
तूर दाल									
दिल्ली	71	70.5	69	69	71.5	72	74	74	71
मुम्बई	66	70	69	69	72	71	69	71	71
कोलकाता	62	56	55	54	54	65	64	64	62
चेन्नई	68	65	62	62	62	68	65	65	62
उड़द दाल									
दिल्ली	74	73	71	71	76	75	73	75	74

केन्द्र / माह	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11
मुम्बई	76	76	75	74	79	82	77	79	74
कोलकाता	62	60	60	58	58	65	64	60	60
चेन्नई	72	70	68	68	68	72	71	68	64
मूंग दाल									
दिल्ली	73	73	71	71	74	74	73	74	71
मुम्बई	78	77	77	77	81	81	78	79	76
कोलकाता	75	70	70	70	70	70	70	75	75
चेन्नई	70	70	67	65	65	70	70	68	68
मसूर दाल									
दिल्ली	54	53.5	52	53	55.5	55	53	53	54
मुम्बई	57	56	54	55	61	59	56	57	54
कोलकाता	45	45	44	42	42	44	44	44	44
चेन्नई	50	45	45	45	45	48	46	45	44
चीनी									
दिल्ली	32	32	32	32.5	33	33	33	36	35
मुम्बई	32	31	31	32	32	33	33	34	34
कोलकाता	32	32	32	32	32	32	32	35	35
चेन्नई	29	29	29	31	30	32	31	32	32
दूध(लीटर में)									
दिल्ली	25	27	27	27	27	29	29	29	29
मुम्बई	28	28	28	34	34	36	36	36	36
कोलकाता	21	22	22	22	22	22	22	22	22
चेन्नई	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	21	27	27
मूगफली का तेल									
दिल्ली	126	126	128	128	128	132	134	135	136
मुम्बई	85	91	113	115	116	123	116	110	112
कोलकाता	100	110	105	105	105	120	120	110	120
चेन्नई	87	90	95	100	100	98	99	112	119
सरसों का तेल									
दिल्ली	78	77	79	78	81	84	84	85	87
मुम्बई	84	87	85	88	91	87	86	89	91

केन्द्र/माह	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11
कोलकाता	70	74	75	75	75	78	78	84	84
चेन्नई	77	77	77	77	84	85	87	96	98
वनस्पति									
दिल्ली	77	76	77	77	78	78	72	80	77
मुम्बई	75	78	77	77	80	84	85	85	87
कोलकाता	64	65	65	66	66	58	58	60	58
चेन्नई	74	74	76	78	78	74	70	77	77
सोया तेल									
दिल्ली	81	81	83	83	83	88	80	88	88
मुम्बई	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	80	76	77	77	78	78	84
कोलकाता	70	70	70	69	69	75	76	78	78
चेन्नई	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
सूरजमुखी का तेल									
दिल्ली	93	93	93	93	93	108	98	108	110
मुम्बई	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	87	82	86	84	82	84	89
कोलकाता	80	82	85	85	85	90	95	95	100
चेन्नई	74	76	78	82	80	82	79	86	88
पॉम ऑयल									
दिल्ली	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
मुम्बई	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	61	67	66	66	65	65	70
कोलकाता	62	65	64	64	64	63	62	64	64
चेन्नई	57	61	56	59	61	60	56	66	68
गुड़									
दिल्ली	30	35	35	35	36	40	40	34	34
मुम्बई	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	43	43	47	48	46	46	42
कोलकाता	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

केन्द्र / माह	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11
चेन्नई	36	38	38	35	44	38	48	45	38
चाय खुली									
दिल्ली	151	151	152	153.5	162	163	164	164	165
मुम्बई	188	188	188	199	209	207	213	203	200
कोलकाता	100	100	100	100	100	100	120	120	120
चेन्नई	260	260	260	260	260	260	270	265	265
पैक नमक (आयोडाईज्मड)									
दिल्ली	14	14	14	14	14	14	14	14	14
मुम्बई	14	14	14	14	14	14	14	14	14
कोलकाता	8	8	8	8	8	8	8	8	8
चेन्नई	14	14	14	14	14	14	14	14	14
आलू									
दिल्ली	9	10	14	15	16	17	15	13	8
मुम्बई	14	16	17	16	15	15	13	13	12
कोलकाता	7	8	8	8	8	8	8	8	6
चेन्नई	13	13	11	11	12.5	14	16	12	11
प्याज									
दिल्ली	12	10.5	14	16	21	23	23	17	15
मुम्बई	13	16	17	16	19	21	22	18	14
कोलकाता	9	10	14	14	14	20	18	16	12
चेन्नई	9	10	11	11	16	14.5	15	15	8
टमाटर									
दिल्ली	18	10	35.5	21	21	26	37	14	15
मुम्बई	16	16	19	18	14	18	40	21	16
कोलकाता	10	16	25	24	24	24	32	25	12
चेन्नई	11	10	10.5	8	15.5	17	28	16	10

स्रोतः राज्यड नागरिक आपूर्ति विभाग

◆◆◆

जागो ग्राहक जागो
शुद्ध खरीददारी सुनिश्चित करें।
केवल हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण ही खरीदें।
उदाहरणार्थ 22 कैरट के लिए 916 और 18 कैरट के लिए 750 चिन्हित होगा
आभूषण खरीदने से पहले हॉलमार्क के निम्नलिखित 5 चिह्न मैगनिफाईंग ग्लास से देखें
भा मा ब्यूरो की मानक मुहर
*शुद्धता/ग्रेड
परख एंव हॉलमार्किंग केन्द्र की मुहर
मुहरांकन का वर्ष उदाहरणार्थ 2000 के लिए ए 2009 के लिए के 2011 के लिए एन
आभूषण-विक्रेता का पहचान चिह्न
*शुद्धता 958 916 875 750 708 585 375
कैरट 23 कैरट 22 कैरट 21 कैरट 18 कैरट 17 कैरट 14 कैरट 9 कैरट
हॉलमार्क लगे आभूषण केवल भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों से परीक्षित एवं मुहरांकित किए जाते है।
देखें: – भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने वाले शोरूम।
खरीदें: – केवल हॉलमार्क ज्वैलरी। यह घोषित शुद्धता का आश्वासन देती है।
माँगें: – कैश मेमो, जो बीआईएस को शिकायतों (यदि कोई हो) के निपटान में मदद करती है।
अधिक जानकारी के लिए देखें बीआईएस वेबसाइट www.bis.org.in या संपर्क करें
भारतीय मानक ब्यूरो
एससीओ 21, सैक्टर–12, फरीदाबाद–121007
फोन: 0129 2292175, 2292179, फैक्स: 0129 2291860
ई–मेल: fdo@bis.org.in बेबसाइट: www. bis.org.in
हॉलमार्क आभूषणों की शिकायत कृपया spcad@bis.org.in पर ई–मेल करें अथवा 011–23235069 पर फैक्स करें
davp 08103/13/0124/1112

अध्याय - IV

आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन

4.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में आवश्यक घोषित की वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियमन और नियंत्रण, उनकी आपूर्ति बनाए रखने या आपूर्ति बढ़ाने अथवा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण एवं व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों का कार्यान्वयन/प्रवर्तन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के पास है।

4.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 'आवश्यक' घोषित की गई वस्तुओं की आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों की स्थिति तथा विशेष रूप से उनके उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में इन वस्तुओं को प्रशासित करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समय–समय पर समीक्षा की जाती है। मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की वस्तुओं की संख्या को आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से घटाकर 7 तक ले आया गया है।

4.3 राज्य सरकारें और संघ राज्य प्रशासन इस अधिनियम के तहत प्रवर्तन एजेंसियां होने के कारण उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करके इसके उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमित रूप से इस अधिनियम का सहारा ले रहे हैं। वर्ष 2011 के दौरान 31–12–2011 तक (11–01–2012 को अपडेट की गई सूचना के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के परिणम नीचे दिए गए हैं–

1. मारे गए छापों की संख्या	173177
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	4235
3. अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	4214
4. दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	29
5. जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य	6173.481 लाख रुपए

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई

4.4 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुझान को कम करने के लिए

तुरंत कदम उठाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चिंता रही। इस धारणा को दृष्टिगत रखते हुए कि मूल्यों में और वृद्धि होने की प्रत्याशा में विशेष रूप से गेहूं और दालों के भण्डार जमा किए गए हैं, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों से भी जमा स्टॉक को बाहर निकालने संबंधी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां बहाल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

4.5 सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और दालों (साबुत तथा दली हुई) के संबंध में दिनांक 15–2–2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को छः महीनों की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों के संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29–8–2006 को एक केंद्रीय आदेश सं– 1373 (अ) जारी किया जिसके आधार पर 15–02–2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसैंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रेस्ट्रेक्शन्स) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भडारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा गया है। तथापि, इस आदेश का प्रभाव गेहूं और दालों (साबुत अथवा दली हुई) के राज्य से बाहर के स्थानों के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा। बाद में केंद्रीय सरकार ने दिनांक 7–4–2008 के आदेश के तहत खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में दिनांक 15–2–2002 के केंद्रीय आदेश के प्रचालन को एक वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखा। तत्पश्चात दिनांक 27–8–2008 के आदेश के तहत इसे 1–9–2008 से 30–4–2009 तक एक वर्ष की अवधि के लिए धान पर भी लागू कर दिया गया। इन आदेशों की वैधता को समय–समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान में ये आदेश दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल और धान के संबंध में 30–9–2010 तक वैध है। इसको बाद में केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2361 (अ) तारीख 29–09–2010 के तहत दालों, धान और चावल के संबंध में 30–09–2011 तक तथा तेलों एवं तिलहनों के संबंध में 31–3–2011 तक बढ़ा दिया गया है। इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का.आ. 654 (अ) तारीख 30–03–2011 के तहत दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2011 तक बढ़ा दिया गया है। इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का आ. 2227 (अ) तारीख 27.09.2011 के तहत दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2012 तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय आदेश दिनांक 27.09.2011 के तहत ध ाान और चावल के संबंध में उनकी वैधता को 31.10.2011 तक बढ़ा दिया गया जिसे बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का. आ.2447 (अ) दिनांक 28.10.2011 के तहत 30.11.2011 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान निकोबार जिन्होंने विशेष रूप से धान और चावल के संबंध में स्टॉक सीमा को चलाए रखने के लिए अपनाने हेतु निवेदन भेजा

है, के लिए केन्द्रीय आदेश संख्या 2716 (अ) दिनांक 29.11.2011 के तहत चावल और धान के स्टॉक सीमा की अनुमति 30.11.2012 तक दी गई है।

4.6 सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधों में आगे और छूट दी जाए तथा चीनी के संबंध में आदेश के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 15.2.02 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को और 4 महीनों तक के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि चीनी की उपलब्धता और मूल्यों का सामना किया जा सके। तदनुसार, इस आशय का आदेश सं. का. आ. 649 (अ) दिनांक 9.03.09 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसको बाद में दिनांक 18.12.2009 के केंद्रीय आदेश 30.9.2010 तक और केंद्रीय आदेश संख्या का. आ. 2361 (अ) दिनांक 29.09.2010 के तहत 31.12.2010 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इन आदेशों की वैधता को केंद्रीय आदेश संख्या 3060 (अ) दिनांक 30.12.2010 के तहत 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है। गेहूं और चीनी को क्रमशः 01.04.09 और 01.12.2011 के इन आदेशों की परीधि से वापिस ले लिया गया है।

4.7 उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूं और दालों के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिलरों/ उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन प्राप्त/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4.8 जहाँ तक इन आदेशों के कार्यान्वनयन का संबंध है, यह बताया गया है कि 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त सभी मदों पर किसी एक मद के लिए स्टाक सीमा जारी की है या केवल लाइसेंसिग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणा जारी की है (इन 27 में से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वास्तविक रूप से स्टाक सीमा आदेश जारी की हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणाएं जारी कर दी है)।

4.9 उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूं और दालों के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिलरों/ उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन प्राप्त/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन मदों के जमा स्टॉक को खुले बाजार में लाने और उन्हें आम जनता को वाजिब दामों में उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में उल्लिखित वस्तुओं की आपूर्ति को बना रखना

4.10 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जमाखोरी और चोर बाजारी आदि जैसी अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने के लिए चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 लागू किया जा रहा

है। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों को उन लोगों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नजरबंदियां केवल चयनित मामलों में की जाती हैं ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोका जा सके। राज्य सरकारों द्वारा 01–01–2011 से 31–12–2011 के दौरान 271 मामलों में नजरबंदी के आदेश जारी किए गए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास नजरबंदी आदेशों को आशोधित एवं रद्द करने की शक्ति भी है।

◆◆◆

अध्याय - V

उपभोक्ता संरक्षण

5.1 उपभोक्ता आंदोलन एक ऐसा सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, जिसमें खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सेवाओं के संदर्भ में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में एक जिम्मेदार और जवाबदेह उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्यों के माध्यम से उपभोक्ताओं की जागरुकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी मीडिया माध्यमों का उपयोग करना शामिल है।

5.2 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(i) एक उपयुक्त प्रशासकीय तथा कानूनी तंत्र बनाना, जिस तक उपभोक्ताओं की आसानी से पहुंच हो तथा उपभोक्ता कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों संगठनों से बातचीत करना।

(ii) समाज के विभिन्न वर्गों जैसे उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, युवाओं आदि को इस कार्यक्रम में शामिल करना और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

(iii) उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरुकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर के संबंध में समझौता न करने तथा यदि अपेक्षित हो, उपभोक्ता न्यायालयों से प्रतितोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

(iv) उपभोक्ताओं को शिक्षित करना ताकि वे अपने अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के बारे में जागरूक हो सकें।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

5.3 देश में उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता आंदोलन के क्षेत्र में अत्यधिक महत्ववपूर्ण मील के पत्थरों में से एक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का पारित होना है। इस अधिनियम को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के सृजन द्वारा विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता के हितों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह अत्यधिक प्रगतिशील और व्यापक कानूनों में से एक है जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र के रूप मे बनाया गया है। अब तक देश में 627 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(क) अधिनियम में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार नामतः सुरक्षा का अधिकार, सूचना का

अधिकार, चयन का अधिकार, सुनने का अधिकार, विवाद निपटान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं।

(ख) अधिनियम के ये उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों से अतिरिक्त है न कि उनसे कम।

(ग) यह एक छत्र कानून है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, किन्तु अधिनियम की परिधि में उपभोक्ताओं को शामिल न करके संव्यवहार को बाहर रखा गया है।

(घ) उपभोक्ता किसी विनिर्माता और वस्तुओं/सेवाप्रदाता व्यापारियों के विरूद्ध शिकायत का प्रतितोष तब तक कर सकते हैं जब तक कि खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सुविधाओं पर विचार किया जाए।

(ड़) अधिनियम में उपभोक्ता शिकायतों को सरल तरीके से, कम खर्च तथा समय पर निपटाने की व्यवस्था है।

(च) अधिनियम के ये प्रावधान न केवल प्रतिपूरक हैं बल्कि निवारक एवं दण्डात्मक स्वरूप के भी हैं।

(छ) इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र की स्थापना करने की व्यवस्था है जिनको क्रमशः राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंच के नाम से जाना जाता है।

(ज) अधिनियम में केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित करने की भी व्यवस्था है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए परामर्शी निकाय हैं।

5.4 राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार देश में उपभोक्ता मंचों के सभी तीन स्तरों पर मामलों के निपटान का औसत प्रतिशत प्रभावशाली 90.45% है। स्थापना काल से राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में प्रारंभ से दायर किए गए निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 30.12.2011 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है:–

1) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के 13 शहरों को अधिसूचित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली जहां यह सामान्य रूप से कार्य करता है, के अतिरिक्त अपने सर्किट बैंच सिटिंग का आयोजन कर सकता है। विधि के इन उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय

31.1.2012 तक अद्यतन

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान प्रतिशत में
1.	राष्ट्रीय आयोग	72863	63370	9493	86.97
2.	राज्य आयोग	560961	464243	96718	82.76
3.	जिला फोरम	3093931	2845823	248108	91.98
	जोड़	3727755	3373436	354319	90.50

आयोग वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष सर्किट बैंच सिटिंग आयोजित कर रहा है। फरवरी, मार्च 2011 में अहमदाबाद में आयोजित पिछली सर्किट बैंच सिटिंग के दौरान राष्ट्रीय आयोग ने 63 मामलों का निपटान किया।

5.5. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 26वीं बैठक प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 31.1.2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 26वीं बैठक प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 31.1.2012 को नई दिल्ली, में आयोजित की गई।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 31.1.2012 को नई दिल्ली में आयोजित 26वीं बैठक को प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने संबोधित किया।

3. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 31.1.2012 को नई दिल्ली में आयोजित 26वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

5.6 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ा कर 11 कर दी गई है जिनमें से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पिछले बकाया मामलों को निपटाने के लिए एक अतिरिक्त बैंच की स्थापना हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के दो अतिरिक्त पद (1 न्यायिक और 1 गैर–न्यायिक) सृजित किए गए हैं।

5.7 यद्यपि जिला और राज्य स्तरों पर उपभोक्ता मंचों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनागत स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:–

5.8 कन्फोनेट स्कीम देश में उपभोक्ता मंचों का कम्पयूटरीकरण तथा कम्यूटर नेटवर्किंग (कन्फोनेट) की स्कीम दसवीं योजना अवधि के दौरान मार्च, 2005 में 48.64 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, देश में सभी तीनों स्तरों पर उपभोक्ता मंचों को कंप्यूटरीकृत किया जाना था ताकि वे सूचना प्राप्त कर सकें और मामलों का तेजी से निपटान कर सकें। परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा टर्न–की आधार पर किया जा रहा है। स्कीाम को ग्यारहवीं योजना 25.69 करोड़ रूपए की कुल लागत के साथ विस्तारित किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान एन आई सी को ग्यारहवीं योजना में कन्फोनेट परियोजना के तहत चलाई जाने वाली गतिविधियों के लिए 0.75 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

5.9 बजट अनुमान 2011–12 में कन्फोनेट स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2525)

के लिए 96 लाख रूपए का आबंटन रखा गया था, जिसे वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों में घटाकर 8.50 लाख रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की योजना में, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2011–12 दोनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.85 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ बनाना: केंद्रीय सरकार उपभोक्ता मंचों के आधारभूत–ढांचे को सुदृढ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच पर सुविधाओं का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराया जा सके जो उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित है।

5.10 इस स्कीम के तहत प्रदान की जा रही आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं में उपभोक्ता मंचों के नए भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनों का परिवर्धन/परिवर्तन/ नवीकरण करना और गैर भवन संपदाओं जैसे कि फर्नीचर, कार्यालय उपकरण इत्यादि खरीदना शामिल है। उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत अब तक पांच राज्यों नामतः केरल(15.00 लाख रू) नागालैंड (260.25 लाख रू.) पंजाब (18.75 लाख रु.), सिक्किम (12.20 लाख रु), तमिलनाडु (196. 79 लाख रु.) और पश्चिम बंगाल (148.21 लाख रु.) को कुल 651.50 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

5.11 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का भवन सी जी ओ कॉम्पुलैक्स , आई एन ए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उन्होंने 17.8.2011 में नए प्रांगण में कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस प्रयोजन हेतु सी पी डब्ल्यू डी को 19.90 करोड़ रु की राशि जारी की गई है।

5.12 जिला मंचों, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण ***अनुलग्नक I और II*** ***(पृष्ठ : 56–57)*** में दिया गया है।

अनुलग्नक–I

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/ लंबित मामलों का विवरण

(31.1.2012)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान का प्रतिशत	की स्थिति अनुसार
	राष्ट्रीय आयोग	**72863**	**63370**	**9493**	**86.97**	**31.12.2011**
1	आंध्र प्रदेश	27409	24957	2452	91.05	30.11.2011
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	42	38	4	90.48	31.01.2008
3	अरूणाचल प्रदेश	58	54	4	93.10	30.09.2011
4	असम	2419	1554	865	64.24	30.09.2011
5	बिहार	14386	10326	4060	71.78	31.05.2011
6	चण्डीगढ	11628	11437	191	98.36	31.12.2011
7	छत्तीसगढ़	7629	7239	390	94.89	31.12.2011
8	दमन व दीव एव दा.न.हवेली	25	20	5	80.00	31.03.2011
9	दिल्ली	32585	31390	1195	96.33	31.10.2011
10	गोवा	2235	2099	136	93.91	31.12.2011
11	गुजरात	37781	33402	4379	88.41	31.12.2011
12	हरियाणा	41111	36083	5028	87.77	30.11.2011
13	हिमाचल प्रदेश	7437	6589	848	88.60	30.11.2011
14	जम्मू व कश्मीर	7230	6434	796	88.99	31.05.2011
15	झारखंड	4874	4065	809	83.40	30.09.2011
16	कर्नाटक	41921	37217	4704	88.78	31.12.2011
17	केरल	24365	23430	935	96.16	31.12.2011
18	लक्षद्वीप	17	16	1	94.12	31.12.2011
19	मध्य प्रदेश	39096	34553	4543	88.38	31.12.2011
20	महाराष्ट्र	54170	36527	17643	67.43	30.06.2011
21	मणिपुर	139	96	43	69.06	30.09.2008
22	मेघालय	253	175	78	69.17	31.03.2011
23	मिजोरम	183	171	12	93.44	30.04.2011
24	नागालैण्ड	94	64	30	68.09	31.12.2006
25	उडीसा	20691	14604	6087	70.58	31.10.2011
26	पांडिचेरी	916	883	33	96.40	30.11.2011
27	पंजाब	27477	21092	6385	76.76	30.11.2011
28	राजस्थान	48383	44799	3584	92.59	30.11.2011
29	सिक्किम	37	36	1	97.30	31.12.2010
30	तमिलनाड	23339	21286	2053	91.20	31.12.2011
31	त्रिपुरा	1344	1301	43	96.80	30.11.2011
32	उत्तरप्रदेश	62757	34950	27807	55.69	31.10.2011
33	उत्तराखंड	4425	3624	801	81.90	31.12.2011
34	पश्चिमी बंगाल	14505	13732	773	94.67	31.12.2010
	कुल	**560961**	**464243**	**96718**	**82.76**	

जागो ग्राहक जागो

अनुलग्नक–II

जिला मंचों में दायर किए गए/निपटाए गए/ लंबित मामलों का विवरण

(31.1.2012)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान का प्रतिशत	की स्थिति अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	187855	182188	5667	96.98	30.11.2011
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	330	301	29	91.21	31.03.2006
3	अरूणाचल प्रदेश	310	270	40	87.10	30.09.2011
4	असम	13704	11976	1728	87.39	31.08.2010
5	बिहार	80010	69607	10403	87.00	31.05.2011
6	चण्डीगढ़	44506	43273	1233	97.23	31.12.2011
7	छत्तीसगढ़	34715	31532	3183	90.83	31.12.2011
8	दमन व दीव एवं दा.न.हवेली	162	144	18	88.89	31.03.2011
9	दिल्ली	239215	228875	10340	95.68	30.09.2011
10	गोवा	6185	5587	598	90.33	31.12.2011
11	गुजरात	166043	149728	16315	90.17	31.12.2011
12	हरियाणा	210534	192736	17798	91.55	30.11.2011
13	हिमाचल प्रदेश	54858	51419	3439	93.73	31.12.2011
14	जम्मू. व कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15	झारखंड	32260	29638	2622	91.87	30.09.2011
16	कर्नाटक	146965	142794	4171	97.16	31.12.2011
17	केरल	174455	167138	7317	95.81	31.12.2011
18	लक्षद्वीप	72	65	7	90.28	31.12.2011
19	मध्य प्रदेश	172687	157788	14899	91.37	31.12.2011
20	महाराष्ट्र	245230	226885	18345	92.52	30.06.2011
21	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22	मेघालय	768	661	107	86.07	31.03.2011
23	मिजोरम	3466	2819	647	81.33	31.12.2010
24	नागालैण्ड	246	205	41	83.33	30.6.2006
25	उड़ीसा	87878	82222	5656	93.56	31.10.2011
26	पांडिचेरी	2827	2648	179	93.67	30.11.2011
27	पंजाब	145521	140015	5506	96.22	30.11.2011
28	राजस्थान	268460	242787	25673	90.44	30.11.2011
29	सिक्किम	260	245	15	94.23	31.12.2010
30	तमिलनाड	99669	94948	4721	95.26	31.12.2011
31	त्रिपुरा	2599	2426	173	93.34	30.11.2011
32	उत्तरप्रदेश	538336	459501	78835	85.36	31.10.2011
33	उत्तराखंड	33535	31796	1739	94.81	31.12.2011
34	पश्चिम बंगाल	78441	73739	4702	94.01	31.12.2010
	कुल	**3093931**	**2845823**	**248108**	**91.98**	

उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्त पोषित मौजूदा स्कीमें

5.12 उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

इस स्कीम के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है:–

(क) वॉयस सोसायटी, नई दिल्ली

वॉयस सोसायटी को तीन वर्षों के लिए उत्पादों और सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण के दूसरे चरण को चलाने के लिए 2.70 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है दूसरे चरण के दौरान वॉयस सोसायटी को 16 उत्पादों और तीन सेवाओं का परीक्षण करवाना था। इस परियोजना का ध्येय निम्नानुसार है:–

- विविध श्रेणियों के उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण के लिए भारत में मौजूद एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं का प्रयोग करना।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता के सृजन के लिए उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर उपभोक्ता पत्रिकाओं का प्रकाशन करना एवं उन्हें लोकप्रिय बनाना।
- वैज्ञानिक डाटा और उपभोक्ताओं के अधिमान पर आधारित राष्ट्रीय मानकों का विकास एवं उन्नयन करने की सुविधा प्रदान करना।

(ख) फेयर बिजनेस प्रेक्टिस, मुंबई को एस एन डी टी वीमैन यूनिवर्सिटी, मुंबई में मौजूद रामकृष्ण बजाज परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए एकबारगी अनुवर्ती अनुदान के रूप में 50 लाख रू. मंजूर किया गया।

(ग) उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र , अहमदाबाद को एन ए बी एल प्रत्यायन के साथ 2.18 करोड़ रु. की लागत पर उनकी परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना।

(घ) कन्सर्ट को दो वर्षों के लिए उत्पादों और सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण के लिए 333.70 लाख रु. की राशि मंजूर की गई। इस परियोजना के तहत कन्सर्ट प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 उत्पाादों और 3 सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण/मूल्यांकन करेगा।

(ड़) केरल सरकार को उनके मौजूदा स्वर्ण शुद्धता परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए 25.44 लाख रू. का सहायता अनुदान दिया गया है।

5.13 स्कूल/कालेजों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना

यह स्कीम 2002 में शुरु की गई थी, जिसके अनुसार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध माध्यमिक/उच्च/उच्चतर सैकण्डरी स्कूल/कालेजों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए जा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति उपभोक्ता क्लब 10,000 रुपए का अनुदान स्वीकार्य है। इस स्कीम को विकेन्द्रित किया गया है और 1 अप्रैल, 2004 से इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तातंरित कर दिया गया है। पात्र संगठनों/ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्व ारा अपने प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्य से स्कूलों की सूची प्राप्त होने पर राज्यों के नोडल अधिकारी को निधियां अंतरित की जाती हैं। वर्ष 2008–09 में 115 लाख रु., वर्ष 2009–10 में 105 लाख रु, वर्ष 2010–11 में 10 लाख रु. और 31.12.2011 तक 37 लाख रूपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। अब तक, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7749 उपभोक्ता क्लबों को मंजूरी दी गई है। शेष बचे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जोरदार प्रयास किया जा रहा है।

5.14 **अनुसंधान संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों इत्यादि की भागीदारी को बढ़ावा देने की स्कीम।**

यह स्कीम उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करने की दृष्टि से वर्ष 2004 में शुरू की गई थी ताकि उपभोक्ताओं को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, यह स्कीम उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों पर सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन प्रायोजित करने तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण और कल्याण के लिए नीति/कार्यक्रम/स्कीमों के प्रतिपादन के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने के विचार को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग की स्कीम के तहत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को परियोजना के पहले और दूसरे चरण में वर्ष 2009 में तीन वर्षों के लिए 2.08 करोड़ रु. की लागत पर कुल 3.81 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है।

5.15 **संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठ/ उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन**

(क) नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन. एस. आई. यू आई) बंगलूर को 1.5 करोड़ रु. की लागत से एक पीठ वर्ष 2007–08 में मंजूर की गई। इस पीठ का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता कानून और व्यौहार पर अनुसंधान और नीति संबंधी मुद्दों के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना है और स्नातक एवं स्नांतकोत्तर दोनों स्तरों पर उपभोक्ता मामले को एक विशेष विषय के रूप में विकसित करना है।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को वर्ष 2007–08 में पांच वर्ष की अवधि के लिए 850.17 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण, देश में अपभोक्ता न्याय प्रशासन और न्याय–निर्णय से जुड़े कार्मिकों और स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों इत्याादि के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में गहन अनुसंधान कार्य करना है।

(ग) नेशनल लॉ इंस्टीटयूट यूनिवर्सिटी,(एन एल आई यू) भोपाल को उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के लिए चेयर प्रोफसरशिप की स्थापना के लिए 94.45 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है।

(घ) तमिलनाडु में डॉ0 अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई को उपभोक्ता कानून और न्याय–निर्णय के प्रतिष्ठित अध्ययन के लिए 94.45 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ङ) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को ग्रामीण उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ग्रामीण उपभोक्ता अध्ययन पर एक पीठ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

5.16 **व्यापार/उद्योगों की भागीदारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)** को स्वैच्छिक स्व विनियमन और उपभोक्ता शिक्षा के जरिए उपभोक्ता शिकायतों के तुरत प्रतितोष को सुकर बनाने के लिए तंत्र स्थापित करने और प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए फिक्की एलाएंस फार कंज्यूमर केयर की स्थापना हेतु 3.56 लाख रू. का अनुदान मंजूर किया गया है।

5.17 **उपभोक्ता जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।**

क. केरल स्टेट कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लि०, कोचीन को केरल के 10 जिलों में मोबाइल त्रिवेणी स्टोर में प्रापण हेतु और चारों ओर जल से घिरे दुर्गम क्षेत्रों में 2 फ्लोटिंग त्रिवेणी स्टोर में उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण और उपभोक्ता जागरूकता अभियान के लिए 2.02 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं।

मोबाइल वैन खरीदने के लिए कंज्यूमर फेडरेशन, केरल को उपभोक्ता कल्याण निधि की मंजूरी

ख. **मैसर्स कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), जयपुर** की एक परियोजना 62.32 लाख रूपए की लागत पर राजस्थान के 12 जिलों में उपभोक्ता कार्य के माध्यम से भारत में सबसे निचले वर्गों तक सामान पहुंचाने और नेटवर्किंग के लिए तीन वर्ष के लिए मंजूर की गई है।

ग. मैसर्स मोंडा धुनपुर कल्याण समिति, उत्तरकाशी – को उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में दो जिलों में उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलाप को चलाने के लिए 45 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

घ. गोथामी फाउंडेशन, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश के पिछड़े एवं जनजातीय गांवों में उपभोक्ता शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रचार को आरंभ करने के लिए 90.00 लाख रू. की राशि स्वीकृत की गई है।

ड. कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी को चार राज्यों नामतः त्रिपुरा, झारखण्ड , कर्नाटक और हरियाणा में सामान्य जन के सरोकारों पर ध्यान देने के लिए नए युग में उनके भारतीय उपभोक्ता परियोजना के लिए 90.00 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

च. अयोल्टा मानव संसाधन सोसायटी, नागालैण्ड : नागालैण्ड के लांगलेन जिले में जागरूकता कार्यक्रम के लिए अयोल्टा मानव संसाधन सोसायटी, नागालैंड को 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

छ. वी. किक्खी कल्याण सोसायटी : वी. किक्खी कल्याण सोसायटी, नागालैंड को कोहिमा में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने के लिए 10 लाख रू. की राशि स्वीकृत की गई है।

5.18 **शिकायत निपटान/ काउंसिलिंग/ मार्गदर्शन तंत्र की स्थापना**

(क) नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 3.13 करोड़ रू. की लागत से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण

परियोजना है। देश के किसी भी भाग से उपभोक्ता 1800–11–4000 टोल फ्री नम्बर डायल कर सकते हैं और उपभोक्ता हित के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित परामर्श मांग सकते हैं तथा अपनी शिकायतों का निपटान कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 2010 में तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 3.78 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है।

(ख) **कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड एम्पाएवरमेंट (कोर) सेंटर परियोजना** मंत्रालय द्वारा वेब आधारित उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रम की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता समस्याओं का पता लगाना और संस्थागत प्रयासों के जरिए उनका निवारण करना है तथा जीवंत सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति का प्रयोग करना स्कीम के तहत मंजूर की गई एक अन्य परियोजना है। इस परियोजना को पांच वर्षों की अवधि के लिए 3.50 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूर किया गया है।

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग, जी आई जैड और फिक्की की सहायता से पी पी पी मॉडल के तहत मध्यस्थता सलाहकार केंद्र स्थापित करने के लिए 58.30 लाख रुपए की लागत पर फिक्की को एक परियोजना मंजूर की गई।

(घ) **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली** विभाग ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को उनकी परियोजना, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन स्कीम के समन्वय और मॉनीटरिंग के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नॉलेज रिसोर्स मनेजमेन्ट पोर्टल के लिए 1.67 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने परम्परागत दीप प्रज्ज्वलित करके भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया

5.19 प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार

क. ए एस सी आई, हैदराबाद को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष निकायों के अधिकारियों और सदस्यों के लिए एक साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

ख. तमिलनाडु में चेन्नई के 8 जिलों में खाद्य पदार्थों में सामान्य अपमिश्रकों का पता लगाने के लिए मौके पर परीक्षण हेतु गृहणियों के लिए कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कंसर्ट, चेन्नई को 29.74 लाख रुपए की लागत पर एक परियोजना प्रस्ताव मंजूर किया गया। परियोजना का तीसरा चरण भी 52.02 लाख रुपए की लागत पर मंजूर किया गया है जो तमिलनाडु के 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए है।

ग. जनश्री, तिरुअनंतपुरम को केरल में सुरक्षित और विषमुक्त खाद्य उत्पादन और उपभोक्ता संरक्षण पर तिरुअनंतपुरम में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 10 लाख रु. की अनुदान सहायता मंजूर की गई है।

घ. भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनारः 'प्रगति के पथ पर : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली में 1–2 फरवरी, 2012 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की रजत जयंती मनाई गई।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर पुस्तकों का विमोचन किया

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटन भाषण दिया।

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार में स्वागत भाषण दिया।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर 25वें राष्ट्रीय सेमिनार में श्रोतागण/प्रतिभागी

श्री पंकज अग्रवाल, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार में धन्यावाद भाषण दिया।

राष्ट्रीय सेमिनार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपभोक्ता जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया

5.20 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता**

देश भर में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना उपभोक्ता कल्याण कोष सृजित करने के लिए कहा गया है। वित्तीय सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50:50 के अनुपात में बीज राशि प्रदान की गई है। यह अनुपात 13 विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में बढ़ाकर 90:10 कर दी गई है। केंद्रीय सरकार द्वारा 75:25 (केंद्रःराज्य) के अनुपात में केंद्रीय हिस्से के रूप में कायिक निधि के रूप में 10 लाख रु. की बढ़ी हुई राशि देकर इस स्कीम का विस्तार किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 (केंद्रःराज्य) होगा।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान के एक भाग के रूप में 4.11 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई और 7.50 करोड़ रुपए की राशि राज्य में कायिक निधि स्थाापित करने के लिए केरल सरकार को मंजूर की गई। कंज्यूमर क्लब स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 37 लाख रुपए की राशि दी गई है।

5.21 **राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइनः** नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन की तर्ज पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन स्थापित करने के लिए 2005 में शुरू की गई एक योजनागत स्कीम है जो राज्य और राज्य के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के बीच एक सहभागी प्रयास होगा। ये हैल्पलाइनें संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी और अंग्रेजी में सेवा प्रदान करेंगी। अंततः इन राज्य हैल्पलाइनों को नेटवर्क द्वारा नेशनल कंज्यूंमर हैल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि पहले से ही उपलब्ध डाटाबेस और अनुभव का लाभ उठाया जा सके।

अब तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता हैल्पलाइन स्थापित करने के लिए निधियां मंजूर की जा चुकी हैं। इस स्कीम को बारहवीं योजना अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

उपभोक्ता सहकारिताएं

5.22 उपभोक्ता सहकारिताएं शहरी/ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर पर दूरस्थ, दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में, शहरों/ग्रामों की गन्दी बस्तियों में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की उचित दरों पर आपूर्ति करने की विशिष्ट भूमिका निभाती रही हैं। उपभोक्ता सहकारिताओं का उद्देश्य दलालों को समाप्त करना तथा थोक विक्रेताओं को संरक्षण प्रदान करना और उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को माल की बिक्री करना शामिल है। अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसे सदस्यों में खरीद पर बोनस के रूप में वितरित किया जाता है अथवा कोऑपरेटिव के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता कोऑपरेटिवों को सरकार से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि वे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं। उपभोक्ता कोऑपरेटिव का एक चार स्तरीय ढ़ांचा है जिसमें प्राथमिक स्टोर, थोक/केन्द्रीय स्टोर, राज्य उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशन और राष्ट्रीय उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशन शमिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ)

5.23 एन सी सी एफ देश में राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता सहकारी संगठन है। एन सी सी एफ की स्थापना 16 अक्तूबर, 1965 को हुई थी और इसका संचालन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन किया जाता है। एन सी सी एफ के मामलों का प्रबंधन एन सी सी एफ के उपबंधों के नियमों के आधार पर, चुने गए तथा नामित दोनों प्रकार के सदस्यों वाले एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एन सी सी एफ के वाणिज्यिक प्रचालन मुख्यालय स्तर पर नई दिल्ली में और देश में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में स्थित इसकी 35 शाखाओं/उप–शाखाओं तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में हैंडल किए जाते हैं। एन सी सी एफ भिवानी (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और नोएडा (उ.प्र.) में तीन औद्योगिक इकाइयां चलाता है।

5.24 एन सी सी एफ की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 31.3.2010 तक 13.79 करोड़ रुपये है। इस राशि का अंशदान सदस्यों द्वारा किया गया है, जिसमें से भारत सरकार का अंशदान केवल 10.74 करोड़ रुपये है। अब एन सी सी एफ में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार का हिस्सा लगभग 78% है।

5.25 एन सी सी एफ उत्पादकों/विनिर्माताओं और थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह प्राथमिक रूप से थोक वितरण व्यापार में रत हैं। एन सी सी एफ विविध उपभोक्ता मदों जैसे विभिन्न किस्मों की दालों, खाद्यान्नों, वस्त्र, चाय और अन्य विनिर्मित मदों की थोक खरीदारी और विपणन का कार्य करता है। इसने दालों, आयोडीनयुक्त नमक, उपभोक्ता पैक में रखी चाय, नहाने के साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर जैसी विभिन्न मदों की देश भर में आपूर्ति की भी व्यवस्था की है।

5.26 पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी सी एफ की बिक्री व लाभकारिता नीचे दर्शाई, गई हैः–

5.27 वर्ष 2010–11 के दौरान एन सी सी एफ द्वारा प्राप्त किया गया बिक्री टर्न–ओवर 1414.55

श्रेणी	200 (लेखा परीक्षित)	2007–08 (लेखा परीक्षित)	2008–09 (लेखा परीक्षित)
बिक्री	855.28	1322.39	1464.55
सकल मार्जिन	14.62	24.18	28.32
अन्य प्राप्तियां	3.89	6.55	6.51
निवल लाभ/(हानि)	1.58	8.33	6.81

करोड़ रुपये है। जबकि 2009–10 के दौरान यह उपलब्धि 1322.39 करोड़ रुपये थी। बिक्री का बड़ा भाग किराना तथा सामान्य पण्य मदों की आपूर्ति और आयात/निर्यात (आउट राइट और थ्रू एसोशिएट शिपर्स सहित) से संबंधित था। वर्ष 2010–11 के दौरान, एन सी सी एफ ने कुल 6.81 करोड़ रूपए का मुनाफा कमाया।

5.28 वर्ष के दौरान संघ ने और अधिक क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया और दवाइयों की बिक्री करना, अस्पताल आदि के नवीनीकरण और डिजाइन कार्य, बीज कीटनाशक, जैविक उर्वरकों और जैविक नाशीजीव नाशकों जैसे कृषि आदानों की पूर्ति जैसी व्यापार की नई लाइनों में विविधीकरण का प्रयास किया।

सुपर बाजार – दिल्ली

5.29 कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, जो सुपर बाजार के रूप में लोकप्रिय हुआ, बहु–राज्य सहकारी समिति (एम एस सी एस) अधिनियम 1984 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसका प्रचालन क्षेत्र संपूर्ण देश है। सुपर बाजार भारत सरकार की शेयर पूंजी अंशदान तथा ऋण की किस्तों का भुगतान 1995–96 तक सहमत शर्तों के अनुसार करता रहा है।

5.30 सुपर बाजार में 1996–97 से घाटा होना आरम्भ हुआ, तथा बाद के वर्षों में घटते हुए टर्न ओवर के कारण यह घाटा बढ़ता ही रहा। सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 5 जुलाई, 2002 को सुपर बाजार को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए और 25.7.2002 को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। कर्मचारी यूनियन ने सुपर बाजार को बंद किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर कीं। ये याचिकाएं 19.03.2004 को खारिज कर दी गई थीं।

5.31 सुपर बाजार दलित कर्मचारी संघ ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 8398/2005 दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 26.2.2009 को मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए मैसर्स डब्ल्यु एल पी के नाम को एक एजेंसी के रूप में सुझाया गया था तथा सरकारी परिसमापक/केन्द्रीय पंजीयक को न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। परिसमापन आदेश पुनः जीवन स्कीम के कार्यान्वित होने तक निलम्बित रहेंगे।

5.32 सफल बोलीकर्ता मैसर्स डब्ल्यु एल पी ने सोसायटी की शेयर पूंजी में 102 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। इसके अलावा, सुपर बाजार के कर्मचारियों के 16.5.2003 से 31.12.2007 तक के वेतन के रूप में 54.31 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 15.10.2010 के बाद निदेशक मंडल का गठन हो जाने पर सफल बोलीकर्ता द्वारा वितरित किया जाना अपेक्षित था। बोलीकर्ता ने सुपर बाजार के कार्मिकों को

38 करोड़ रु. (अनुमानित) रिलीज कर दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14.3.2011 को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को चार सप्ताह में न्यायालय की रजिस्ट्री में 14.84 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने का आदेश दिया जो 54.31 करोड़ रुपए की राशि का एक हिस्सा है। माननीय न्यायालय ने बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीयक को खातों के निरीक्षण सहित समय–समय पर निदेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की जिसका अनुपालन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले द्वारा बिना किसी आपत्ति के किया जाएगा।

5.33 सहकारी समितियों के पंजीयक ने 19.7.2011 को सुपर बाजार को चार महीने के भीतर पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को पूरा करने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार सुपर बाजार के कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के निदेश जारी किए। सुपर बाजार के नए प्रबंधन ने सोसायटी की 25 शाखाएं शुरू कर दी हैं और कनाट प्लेस में सुपर बाजार के भवन में अग्निशमन उपाय भी पूरे कर लिए हैं।

उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ (सी जी आर सी)

5.34 विभाग में आपूर्ति/प्रत्याशाओं में कमी, सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिनमें (i) आटोमोबाइल सहित दोषयुक्त घरेलू उपकरणों की आपूर्ति (ii) टी वी सेट की खराब निर्माण सामग्री (iii) सावधि जमा की धनराशि का वापस न मिलना (iv) कंपनियों से डिवीडेन्ड का प्राप्त न होना। (v) बैंक और टेलीकॉम क्षेत्र की शिकायत आदि शामिल है। अतः विभाग ने 13.2.2002 को उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रतितोष हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का निर्णय लिया।

5.35 प्रकोष्ठ को पूरे देश से ऐसे सभी पहलुओं पर बड़ी संख्या में समाधान के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें प्रतितोष हेतु उपभोक्ता समन्वय परिषद को भेजी गई। उक्त प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण प्रकृति की शिकायतों पर उनके शीघ्रातिशीघ्र प्रतितोष हेतु संबंधित विनिर्माताओं/प्राधिकारियों/विभागों आदि से स्वयं बात करता है। प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद ने शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों तक अग्रेषित किया ताकि उनका प्रतितोष किया जा सके।

5.36 उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद को असंतुष्ट उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कोई सांविधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सी जी आर सी और सी सी सी उपभोक्ताओं के पक्ष में संबंधित बैंक, टेलीकॉम और अन्य कंपनियों, संस्थाओं, संगठनों और विनिर्माताओं इत्यादि के साथ उनकी शिकायतों के निपटान से संबंधित मामले पर बात करते हैं। उपभोक्ता के पास भी जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसा भी मामला हो, के पास कानूनी तौर पर प्रतितोष प्राप्त करने के लिये जाने का विकल्प है।

◆◆◆

अध्याय - VI

उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान

उपभोक्ता जागरूकता घरेलू परिदृश्य

6.1 किसी देश में उपभोक्ता आंदोलन की सफलता मूल रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य के साथ देश में पैदा की गई उपभोक्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। जहां कहीं साक्षरता की दर अधिक होती है और सामाजिक जागरूकता अधिक होती है, वहां उपभोक्ताओं का आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की विशालता, भाषाओं की बहुलता, बहु–जातीय सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारत के भीतर ही हम यह पाते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता आंदोलन का स्तर, लोगों का साक्षरता और सामाजिक जागरूकता के स्तर पर निर्भर करते हुए अलग–अलग राज्य में अलग–अलग है।

भारत सरकार की पहलें:

6.2 देश में सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के मौजूदा स्तर और उपभोक्ता आंदोलन के शैशवकाल को देखते हुए धारणीय और व्यापक प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके उनमें जागरूकता का प्रसार करने की जोरदार आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत किया जा सके।

चूंकि उपभोक्ता संरक्षण का विषय बहुत विशाल है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर करता है, के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए, धारणीय आधार पर पर्याप्त वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ एक उचित शिकायत निवारण तंत्र की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार उपभोक्ता को अपने अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी हो जाने पर यदि उसकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो वह और अधिक निराशा महसूस न करे। साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए न्यायिक और अन्य संस्थागत तंत्रों पर कार्यभार बढ़ जाने और परिणामस्वरूप बकाया मामलों में वृद्धि हो जाने के साथ अब समय आ गया है कि विवाद को सुलझाने के लिए अन्य उपायों को देखा जाए। आज के परिदृश्य में वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे लोकतंत्र के संघीय स्वरूप को देखते हुए, बोर्ड में प्रभावी कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर चलना भी अनिवार्य है जो किसी भी तरह से एक सरल कार्य नहीं है। एक और प्रमुख घटक जिसको यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कारक माना जाना है कि कारोबारी व्यापारी वर्ग भी उचित व्यावसायिक ब्यौहारों के फेयर बिजनेस के सिद्धांतों को अपनाएं और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दें।

6.3 अब सार्वभौम तौर यह स्वीकार कर लिया गया है कि उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण का

स्तर किसी देश के विकास और उसके सिविल समाज की प्रगतिशीलता का सच्चा सूचक है। उपभोक्त संरक्षण की आवश्यकता को सार्वभौम तौर पर स्वीकृत किए जाने के कारण, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इस प्रकार हैं: वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती हुई किस्मों जिसको आधुनिक प्रौद्योगिकी ने उपलब्ध कराया है; उत्पादन तथा वितरण प्रणाली का बढ़ता हुआ आकार और जटिलता; विज्ञापन और प्रोत्साहन के अन्य रूपों में विपणन और बिक्री पद्धतियों में सुधार का उच्च स्तर; मास मार्केटिंग पद्ध तियों और उपभोक्ताओं की बढ़ती गतिशीलता के परिणामस्वरूप क्रेता और विक्रेता के बीच निजी व्यक्तिगत संबंध का समान होना। इन सबसे परे, उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति बचनबद्ध ता, सजगता; धन के मूल्य के प्रति सजगता और चिंता ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता की सार्वभौम स्वीकार्यता के प्रादुर्भाव में योगदान किया।

6.4 जहां तक भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संबंध है, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में नोडल विभाग होने के कारण उपभोक्ता मामले विभाग को एक ओर उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न कर देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाने का अधिदेश दिया गया है और दूसरी ओर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करने का अधिदेश दिया गया है। उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में सशक्त करने की आवश्यकता के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है और इसे पहले से ही पूरे विश्व में भली–भांति महसूस किया गया है। वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी की उन्नति और बाजार में अत्याधुनिक गैजेटों का आगमन तथा आक्रामक विपणन कार्यनीतियों ने उपभोक्ताओं के समक्ष न केवल व्यापक विकल्प प्रस्तुत किया है बल्कि तीव्रता के साथ हो रहे ऐसे परिवर्तन के सहगामी–समस्याओं का भी पिटारा खोल दिया है। उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति सतर्क बनाने के लिए उनको शिक्षित और प्रेरित करने की तत्काल और बढ़ती हुई आवश्यकता है। संक्षेप में उपभोक्ता को एक उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों के संबंध में सशक्त किया जाना चाहिए। उसे कुशाग्र बुद्धि के साथ सतर्क रहने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए जिससे कि वो व्यापारी के किसी अनुचित कार्य से स्वयं को बचा सके। उपभोक्ता को इस प्रकार की स्थिति तक पहुंचाने के लिए विश्वसनीय एवं सुविस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ विधिक उपचार विकसित करने की भी आवश्यकता है जहां वे थोड़े से प्रयासों और मामूली खर्च से पहुंच सकते हैं।

6.5 उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से देश व्यापी मल्टीमीडिया जागरूक्ता अभियान चला रहा है जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। **'जागो ग्राहक जागो'** यह नारा अब घर–घर में बस गया है। स्वाभाविक उपसाध्य के रूप में, सभी सरकारी विभागों/संगठनों के साथ टी वी, रेडियो, समाचार–पत्र, रेलवे, आउटडोर विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

6.6 ग्यारहवीं योजना में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए संवेदनशील बनाने हेतु विभाग द्वारा किया गया वर्षवार आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है –

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2007-08	67.00	58.00	45.08
2	2008-09	75.00	91.00	84.36
3	2009-10	78.00	75.04	70.84
4	2010-11	84.00	80.67	80.58
5.	2011-12	87.23	87.23	80 .00 लगभग (आज तक)

6.7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बाद ही, आम उपभोक्ता को व्यावहारिक और सम्पूर्ण प्रतितोष प्रणाली देने के लिए जागरूक प्रयास किए गए हैं। यद्यपि इस प्रारंभिक कानून के निन्दकों की कमी नहीं है, फिर भी पूरे विश्वास के साथ यह माना जा सकता है कि आशय और प्रयोजन की दृष्टि से इसका वास्तव में उपभोक्ता के लिए बनाए जाने का श्रेय प्राप्त है जिसका कोई छिपा हुआ एजेण्डा नहीं है। इसके अलावा, यह वास्तविक रूप से कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

6.8 विभाग भ्रामक विज्ञापन के बढ़ते हुए खतरे के बारे में चिंतित है। यद्यपि इस विषय पर अनेक कानून हैं जिनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ एस एस ए आई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, फिर भी एक व्यापक और शाकल्यवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 4.8.2011 और 14.2.2012 को सभी संबंधित पणधारियों की बैठकें आयोजित की। विभाग ने भी बाद में इसकी एक ऐसे मुख्य मुद्दे के रूप में शिनाख्त की जिस पर शासन और भ्रष्टाचार निवारण के लिए सरकार के प्रयासों में ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक व्यावहारिक, व्यापक और प्रवर्तनीय ढांचा तैयार करने के लिए विभाग देशव्यापी परामर्श कर रहा है ताकि सहमति–जन्य, सशक्त और प्रभावी प्रणाली का निर्णय लिया जा सके। दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के लिए सेमिनार पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। मध्य क्षेत्रीय और उत्तरी राज्यों के लिए सेमिनार आयोजित किए जाने हेतु मार्च, 2012 का समय निर्धारित किया गया है।

उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा

6.9 आज के तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व में दिमाग को झकझोर देने वाली तेजी के साथ ज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे एक ज्ञानवान समाग्री का प्रादुर्भाव हो रहा है। सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता के महत्व के बारे में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कहना न होगा कि सूचित, शिक्षित और जागरूक उपभोक्ता समाज की रीढ़ हैं। उपभोक्ता अभियान की नवीन स्थिति को देखते हुए, उपभोक्ताओं को संगठित प्रचार और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। जिला और तालुका स्तर पर उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न

किए जाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अल्प शिक्षा और कम ज्ञान के कारण गैर कानूनी व्यापार व्यौहारों के शिकार बन जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम को जारी रखने की आवश्यकता है जिसके लिए 'जागो ग्राहक जागो' प्रतिबद्ध है।

6.10 मीडिया को जागरूकता पैदा करने के लिए वाहन के रूप में और समाज को लामबंद करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता के कारण अक्सर बदलाव के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम में प्रारंभ से मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही है।

ग्रामीण उपभोक्ता

6.11 पहले ग्रामीण उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थे क्योंकि उनकी शक्ति कम थी, बाजार का आकार सीमित था और बाजार के प्रति दृष्टिकोण संकीर्ण था। तथापि, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण हो जाने से विभिन्न प्रकार की विपणन नीतियों का जन्म हुआ है जिन्हें ग्रामीण उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए व्यापारिक एजेंसियों ने अपना लिया है। शहरी बाजार में ठहराव और अप्रयुक्त विशाल ग्रामीण बाजार का प्रयोजन बाजार शक्तियों और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के लिए कितने ही समय तक बाजार में टिके रहने के लिए बहुत बड़ी शक्ति बनते जा रहें हैं। तथापि, चूंकि जनसंचार माध्यम और सूचना प्रौद्योगिकी का आमना–सामना बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण उपभोक्ता में उत्पादों और सेवाओं के बारे में उत्तरोत्तर रूप में अधिक सूचित होते जा रहे हैं तथा परम्परागत संदर्भ समूहों पर उनकी निर्भरता समाप्त होती जा रही है।

6.12 पिछले अध्याय में दी गई सूचना की पृष्ठभूमि में हमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जांच करने की आवश्यकता है।

6.13 अभियान चलाने और उसको जारी रखने के लिए 2005 से प्रतिवद्ध सरकार ने एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की जरूरत को सही महसूस किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जागरुकता के बढ़ते हुए स्तर के साथ यह जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ताओं को अन्याय और शोषण, जब भी ध्यान में आए, से प्रतितोष प्राप्त हो। यदि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा मुनाफाखोरों के निरंतर बढ़ते हुए जाल से न्याय पाने हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक उचित प्लेटफार्म की व्यवस्था किए बिना अभियान चलाया जाता है, तो यह अत्यन्त–अदूरदर्शिता और गैर–जिम्मेदारी होगी। तदनुसार केंद्र सरकार उपभोक्ता भेदों के कार्यकरण सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए अनवरत आधार पर कदम उठा रही है।

6.14 अभियान की सफलता इस तथ्य से दृष्टिगोचर होती है कि अभियान में प्रमुख विभागों/संगठनों की भागीदारी बढ़ रही है। चूंकि विभाग ने आम जनता की कमाई की चाहत में दूसरों से हाथ मिलाने के लिए अपनी इच्छा और क्षमता दिखाई है, इसलिए अब विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को उठाया जा रहा है, कामन वैल्थ खेलों के दौरान सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाओं, नागरिक जागरुकता के मुद्दों पर अभियान चलाए गए। विभाग ने अपने मुख्य मुद्दों पर विज्ञापन निकालना भी जारी रखा। अभियान सबको साथ लेकर चलाया जाता रहा और इसके साथ ही

समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर मीडिया आदि के माध्यम से विज्ञापन भी निकाले गए। दूर–दराज और भीतरी भागों में पहुंचने के लिए समाचार पत्रों के हिंदी, अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री डाली गई। इसी प्रकार राष्ट्रीय चैनलों और क्षेत्रीय चैनलों में भी रेडियो और टी.वी. विज्ञापन दिए गए। दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा उनके विस्तृत नेटवर्क का सार्थक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी एफ एम केंद्रो और टी वी चैनलों का भी व्यापक प्रयोग किया गया। स्थानीय भाषाओं में संदेश का प्रसार करने के लिए बिलबोर्डों, होर्डिंगों, मेट्रो रेलवे, स्थानीय बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, पोस्ट आफिसों आदि का प्रयोग काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ, ''जागो ग्राहक जागो'' की मौजूदगी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और आगन्तुकों के लिए उसको देखना अनिवार्य हो गया है। इस स्वीकारोक्ति के लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस विभाग ने जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए आई टी टी ओ नई दिल्ली, भुवनेश्वर में 19वीं साईस क्रांग्रेस, 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में सुंदरबन मेला और जयपुर में थर्ड विजन 2012 जैसे विभिन्न व्यापार मेलों और समारोहों में भाग लिया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2011 उपभोक्ता जागरुकता पर स्टाल

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2011 में जागो ग्राहक जागो स्टॉल पर उपभोक्ता जागरुकता के बारे में आगन्तुको को जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारी

विद्यार्थियों ने आई आई टी, भुवनेश्वर–उड़ीसा में 30 जनवरी 2012 से 7 जनवरी 2012 तक 99 इंडियन साईस कांग्रेस प्राइड आफ इंडिया एक्सपो–2012 का दौरा किया।

श्री मनोज कुमार परिडा, संयुक्त सचिव, उ.मा. विभाग ने विद्यार्थियों के आई आई टी, भुवनेश्वर–उड़ीसा में 30 जनवरी 2012 से 7 जनवरी 2012 तक 99 इंडियन साईस कांग्रेस प्राइड आफ इंडिया एक्सपो–2012 का दौरा किया।

बिल एडिटोरियम, जयपुर राजस्थान में 15.1.12 से 17.1.12 तक आयोजित थर्ड विजन राजस्थान 2012 में उपभोक्ता जागरुकता स्टाल

बिल एडिटोरियम, जयपुर राजस्थान में 15.1.12 से 17.1.12 तक आयोजित थर्ड विजन राजस्थान 2012 में उपभोक्ता जागरुकता स्टाल में ग्रामीण और शहरी आगंतुक।

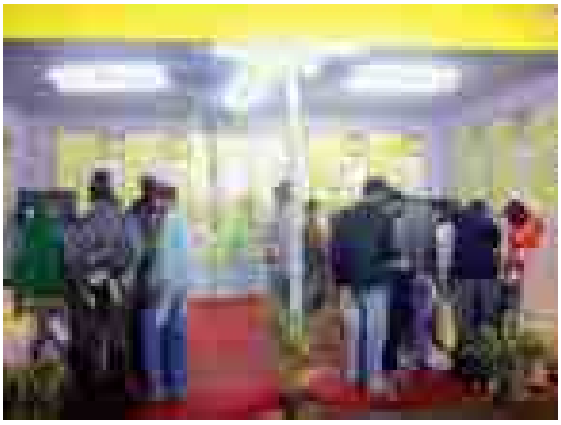

3 जनवरी, 2012 को सुंदर वन मेला के दौरान 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में 'जागो ग्राहक जागो' स्टाल

6.15 अभियान की एक और उल्लेखनीय विशेषता केंद्रीय सरकार द्वारा संघीय ढांचे को दृष्टि में रखते हुए राज्यों को शामिल करने के लिए किए गए सजग प्रयास हैं। इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ताओं को केवल विज्ञापनों और उनके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं में आई जागरुकता का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उनके पीछे उतने ही मजबूत विनियमों और नियमों का प्रवर्तन न हो। चूंकि भारतीय संदर्भ में अक्सर यह होता है कि जिन राज्यों को अधिकांशतः प्रवर्तन प्राधिकारी का कार्य दिया जाता है, यह स्वाभाविक है कि राज्य सक्रिय रूप से उसी कार्य में सम्मिलित रहेंगे जो उन्हें दिया गया हो। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र उन जागरूकता अभियानों को चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देता रहा है, जो उनके क्षेत्र के लिए अधिक प्रासंगिक है और अपने स्थानीय नागारिकों की आकांक्षाओं पर अधिक नजर रख सकते हैं।

6.16 अभियान में इस तथ्य को नजर में रखा गया है कि को यदि उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है, तो शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता के बारे में उनको जानकारी दिए बिना केवल, उनके अधिकारों की जानकारी देना और

उपभोक्ताओं को जागरूक करना अधिक फायदेमंद नहीं है।

6.17 इस अभियान को चलाते समय जो बड़ा कदम उठाया गया, वह उपभोक्ताओं को इस बारे में शिक्षित करने का निर्माण लिया जाना था कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही मंचों के पास जाएं न कि पहली बार में ही। यह नहीं कहा जा सकता है कि उपभोक्तातओं को निसंदेह भटकने दिया जा रहा है। उन्हें समझाया जाता है और उपभोक्ता हैल्पलाइन के रूप में एक व्यवहार्य विकल्प दिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के हित और उनकी शिकायतों को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करता है। विभाग ने क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय मुद्दों को निपटाने के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करके एक और बड़ा कदम उठाया है।

6.18 हालाकि अभियान के दौरान उपभोक्ता अदालतों से संबंधित जानकारी वितरित की जाती रही है, किन्तु जोर उपभोक्ता के सशक्तिकरण पर दिया जाता रहा ताकि वह सूचित निर्णय ले सके। इससे पहले कि उपभोक्ता अपनी शिकायत को उपभोक्ता मंच तक ले जाएं उसको खुदरा विक्रेताओं, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध इन हाऊस निपटान तंत्र के बारे में सलाह देने के प्रयास किए जाते हैं।

6.19 **अभियान का वर्तमान रुझान** इसको अधिक परिणामोन्मुख बनाना है ताकि व्यक्ति वास्तविक जीवन के मामलों को चिह्नित कर सके। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित बड़े निर्णयों/आदेशों का प्रयोग उपभोक्ताओं और शिकायत कर्ताओं में यह विश्वास जगाने के लिए विज्ञापनों को बनाने के आधार के रूप में किया जा रहा है कि हमारे उपभोक्ता न्यायालय प्रभावशाली हैं।

6.20 अभियान एक गत्यात्मक आयाम होना अनिवार्य है और तदनुसार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी जागरूक करने के आगे भी प्रगति हुई है। हाल ही की मीडिया गतिविधियां जिसमें उपभोक्ताओं को पंक्ति में खड़े रहने, यातायात के नियमों का अनुपालन करने आदि जैसी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है परिपक्व अभियान के स्वागत के संकेत हैं।

6.21 उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के बावजूद असाधारण विलम्ब और प्रक्रियात्मक तकनीकी बारीकियों के कारण उपभोक्ता मंचों में जाने से झिझकते हैं। इसलिए वैकल्पिक प्रतितोष तंत्र और कोर्ट से बाहर समझौते के लिए संस्थागत तंत्र को विवाचन, मध्यस्थता और समझौता द्वारा मौजूदा तंत्र को संबल प्रदान किया जा रहा।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन

6.22 विभाग ने उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के प्रतितोष के संबंध में परामर्श देने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और निशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800–11–4000 शुरू किए हैं जिसे दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को निशुल्क नम्बर की सुविधा और 011–27662955–58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) में प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक उपलब्ध है। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों के जरिए नेशनल हैल्प लाइन का पर्याप्त प्रचार किया गया है ताकि पीडित उपभोक्ता नेशनल हैल्पलाइन के जरिए मार्गदर्शन/परामर्श प्राप्त कर सके।

◆◆◆

अध्याय-VII

वायदा बाजार आयोग

7.1 वायदा बाजार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है। वायदा बाजार आयोग को विभिन्न कार्य करने के लिए 5 प्रभागों में गठित किया गया है।

7.2 इस समय आयोग के अध्यक्ष श्री रमेश अभिषेक हैं और डा० एम० मथिशेखरन सदस्य हैं। आयोग के आर्थिक सलाहकार डा0 मथिशेखरन ने 16 दिसम्बर, 2011 को वायदा बाजार आयोग, मुंबई के सदस्य के पद का कार्य भार सँभाला।

7.3 आयोग के कार्य संचालन के लिए आयोग में स्वीकृत स्टाफ 133 हैं जिनमें से 76 कार्यरत हैं जबकि 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 57 पद खाली पड़े हैं। इनका ब्यौरा **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है। कार्यालय में स्वीकृत स्टाफ की संख्या में 72 अधिकारी और 63 सहायक कर्मचारी हैं।

7.4 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं है।

7.5 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। इस कार्यालय में ऐसे व्यक्तियों के लाभार्थ कोई विशेष स्कीम भी नहीं है। 2011–12 की योजनागत स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय **अनुलग्नक– II** में दिया गया है।

7.6 आयोग ने लेखा–परीक्षा टिप्पणियों पर लेखा परीक्षा निदेशक मुंबई को चार रिपोर्टें प्रस्तुत की। इनमें से 3 मामलों को निपटा दिया गया है और एक लंबित है।

वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन

7.7 वस्तु भावी सौदा बाजार दो महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य अर्थात किसी दी गई वस्तु के संदर्भ में भविष्य में मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है। यह उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ साथ किसानों को उन वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिकूल संचलन के खिलाफ अपने को बचाने की सुविधा मुहैया करता है जिसमें वे व्यापार करते हैं।

भावी सौदा व्यापार के विनियमन का तरीका

7.8 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी सौदा बाजार उनको सौंपे गए आर्थिक कार्यों का निष्पादन दक्षता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से करे, भावी सौदा व्यापार का विनियमन तीन स्तरीय विनियामक ढांचे अर्थात केन्द्रीय सरकार, वायदा आयोग और मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों/एसोसिएशनों द्वारा किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2011 की

स्थिति के अनुसार भावी सौदा व्यापार करने वाले मान्यता प्राप्त। एसोसिएशनों/एक्सचेंजों की सूची **अनुलग्नक–III** पर है।

7.9 मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज/एसोसिएशन, वायदा बाजार आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यापार, निकासी और निपटान के नियमों और विनियमनों का फ्रेम वर्क प्रदान करते हैं। इन नियमों और विनियमों के अनुसरण में बाजार में प्रतिभागियों द्वारा वस्तुओं का भावी सौदा व्यापार किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार भावी सौदा व्यापार के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची अनुलग्नक– IV पर दी गई है।

7.10 वायदा बाजार आयोग एक बाजार विनियामक की भूमिका निभाता है। बाजार स्थिति का आकलन करने के बाद और एक्चेंज के निदेशक मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एक्चेंज के नियमों और विनियमों को अनुमोदित करता है जिसके अनुसार व्यापार किया जाता है। आयोग विभिन्न संविदाओं में व्यापार शुरु करने की अनुमति प्रदान करता है, बाजार स्थिति की लगातार निगरानी करता है और विभिन्न विनियामक उपाय करके जहां आवश्यरक हो उपचारात्मक उपाय करता है जो इस प्रकार से हैं:–

विनियामक उपाय

7.11 भावी सौदा बाजारों का विनियमन अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित उपायों से किया जाता है:

- अधि–व्यापार को रोकने के लिए ग्राहक/सदस्य की ओपन पोजिसन पर सीमा लगाना,
- मूल्यों में अचानक वृद्धि या गिरावट को रोकने के लिए दैनिक मूल्य उतार चढ़ाव पर सीमा लगाना,
- प्रारंभिक मार्जिन, विशेष मार्जिन, कन्सेंट्रेशन मार्जिन आदि जैसे मार्जिन लगाना,
- मूल्य संचलन पर आधारित दैनिक निकासी (संविदाओं के बाजार की शिनाख्त करना)
- विनियामक उपबंधों के उल्लंघन के लिए निलंबन सहित गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई करना,
- आकस्मिक स्थितियों में संविदा को समाप्त करना।

7.12 बाजार दक्षता को सुधारने, पारदर्शिता को बढ़ाने और बेहतर अनुपालन के लिए, वायदा बाजार आयोग/एक्सचेंज वर्ष 2006 07 से नियमित आधार पर सदस्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।

अपने उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति करने में 2011–2012 के दौरान दिसम्बर तक वायदा बाजार आयोग का समग्र कार्य निष्पादन और उपर्युक्त भौतिक आयामों के रूप में 2011–2012 हेतु दृष्टिकोण।

7.13 जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताया गया है, आयोग की विनियामक गतिविधियां उन सभी वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के विनियमन से संबंधित है जिनमें व्यापार किया जाता है। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन में, आयोग अधिनियम के

दाण्डिक उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देता है।

7.14 विनियामक के रूप में आयोग ने वर्ष 2011–12 के दौरान अपनी गतिविधियों को वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के विनियमन, विभिन्न पणधारियों के बीच जागरूकता के प्रसार, विभिन्न सरकारी, सहकारी समितियों, बैंक अधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को चलाने, आयोग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, भावी सौदा बाजार में हैजरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय करने तथा विभिन्न कृषि उपज विपणन समितियों में मूल्य प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन पर केन्द्रित रखा।

7.15 वर्ष के दौरान आयोग ने 21 मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों पर 113 से अधिक वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार को विनियमित किया। वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान व्यापारित वस्तुओं का कुल मूल्य 137.23 लाख करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2010–11 की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 82.71 लाख करोड़ रुपए था।

वायदा बाजार आयोग द्वारा उठाए गए विनियामक कदम

7.16 मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेंजों को मान्यता और पंजीकरण की मंजूरी/नवीनीकरण।

(क) निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता का नवीनीकरण किया:

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	मान्यता के नवीकरण की अवधि और अनुमेय वस्तएं	अधिसूचना की तारीख
1.	नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड, इन्दौर	1 जून, 2011 से 31 मई, 2013 तक रेपसीड/सरसों में अग्रिम संविदाएं	21 अप्रैल, 2011
2.	ईस्ट. इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड, कोलकाता	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक जूट की वस्तुएं (हैसियन और सैकिंग) में (टी.एस.डी)	21 मार्च, 2011
3.	ईस्ट. इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज, लिमिटेड, कोलकाता	7 अप्रैल, 2011 से 6 अप्रैल, 2012 कच्चे जूट (मेस्ता सहित) में अग्रिम संविदाएं	21 मार्च, 2011
4.	मेरठ एग्रो कमोडिटी कं० लिमिटेड, मेरठ	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक गुड़ में अग्रिम संविदाएं	21 मार्च, 2011
5	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज, बीकानेर	1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक ग्वार गोंद, चना और सरसों में अग्रिम संविदाएं	2 अगस्त, 2011

नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एन एम सी ई), अहमदाबाद को पाँच वर्ष के प्रचालन के बाद राष्ट्रव्यापी मल्टीं कमोडिटी एक्सचेंज के इक्विटी स्ट्रक्चर में 29 जुलाई, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 1 अक्तूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक छः माह की अवधि के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी गई।

(ख) पंजीकरण का नवीकरण

आयोग ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता की अवधि के अनुरूप पंजीकरण की अवधि का विस्तार किया है:

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	अनुमेय वस्तुएं	नवीकृत पंजीकरण की अवधि	पंजीकरण की तारीख
1	ईस्ट. इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड, कोलकाता	जूट की वस्तुएं टी एस डी (हेसियन एंड सेकिंग)	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	11 अप्रैल, 2011
		कच्चा जूट (मेस्ता सहित)	7 अप्रैल, 2011 से 6 अप्रैल, 2012 तक	2 मई, 2011
2	मेरठ एग्रो कमोडिटी एक्सचेंज, मेरठ	गुड़	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	11 अप्रैल, 2011
3	नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड लिमिटेड	रेप/सरसों	1 जून, 2011 से 31 मई, 2013 तक	5 मई, 2011
4	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	ग्वार गोंद, चना और सरसों	1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक	18 अगस्त, 2011

(ग) आयोग ने निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता को नवीकृत करने के लिए विभाग को सिफारिशें की:

(i) राजधानी ऑयल और आयल सीड एक्सचेंज, लिमिटेड, दिल्ली को रेपसीड/सरसों और गुड़ में भावी सौदा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए।

(ii) सैंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लिमिटेड, ग्वालियर को रेपसीड और सरसों के संबंध में 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए।

(iii) चैम्बर्स ऑफ कामर्स, हापुड़ को गुड़ में भावी सौदा व्यापार के संबंध में 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए।

7.17 मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेंजों को वस्तुओं में व्यापार के लिए अनुमति प्रदान करना:

वर्ष के दौरान, आयोग ने समय समय पर सभी मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों को वस्तु भावी सौदा संविदाओं में व्यापार की अनुमति प्रदान की। आयोग द्वारा वर्ष के दौरान दी गई अनुमतियों के ब्यौरे अनुलग्नक–V–क और ख में दिए गए हैं।

7.18 विनियामक उपायों में संशोधन

व्यापार के हित में और जनहित में आयोग कमोडिटी एक्सचेंजों की व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी करता है और समय समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न विनियामक उपाय भी अधिरोपित करता है जैसे कि धनिया, हल्दी, कपास, मेंथा तेल, ग्वार, ग्वार गोंद, काली मिर्च, अरंड बीज और चना संविदाओं के संबंध में विशेष मार्जिन में संशोधन।

7.19 नेशनल एक्सचेंजों को निदेशः

व्यापार के हित में और जन हित में, आयोग ने नेशनल एक्सचेंजों को निम्नलिखित निदेश जारी किए।

7.19.1 यूनीक क्लाइंट कोड ब्योरों को अपलोड किए बिना व्यापार नहीं करने के निदेशः–

कमोडिटी फ्यूचर मार्किट में बाजार और वित्तीय अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 7 मार्च, 2011 को सभी नेशनल एक्सचेंजों को निदेश जारी किए कि सदस्यों को एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा पैन नम्बर सहित यूनीक क्लाइंट कोड ब्यौरे सदस्यों के पते आदि अपलोड किए बिना अपने सिस्टम पर व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तथापि, यह पाया गया कि कुछ सदस्यों ने यू सी सी ब्यौरे अपलोड किए बगैर एक सप्ताह अथवा माह से अधिक तक व्यापार किया। इस मुद्दे की विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने 4 अक्तूबर, 2011 को ग्राहकों के यूनीक क्लाइंट कोड ब्यौरे अपलोड किए बिना सदस्य द्वारा किए गए प्रत्येक व्यापार के मूल्य की 1% की दर पर उस सदस्य पर जुर्माना निर्धारित किया। यदि ग्राहक ब्यौरों को व्यापार के एक माह के अन्दर अपलोड नहीं किया जाता है तो सदस्य को निलम्बित भी किया जा सकता है। इस निदेश से ऐसे व्यापारों में काफी कमी आई है।

7.19.2 क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनः

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार करने वाले सदस्यों द्वारा क्लाइंट कोड मोडिफिकेशन सुविधा का दुरुपयोग न हो, आयोग ने नेशनल एक्सचेंजों को संशोधित निदेश जारी किए हैं। क्लाइंट कोड मोडिफिकेशन सुविधा की अनुमति केवल यर्थाथ पंचिग त्रुटियों की शुद्धियों के लिए दी जाएगी, वह भी व्यापार दिवस के निर्धारित समय के दौरान ही। क्लाइंट कोड मोडिफिकेशन के लिए जुर्माना ऐसे व्यापार के मूल्य का 1% है जिसके लिए क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया। ऐसे व्यापार के लिए जुर्माना 2% होगा जिसके लिए क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया है बशर्ते वह सदस्य द्वारा उस दिन किए गए व्यापार के 5% से अधिक हो। व्यापार के मूल्य को ध्याान में रखे बिना क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनों के लिए 25,000/– रुपए का न्यूनतम जुर्माना वसूला गया। एक्सचेंजों को आयोग को सूचित करते हुए यर्थाथ क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनों के मामले में जुर्माने को माफ करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनों पर इन निर्देशों के जारी होने के बाद, आयोग को सदस्यों और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें आयोग द्वारा निर्धारित 25,000/– रुपये के न्यूनतम जुर्माने पर पुनर्विचार करने और क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनों की यर्थातता निर्धारित करने के लिए मापदण्डों में छूट देने का अनुरोध किया गया। आयोग ने सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया

और उन पर विस्तृत चर्चा करने के बाद और नेशनल एक्सचेंजों के साथ परामर्श करके 26.12.2011 को क्लाइंट कोड मोडिफिकेशन के लिए 25,000/– रुपए न्यूनतम जुर्माने को घटाकर 5,000/– रुपये किया। संशोधित जुर्माना ढ़ांचे को 01.01.2012 से लागू किया गया। संशोधित जुर्माना ढ़ांचे के बाद क्लाइंट कोड मोडिफिकेशनों में काफी कमी आई।

7.19.3 ग्राहकों से पूर्णत नकद रूप में मार्जिन वसूल करने के लिए निर्देश

आयोग ने 2 जून, 2011 को नेशनल एक्सचेंजों को अपने सदस्यों को यह सलाह देने का निदेश दिया कि वे ग्राहकों से मार्जिन पूर्णतः नकद रूप में लें और यह सुनिश्चित करे कि वे ग्राहकों के स्वामित्व में हों।

7.19.4 दोषी सदस्यों के बारे में एक्सचेंजों के बीच सूचना का आदान प्रदान

आयोग ने दोषी सदस्यों के बारे में एक्सचेंजों के बीच सूचना के आदान प्रदान के संबंध में 30 जून, 2011 को जारी किए गए निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए 13 सितम्बर, 2011 को नेशनल एक्सचेंजों को निर्देशों का एक अन्य सेट जारी किया ताकि इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके।

7.19.5 कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज में ग्राहक खातों का पृथक्करण

आयोग ने, सदस्यों के पास ग्राहक निधियों को सुरक्षा प्रदान करने और प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए सभी नेशनल एक्सचेंजों को 26 सितम्बर, 2011 को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि जिन कमोडिटी स्पाट–एक्सचेंजों को भारत सरकार द्वारा अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 की धारा 27 के तहत छूट दी गई हो और जिनके संबंध में भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजों पर उसके व्यापार के अलावा वायदा बाजार आयोग को नामोदिष्ट एजेंसी के रूप में नामित किया है, में उसी ग्राहक की ओर से किसी सदस्य द्वारा व्यापार की विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत अनुमति दी जाएगी।

7.19.6 पूर्व–वित्तपोषित उपकरणों संबंधी निर्देश

आयोग, लेखा परीक्षा प्रणाली को बनाए रखने तथा ग्राहकों के खातों में अवैध रूप से जमा राशि और धन उधार देने तथा अन्य गैर–कानूनी गतिविधियों से संबंधित विवादों से बचने के लिए 27 सितम्बर, 2011 को एक्सचेंजों को निर्देश जारी किए कि वे पूर्व वित्त पोषित उपकरणों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

7.19.7 निवेशक सुरक्षा निधि पर निर्देशः

एक्सचेंजों द्वारा निवेशक सुरक्षा निधि स्थापित करने के लिए आयोग ने 28 सितम्बर, 2011 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में अन्य के साथ साथ आई पी एफ के गठन और प्रबंधन संबंधी उपबंध, आई पी एफ में अंशदान, दावों के संवितरण की प्रक्रिया और दावों की क्षतिपूर्ति के लिए न्यूनतम सीमाएं शामिल हैं। आई पी एफ का प्रबंधन एक न्यास द्व ारा किया जाएगा, जिसमें दो प्रख्यात व्यक्ति और एक बोर्ड आफ एक्सचेंज का स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड आफ एक्सचेंज में वायदा बाजार आयोग का नामिती और एक्सचेंज का एम डी/सी ई ओ शामिल होंगे। न्यास को बनने तक, एक्सचेंज आई पी एफ के संचालन के लिए आई पी एफ

समिति का गठन करेंगे। एक्सचेंजों से 15 नवम्बर, 2011 तक समिति और 31 मार्च, 2012 तक न्यास स्थापित करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, सभी नेशनल एक्सचेंजों ने समितियां गठित की है। आई पी एफ की स्थापना से सदस्यों की चूक से खुदरा ग्राहकों की सुरक्षा होगी और इससे इन बाजारों में उनका विश्वास बढ़ेगा।

7.19.8 ग्राहकों के लिए एम समान के वाई सी खाता खोलने संबंधी दस्तावेज पर दिशा निर्देश

आयोग ने 20.12.2011 को सभी विनियमित प्रतिष्ठानों/एक्सचेंजों को ग्राहक खाता खोलने के लिए साझा के वाई सी दस्तावेज तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यह 1 अप्रैल, 2012 से प्रचालित किया जाएगा। इससे ग्राहकों को दस्तावेज के एकल सेट का प्रयोग करके बहुत कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापारिक खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

7.20 संगम के अनुच्छेदों में संशोधन का अनुमोदन और वस्तुविशिष्ट (क्षेत्रीय एक्सचेंजों) का नवीकरण/पंजीकरण:

7.20.1 आयोग ने शुल्कों में संशोधन और निदेशक मंडल के गठन संबधी बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, बीकानेर के संगम के अनुच्छेद में संशोधन का अनुमोदन किया।

7.20.2 आयोग ने, पंजीकरण के संबंध में नेशनल मल्टी कमोडिटी, एक्सचेंज, अहमदाबाद के संगम के अनुच्छेदों और मध्यस्थता संबंधी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई के उप नियमों में संशोधनों का अनुमोदन दे दिया है।

7.20.3 आयोग ने एन सी डी ई एक्स के उप–नियमों के उप–नियम 11.2 के खण्ड. (1) में उल्लिखित सभी दावों, मतभेदों या विवादों को प्रस्तुत करने की सीमा को छः माह से बढ़ाकर तीन वर्ष करते हुए नेशनल कमोडिटी एवं डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई के उप–नियमों के उप–नियम 11.4 में संशोधन को अनुमोदन दे दिया है।

7.21 ए० सी० ई० कमोडिटी एक्सचेंज का कोटक महिन्द्रा बैंक के साथ गठबंधन

ए० सी० ई० ने अपने प्लेटफार्म पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए निरंतर निधियां प्रदान करने हेतु कोटक महिन्द्रा बैंक के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की। इस गठबंधन से कोटक महिन्द्रा बैंक को निधियां देने और एक्सचेंज का व्यावसायिक निकासी सदस्य् के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के लिए निधियों की अल्पकालिक आवश्यकताओं के पूरा होने की संभावना है।

यह एक्सचेंज का सराहनीय कदम है जिससे बाजार के विकास में मदद मिलेगी। यह कृषकों और एग्रीगेटरों जैसे प्रतिभागियों को भौतिक स्टाक के साथ निधियों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें एक्सचेंज प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

7.22 सदस्यों और मध्यस्थों का पंजीकरण

सदस्यता पंजीकरण प्रणाली 2011–12 में जारी रही। दिसम्बर, 2011 तक वायदा बाजार आयोग में पंजीकृत सभी कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्यों की संख्या 5388 है। मध्यस्थों की कुल पंजीकृत संख्या 270 है जिनमें से 41 वेयरहाऊस हैं।

7.23 ग्राहकों की शिकायतें

आयोग को एक्सचेंज सदस्यों के पास पंजीकृत ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सदस्यों द्वारा उनके खाते में अनधिकृत व्यापार किए जाने, सदस्यों से कांट्रेक्ट नोट प्राप्त नहीं होने, ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किए जाने आदि के आरोप लगाए जाते हैं। ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निपटान करने के लिए उनकी शिकायतें संबंधित एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं। सदस्य द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघन के कतिपय मामलों में आयोग संबंधित सदस्य की सदस्यता को निलंबित करने तथा सदस्य को अग्रिम संविदा करने से रोकने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 12 (ख) के तहत नोटिस जारी करता है।

7.24 बही खातों की लेखा परीक्षा/निरीक्षण

बाजार कुशलता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर अनुपालन के लिए, वायदा बाजार आयोग/एक्सचेंज नियमित आधार पर सदस्यों के निरीक्षण कर रहे हैं। तथापि, निरीक्षण विस्तृत हो और लागू विनियामक प्रणाली के सभी पहलुओं को कवर करे, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा परीक्षा के लिए एक दिशा निर्देश पुस्तिका निकाली है। यह दिशा निर्देश पुस्तिका विनियामक पहलुओं सहित कमोडिटी फ्यूचर मार्किट में व्यापार संबंधी विभिन्न पहलुओं को कवर करती है और ऐसे निरीक्षणों को करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है।

वायदा बाजार आयोग द्वारा पैनल में रखे गए लेखा–परीक्षकों द्वारा निरीक्षण कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सदस्य का वर्ष में एक से अधिक एक्सचेंज द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी, एक्सचेंजों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे निरीक्षण के लिए तीन वर्षों में कम से कम एक बार अपने सक्रिय सदस्यों को कवर करें अर्थात कम से कम सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाए।

वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2011 तक, आयोग ने लेखा परीक्षकों को एक्सचेंजों के 303 सदस्यों की लेखा परीक्षा, 5 नेशनल एक्सचेंजों की लेखा परीक्षा, 12 क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंज लेखा परीक्षा और एक विशेष लेखा–परीक्षा का कार्य सौंपा।

7.25 अदालती मामले और विधिक मामले

अपने विनियामक कार्यों, खासतौर पर प्रवर्तन कार्यों का निर्वहन करते समय आयोग को अलग अलग पक्षों/प्रतिष्ठानों के साथ मुकदमों का सामना करना पड़ता है। आयोग और/अथवा भारत संघ पर उच्चतम न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में दायर निम्नलिखित अदालती मामलों में प्रतिवादी के रूप में मुकदमा चलाया गया है। अदालती मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र०सं०	मामले का ब्यौरा	किसने दायर किया	मामले की स्थिति
1.	2009 की रिट याचिका सं (सी) 56509	चैम्बर्स आफ कामर्स, हापुड़ में अपनी सदस्यता बहाली के लिए मैसर्स भगवानदास रामेश्वर दयाल और अन्यों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष।	माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 04.04.2011 को याचिका को आहरित मानकर निरस्त कर दिया था।
2.	2010 का जनहित वाद (पी.आई.एल) सं० 50	मीरा भयन्दर जागृति संस्था द्वारा वस्तु भावी सौदा व्यापार पर बिक्री कर न लगाये जाने के बारे में बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष।	माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकृति के स्तर पर 05.04.2011 को निरस्त कर दिया।
3.	कंपनी याचिका सं० सी पी / 14 / 397 और 398 / सीबी / 2011	तलत महमूद और 52 अन्यों द्व ारा एफ सी ई आई की असाधारण आम सभा की बैठक बुलाने और 11.12.2010 को आयोजित वार्षिक आम सभा के प्रारूप कार्यवृत्त की पुष्टि करने तथा निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए कंपनी लॉ बोर्ड चेन्नई उच्च न्यायालय के समक्ष।	कंपनी लॉ बोर्ड चेन्नई ने 22.06.2011 को कंपनी याचिका को आहरित मानकर निपटान कर दिया।
4.	2011 का मूल आवेदन सं० 16	श्री एम आर पिल्लई द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद पेंशन में संशोध ान के परिकलन में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण मुंबई बैंच के समक्ष।	वायदा बाजार आयोग ने जवाबी हलफनामा दायर किया और मूल आवेदन को 10 जनवरी, 2012 तक स्थगित किया।
5.	2011 की रिट याचिका (सी) 2071	महाराष्ट्र शुगर मर्चेन्ट एंड ब्रोकर एसोसिएशन तथा अन्यों द्वारा एन सी डी ई एक्स द्वारा जारी शुगर फ्यूचर विनिर्देशनों को समाप्त करने के लिए क्योंकि इनमें निर्धारित पोजिशन सीमाएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्धारित 200 मीट्रिक टन की सांविधिक स्टॉक सीमा से प्रतिकूल है बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष।	वायदा बाजार आयोग ने जवाबी हलफनामा दायर किया और सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

क्र०सं०	मामले का ब्यौरा	किसने दायर किया	मामले की स्थिति
6.	2011 की एस एल पी (सी) 14990–14991	पॉवर एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष वायदा बाजार आयोग द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका संख्या 1604 और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका संख्या 330 में माननीय बौम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 7.2.2011 के निर्णय/आदेश को चुनौती।	वायदा बाजार आयोग ने पी एक्स आई एल द्वारा अपने आवेदन में अंतरिम राहत के लिए मांगे गए अंतरिम स्टे का विरोध करते हुए जवाबी हलफानामा दायर किया। सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।
7.	2011 की एस एल पी (सी) 15253–15256	केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग द्वारा भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वायदा बाजार आयोग द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका संख्या 1604 और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका संख्या 330 में माननीय बोम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 7.02. 2011 के निर्णय/आदेश को चुनौती।	वायदा बाजार आयोग ने सी ई आर सी द्वारा अपनी एस एल पी में मांगे गए अंतरिम स्टे का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया। सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।
8.	2011 की एस एल पी (सी) 17300–17303	वायदा बाजार आयोग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष वायदा बाजार आयोग द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका 1604 और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एम सी एक्स०) द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका 350 में माननीय बाम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 7.2.2011 के निर्णय/आदेश को चुनौती।	माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25. 7.2011 को एस एल पी पर सुनवाई की और उत्तर दायर करने के लिए पारिवादियों को समय दिया। सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

क्र०सं०	मामले का ब्यौरा	किसने दायर किया	मामले की स्थिति
9.	2011 की रिट याचिका (सी) 19880	एफ सी ई आई, कोच्ची., ए ए हनीफा और के के निजाम ने दावा किया कि वायदा बाजार आयोग को एक्सचेंज के प्रशासनिक और कार्यात्मक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।	माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ 25.8.2011 को यह निर्णय देते हुए एक वाचन आदेश पारित किया कि अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो यह सुझाता है कि केन्द्रीय सरकार अथवा आयोग प्रथम याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों को शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकते। इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई अंतरिम याचना को नामंजूर कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने केरल हाई कोर्ट के डीविजन बैंच के समक्ष 2011 की अपील संख्या 1289 दायर की। वायदा बाजार आयोग ने 23.12.2011 को जवाबी हलफनामा दायर किया।
10	2009 का रिट आवेदन 83	मैसर्स प्रोफिट कमोडिटीज और अन्यों द्वारा पूछताछ के लिए निदेशक (प्रवर्तन) के समक्ष उपस्थित होने के मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध।	मामले में एक पक्षीय स्टे लागू है। मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन अगस्त, 2010 में दायर किया गया था। तथापि मामला अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है।
11	2011 की एस सी ए संख्या 8377	मैसर्स नेपट्यून ओवरसीज लिमिटेड ने वायदा बाजार आयोग के कारण बताओ नोटिस जारी के अधिकार को चुनौती देते हुए माननीय हाई कोर्ट गुजरात में एस सी ए दायर की।	एस सी ए को एक न्यायाधीश वाली कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ खारिज किया कि आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार है यदि कोई असंतुष्ट है, तो उसको पहले आयोग के समक्ष शिकायत करनी चाहिए।
12	2011 की एल पी ए 1039, 2011 सी ए की सी ए 7673 2011 की सी ए 7908, 2011 की 8008, 2011 की सी ए 8872, 2011 की सी ए 9492, 2011 की 11239	मैसर्स नेप्टयून ओवरसीज लिमिटेड ने 2011 की एस सी ए 8377 जिसमें अनेक सिविल आवेदन भी दायर किए गए हैं, में एकल जज के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।	उत्तर को दायर कर दिया गया है और अपील सुनवाई के लिए लंबित है। 2011 की 8872 जो मुख्य 2011 की एल पी ए 1039 के साथ सुनवाई के लिए लंबित है को छोड़कर सभी सिविल आवेदनों को निपटा दिया गया है। मामले में अगली तारीख 24.01.2012 है।

क्र०सं०	मामले का ब्यौरा	किसने दायर किया	मामले की स्थिति
13	2011 का एस सी ए 17502	भरत भाई सारा भाई शाह द्वारा माननीय हाई कोर्ट गुजरात, अहमदाबाद के समक्ष क्रमशः पैरा 10 और 34 पर दिनांक 23.07.2011 के आयोग के आदेश की टिप्पणियों और निर्देशों के प्रचालन और कार्यान्वयन पर रोक।	उक्त आवेदन के संबंध में 01.12.2011 को अस्थायी एक पक्षीय राहत प्रदान की गई है और सुनवाई की पहली प्रभावी तारीख 28.12.2011 थी जिसमें आयोग ने ए एस जी, गुजरात को आयोग के आदेश के बचाव में नियुक्त किया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24.01.2012 है।

7.26 संसदीय स्थायी समिति का दौरा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी जांच के तहत अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 के ऑन–द–स्पॉट अध्ययन के लिए 12 से 17 नवम्बर, 2011 तक इंदौर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दौरा किया। माननीय समिति ने 12.11.2011 को इंदौर में 14.11.2011 को मुंबई में और 17.11.2011 को कोलकाता में आयोग और कमोडिटी एक्सचेंज के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों के साथ दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को मुंबई में आयोजित बैठक।

7.27 संसदीय स्थायी समिति के साथ बैठक

संसदीय स्थायी समिति ने अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 की जांच करते हुए साक्ष्य लेने के लिए 12 दिसम्बर, 2011 को उपभोक्ता मामले विभाग के साथ बैठक की। वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष ने उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के साथ बैठक में भाग लिया।

7.28 वित्तीय विधायी सुधार आयोग के साथ बैठक

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने हेतु आयोग के विचार जानने के लिए 17 दिसम्बर, 2011 को मुंबई में एक परामर्शी बैठक आयोजित की। आयोग के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया तथा विषय पर आयोग के विचार प्रस्तुत किए।

7.29 प्रवर्तन कार्रवाईयां:

वर्ष के दौरान आयोग ने विभिन्न प्रवर्तन कार्रवाईयां की। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

7.29.1 मैसर्स रैंक कमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड

आयोग ने मैसर्स रैंक कमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड के एक सदस्य और इसके दो निदेशकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित किया, जिनको उन गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दोषी पाया गया था जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 और अग्रिम संविदा (विनियमन) नियम 1954 के उपबंधों के तहत निषिद्ध हैं।

7.29.2 नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (श्री कैलाश गुप्ता, पूर्व एम डी और पूर्व ई वी सी तथा एन एम सी ई के वर्तमान पी सी)

आयोग के अधिकारियों ने भारत सरकार की अधिसूचना का० आ० सं० 1162 तारीख 04.05.1960 के साथ पठित अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप धारा (2) और उक्त अधिनियम की धारा (8) की उप धारा (4) के तहत नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत और एक्सचेंज के पूर्व एम डी और सी ई ओ तथा एक मुख्य प्रोत्साहक, मैसर्स नेप्टयून ओवरसीज लिमिटेड (एन ओ एल) की संलग्नता के कथित आरोप की जांच की। जांच में मैसर्स नेप्टयून ओवरसीज लिमिटेड के एम डी और सी ई ओ तथा एक्सचेंज के उपाध्यक्ष और पूर्व – एम डी/सी ई ओ द्वारा बरती गई गंभीर अनियमितताएं सामने आई जिनके आधार पर एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 23 जुलाई, 2011 को एक्सचेंज को विशिष्ट निर्देश देते हुए आदेश पारित किए गए।

7.29.3 मैसर्स रुपैया इन्वेस्टमेंट के खिलाफ शिकायतें

आयोग ने अग्रिम संविदा (विनियमन) नियम, 1954 के नियम 13 के तहत हैदराबाद पुलिस को मैसर्स रुपैया इन्वेस्टमैंट, चिराग अली लेन, हैदराबाद के खिलाफ शिकायत अग्रेषित की।

हैदराबाद पुलिस ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 20 (ग) और (घ) के तहत एफ आई आर संख्या 240/11 के द्वारा 27.07.2011 के मैसर्स रुपैया इन्वेस्टमैंट के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद पुलिस द्वारा जब्त किए गए डिजिटल आंकड़े और

दस्तावेज प्राप्त किए गए और उनकी छानबीन की जा रही है।

7.29.4 **मैसर्स वेट्ल कैप सोलुसन्स के खिलाफ शिकायतः**

आयोग के अधिकारियों ने भारत सरकार की अधिसूचना का० आ० सं० 1162 तारीख 04.05.1960 के साथ पठित अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप धारा (3) और उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (4) के तहत मैसर्स वैटल कैप सोलुसन्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद नेशनल एक्सचेंज के सदस्य और संबंधित संस्था संस्था अर्थात मैसर्स एवरेस्ट वैल्थ सोलुसन्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच बही खातों का निरीक्षण किया और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

7.29.5 **अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 के तहत एक्सचेंजों की जांच और निरीक्षणः**

आयोग ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 के तहत दो वस्तु विशिष्ट क्षेत्रीय एक्सचेंजों, राजधानी आयल एंड आयल सीड्स लिमिटेड, दिल्ली और फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया, कोच्ची, कमोडिटी एक्सचेंजों के पाँच सदस्यों ने और दो वेयर हाऊसों की जांच की। इस मामले में छानबीन चल रही है।

7.29.6 आयोग ने पाँच मामलों की जांच रिपोर्टें विशेषज्ञ राय के लिए गुजरात पुलिस (3 मामले) और मुंबई पुलिस (2 मामले) के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित की। अग्रिम संविदा (विनियमन) नियम, 1954 के नियम 13 के तहत, आयोग ने डब्बा व्यापार के 15 मामले विभिन्न राज्य पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित किए।

7.29.7 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों में विभिन्न पुलिस प्राधिकारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7.30 **विकासात्मक उपायः**

वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विकासात्मकक उपायों के उद्देश्य इस प्रकार हैः

- विभिन्न बाजार घटकों के साथ नियमित संपर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विनियामक तंत्र को मजबूत करना।
- विभिन्न श्रेणी के पणधारियों, खासतौर पर किसानों के जागरूकता स्तर को बढ़ाना ताकि उनको भावी सौदा व्यापार के लाभों से अवगत करया जा सके।
- नीति निर्माताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों और वस्तु बाजार के प्रशिक्षित जनशक्ति आधार को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करके देश में भावी सौदा व्यापार उद्योग का क्षमता निर्माण ।
- कृषकों को मूल्य् सूचना प्रदान करके सशक्त बनाने हेतु ऐसी कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य केन्द्रों पर मूल्य् प्रसार परियोजना का कार्यान्वयन।

7.31 **विभिन्न पणधारियों के साथ बैठकें/सम्मेलन**

रायपुर में पुलिस जागरूकता कार्यक्रम
(बाएं से दाएं) श्री विश्व रंजन, डी० जी० पी०, श्री आनन्द तिवारी, आई० जी०

नई दिल्ली 20 मई, 2011 को आयोजित सदस्यों की बैठक (बाएं से दाएं) श्री दिलीप भाटिया, एम.डी सीईओ एसीई कमोडिटिज एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, श्री पी एन तिवारी, आई आर एस निदेशक, श्री रमेश अभिषेक, आई० ए० एस० अध्यक्ष, श्री बी सी खटुआ, आई ए एस, पूर्व अध्यस, श्री डी एस कोलमकर, आई ई एस, पूर्व सदस्य, श्रीमती उषा सुरेश, आई ई एस आर्थिक सलाहकार, श्रीमती शैलजा नायर, पूर्व उप निदेशक।

20 मई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित सदस्यों की बैठक

आयोग ने भावी सौदा बाजार में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणी के पणधारियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु बैठकें आयोजित की। इन बैठकों के दौरान प्राप्त जानकारी का प्रयोग आयोग में विनियामक नीतियां बनाते समय किया गया। वर्ष के दौरान, नेशनल एक्सचेंजों के साथ चार क्षेत्र वार बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र० सं०	बैठक के ब्यौरे	बैठक की तारीख और स्थान	प्रतिभागी
1.	पाँच नेशनल एक्सचेंजों और आयोग के सदस्य	20 मई, 2011, नई दिल्ली में।	उत्तरी क्षेत्र के नेशनल एक्सचेंजों के चयनित सदस्य।
2.		28 मई, 2011 कोलकाता में।	पूर्वी क्षेत्र के नेशनल एक्सचेंजों के चयनित सदस्य।
3.		3 जून, 2011 बैंगलूर में।	केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पूर्वी क्षेत्र के चयनित सदस्य।
4.		10 जून, 2011 मुंबई में।	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्यों के चयनित सदस्य।

7.32 मूल्य प्रसार परियोजना के पणधारियों के साथ बैठक

वर्ष के दौरान, आयोग ने मूल्य प्रसार परियोजना के पणधारियों के साथ चार क्षेत्रवार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम) बैठकें की। इन बैठकों में प्रत्येक क्षेत्र की राज्य् सरकार के विभिन्न राज्य सरकार विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र0 सं0	बैठक के ब्यौरे	बैठक की तारीख और स्थान	प्रतिभागी
1.	मूल्य प्रसार परियोजना और पाँच राष्ट्रीय एक्सचेंजों के पणधरियों के साथ बैठक।	20 मई, 2011 नई दिल्ली में।	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के उत्तर क्षेत्र के राज्यों के कृषि/सहकारिता विभागों और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, एगमार्कनेट और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि।
2.		21 मई, 2011 कोलकाता में।	कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग और एकमार्कनेट के प्रतिनिधि।
3.		3 जून, 2011 बैंगलूरु में।	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी राज्यों में मूल्य प्रसार परियोजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग और एगमार्कनेट के प्रतिनिधि।
4.		10 जून, 2011 मुंबई में।	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में मूल्य प्रसार परियोजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी।

7.33 वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 346 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 117 कार्यक्रम कृषकों के लिए हैं। आयोग के अधिकारियों ने भी विभिन्न मंचों में वस्तु बाजार पर चर्चाओं में भाग लिया और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में इस विषय पर व्याख्यान दिए।

आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न मंचों में वस्तु बाजार पर चर्चाओं में भाग लिया और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में इस विषय पर व्याख्यान दिए।

7.34 आयोग ने बाजार के विभिन्न वर्गों और अन्य पणधारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ गठबंधन किया। वर्ष 2011–12 के दौरान, दिसम्बर, 2011 तक 41 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7.35 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो० के० वी० थॉमस ने 25 जुलाई, 2011 को आयोग के कार्यालय का दौरा किया और वायदा बाजार आयोग और वस्तु भावी सौदा बाजार के कार्यकरण पर चर्चा करने के लिए आयोग और नेशनल एक्सचेंजों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की।

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार प्रो0 के0 वी0 थॉमस ने 23 सितम्बर, 2011 को मुंबई में आयोजित नेगोसिएबल वेयरहाऊस रिसिप्ट प्रणाली पर सम्मेलन के दौरान उदघाटन भाषण दिया।

7.36 **एक्सपो में भागेदारीः**

आयोग ने, नेशनल एक्सचेंजों के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लियाः

- कृषि मंत्रालय, केरल सरकार ने कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी में 4–7 सितम्बर, 2011 तक कोच्चि, केरल में हरिथोलसवम, 2011 आयोजित किया।
- तिरुवनन्तरपुरम, केरल में 9 नवम्बर, 2011 को 'कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट विद स्पेशल इम्पोसिस ऑन रबड़' पर सेमिनार आयोजित किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सेमिनार की अध्यक्षता की।

प्रो0 के0 वी0 थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट विद स्पेशल इम्पोसिस ऑन रबड़, संबंधी सेमिनार की अध्यक्षता की, जो 9 नवम्बर, 2011 को तिरुवनन्तपुरम, केरल में आयोजित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे।

7.37 **विज्ञापन का प्रकाशनः**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के तहत, आयोग ने ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, असमी, तेलुगू, तमिल, कन्नड और मलयालम के 125 से अधिक समाचार पत्रों में छः विज्ञापन प्रकाशित किए।

लोक लेखा समिति की रिपोर्टों से संबंधित पैरा – विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लंबित की गई कार्रवाई संबंधी नोट के ब्यौरे और 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उनके निपटान की स्थिति।

मंत्रालय/विभाग का नाम

क्र0 सं0	रिपोर्ट की सं0 और वर्ष	पैराओं/लोक लेखा समिति रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखा परीक्षा द्वारा विधिक्षा के बाद की गई कार्रवाई नोट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए गए।	पैराओं/लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के ब्यौरे जिन पर की गई कार्रवाई नोट लंबित हैं।			31.12.2011 तक निपटाए गए पैरा की संख्या
			ऐसे की गई कार्रवाई नोटों की संख्या जिसको मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया है।	भेजी गई की गई कार्रवाई नोटों की संख्या जिन्हें टिप्पणी के साथ वापिस भेज दिया गया और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उन्हें दोबारा भेजे जाने की प्रतीक्षा में है।	ऐसे की गई कार्रवाई नोट की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से विधिक्षा कर ली गई किन्तु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में पैरा – विभिन्नि मंत्रालयों/विभागों के पास लंबित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैराओं के ब्यौरे और 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उनके निपटान की स्थिति।

मंत्रालय/विभाग का नाम

क्र0 सं0	रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	पैराओं/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की संख्या जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत किए गए हैं।	पैराओं/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के ब्यौरे जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट लंबित है।			31.12.2011 तक निपटाए गए पैराओं की संख्या
			की गई कार्रवाई संबंधी नोटों की संख्या, जिन्हें वायदा बाजार आयोग द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया है।	भेजे गए की गई कार्रवाई संबंधी नोटों की संख्या जिन्हें टिप्पणियों के साथ वापिस भेज दिया गया और लेखा परीक्षा वायदा बाजार आयोग द्वारा उनके दोबारा प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा में है।	ऐसे की गई कार्रवाई संबंधी नोटों की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से विधिक्षा कर दी गई किन्तु वायदा बाजार आयोग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
1	वर्ष 2008 से 2010 तक के लिए प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय मुंबई का कार्यालय, पत्र संख्या सी एल ए बी/सी एच डी/666	4	शून्य	1	शून्य	3

अनुलग्नक–I

स्टॉफ की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग वायदा बाजार आयोग, मुंबई

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	पदों की संख्या		
		स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष एच ए जी 80000/ रुपए नियत	1	0	1
2.	सदस्य 37400–67000–10000 रुपए	2	2	0
	समूह 'क			
3.	आर्थिक सलाहकार, वायदा बाजार आयोग 37400–67000–10000 रुपए	1	0	1
4.	निदेशक, आई ई एस 15600–39100+8700 रुपए निदेशक, संवर्ग बाह्य 15600 39100+8700 रुपए निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100+7600 रुपए	1 12	1 6	- 6
5	(क) उप निदेशक (ग्रेड III आई ई एस) 15600–39100+6600 रुपए	3	2	1
	(ख) उप निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100+6600 रुपए	13	4	9
6.	(क) सहायक निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100+5400 रुपए	14	8	6
	(ख) सहायक निदेशक (ग्रेड IV आई ई एस) 15600–39100+5400 रुपए	5	1	4

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	पदों की संख्या		
		स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
	कुल समूह 'क'	**52**	**24**	**28**
	समूह 'ख'			
7.	हिन्दी अधिकारी 15600–39100+5400 रुपए	1	1	-
	सहायक सचिव 9300–34800+4600 रुपए	1	-	1
8.	वरिष्ठ निजी सचिव 9300–34800+4800 रुपए	1	1	-
9.	निजी सचिव 9300–34800+4200 रुपए	2	2	-
10.	आर्थिक अधिकारी 9300–34800+4600 रुपए	13	13	0
	कुल 'ख' राजपत्रित	**18**	**17**	**1**
11.	समूह 'ख' अराजपत्रित अधीक्षक 9300–34800+4200 रुपए	1	-	1
	कुल 'ख' अराजपत्रित	**1**	**-**	**1**
	समूह 'ग'			
12.	उप अधीक्षक 9300–34800+4200 रुपए	1	1	-
13.	आशुलिपिक ग्रेड–I 9300–34800+4200 रुपए	2	-	2
14.	अनुवादक (मुडिया) 9300–34800+4200 रुपए	1	-	1
15.	अनुवादक (गुजराती) 9300–34800+4200 रुपए	1	1	-
16.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 9300–34800+4200 रुपए	2	1	1

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	पदों की संख्या		
		स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
17.	कनिष्ठ अनुसंधान सहायक 9300–34800+4200 रुपए	12	6	6
18.	आशुलिपिक ग्रेड–II 9300–34800+4200 रुपए	2	2	-
19.	सहायक 9300–34800+4200 रुपए	2	2	-
20.	आशुलिपिक ग्रेड–III 4000–100–6000	5	-	5
21.	उच्च श्रेणी लिपिक 5200–20200+2400	7	4	3
22.	अवर श्रेणी लिपिक 5200–20200+1900 रुपए	6	6	-
23.	हिन्दी टंकक 5200–20200+1900 रुपए	1	1	-
24.	स्टाफ कार ड्राइवर 5200–20200+1800 रुपए	1	-	1
25.	कम्प्यूटर 5200–20200+1900 रुपए	4	2	2
	कुल समूह 'ग'	**47**	**26**	**21**
26.	गेस्टेटनर आपरेटर 5200–20200+1800 रुपए	1	1	-
27.	दफ्तरी 5200–20200+1800 रुपए	3	3	-
28.	वरिष्ठ चपरासी 5200–20200+1800 रुपए	1	1	-
29.	चपरासी 5200–20200+1800 रुपए	7	2	5
30.	हमाल 5200–20200+1800 रुपए	1	-	1
31.	सफाईवाला 5200–20200+1800 रुपए	2	2	-
	कुल समूह 'घ'	**15**	**9**	**6**
	कुल (क+ख+ग+घ)	**133**	**76**	**57**

अनुलग्नक–II

वायदा बाजार आयोग
वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण – योजना (आंकड़े रुपए में)

(आंकड़े रुपए में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान	1.4.2011 से 31.12.2011 तक उपगत वास्तविक व्यय (अनंतिम)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेष निधि
घरेलू यात्रा व्यय	6000000	6000000	4777578	1222422
विदेश यात्रा व्यय	10000000	10000000	8542736	1457264
कार्यालय व्यय ***	5000000	4000000	2402575	1597425
कार्यालय व्यय – सूचना प्रौद्योगिकी	13000000	7500000	4059468	3440532
व्यावसायिक सेवाएं	23000000	14500000	12190285	2309715
विज्ञापन और प्रचार	18500000	18950000	13359277	5590723
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	29621000	9150000	6129508	3020492
अन्य प्रभार ****	16000000	12500000	7535217	4964783
अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता के लिए योजना आदि	1000000	1100000	0	1100000
सूचना प्रौद्योगिकी (व्यावसायिक)	1000000	1000000	572094	427906
सहायता अनुदान	3000000	3800000	0	3800000
किराया दरें, और कर ***	1000000	1000000	0	1000000
अन्य प्रशासनिक खर्चे ***	1000000	500000	0	500000
योग	**128121000**	**90000000**	**59568738**	**30431262**

वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण – योजनागत
(पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए)

(आंकड़े रुपए में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान	1.4.2011 से 31.12.2011 तक उपगत वास्तविक व्यय (अनंतिम)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेष निधि
घरेलू यात्रा	5000000	617000	0	617000
विज्ञान और प्रचार	3500000	6000000	1500000	4500000
सामान्य सहायता अनुदान	100000	228000	0	228000
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	3400000	155000	621000	-466000
अन्य प्रभार **	3000000	3000000	1000000	2000000
कुल	**15000000**	**10000000**	**3121000**	**6879000**

बाजारों का विनियमन – योजना भिन्न

(आंकड़े रुपए में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान	1.4.2011 से 31.12.2011 तक उपगत वास्तविक व्यय (अनंतिम)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेष निधि
वेतन	45700000	45700000	35541299	10158701
ओ टी ए	10000	10000	0	10000
चिकित्सा	2490000	2490000	416191	2073809
घरेलू यात्रा व्यय	2100000	2100000	544102	1555898
विदेश यात्रा व्यय	500000	500000	0	500000
कार्यालय व्यय *	7000000	6000000	4299800	1700200
कार्यालय व्यय – सूचना प्रौद्योगिकी	2000000	2000000	193559	1806441
व्यावसायिक सेवाएं	2000000	2000000	1939834	60166
एस एस ई	100000	100000	0	100000
कुल	**61900000**	**60900000**	**42934785**	**17965215**

अनुलग्नक – III

31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार भावी सौदा व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की सूची

क्रम सं0	एक्सचेंज का नाम
1	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, मुंबई
2	नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि0,मुंबई
3	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, अहमदाबाद
4	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि0, गुड़गांव
5	ए सी ई डेरीवेटिव्ज एंड कमोडिटी एक्सचेंज लि0, अहमदाबाद
6	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि0, बीकानेर
7	बाम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि0, वासी
8	चैम्बर आफ कामर्स, हापुड़
9	सेंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लि0, ग्वालियर
10	कॉटन एसोसिएशन आफ इंडिया, मुंबई
11	ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लि0, कोलकाता
12	फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, कोची
13	हरियाणा कमोडिटीज लि0, सिरसा
14	इंडिया पीपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची
15	मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज कं0 लि0, मेरठ
16	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर
17	राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लि0, राजकोट
18	राजधानी ऑयल एंड आयलसीड्स एक्सचेंज लि0, दिल्ली
19	सुरेन्द्रनगर काटन आयल एंड आयलसीड्स एसोसिएशन लि0, सुरेन्द्रानगर
20	स्पाइस एंड आयलसीड्स एक्सचेंज लि0, सांगली
21	विजय व्यापार चौम्बर लि0, मुजफ्फरनगर

अनुलग्नयक – IV

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची।

क्र0 सं0	वस्तु
(I)	**खाद्यान्न और दालें**
	अरहर चुनी
	बाजरा
	जौ
	चना
	चना दाल
	ग्वार
	ज्वार
	कुल्थी
	लाख (खेसरी)
	मक्का
	मसूर
	मोठ
	मूंग
	मूंग चुनी
	मूंग दाल
	मटर
	रागी
	चावल या धान
	छोटा मिलेट (कोदों, कुल्ती, कोदरा, कोरा, वरगु, सवन, राला, काकुन, सामयी, वारी और बन्टी)
	तूर दाल (अरहर दाल)
	तूर (अरहर)
	उड़द (मैश)
	उड़द दाल
	गेहूं
II.	**तिलहन और तेल**
	सेलेरीसीड़
	खोपरा तेल/नारियल का तेल
	खोपरे के तेल की खली/नारियल के तेल की खली
	बिनौला
	खोपरा/नारियल

क्र0 सं0	वस्तु
	बिनौले का तेल
	बिनौले की खली
	सी पी ओ रिफाइन्ड
	कच्चा पॉम तेल
	कच्चा पॉम आलिव
	मूंगफली
	मूंगफली का तेल
	मूंगफली के तेल की खली
	अलसी
	अलसी का तेल
	अलसी के तेल की खली
	रेपसीड तेल/सरसों का तेल
	रेपसीड की खली/सरसों की खली
	रेपसीड/सरसों
	आर बी डी पामोलीन
	चावल की भूसी
	चावल की भूसी का तेल
	चावल की भूसी की खली
	कुसुम्ब
	कुसुम्ब का तेल
	कुसुम्ब की खली
	तिल या जिलजिली
	तेल का तेल
	तेल की खली
	सोया मील
	सोया तेल
	सोयाबीन
	सूरजमुखी का तेल
	सूरजमुखी की खली
	सूरजमुखी का बीज
III	**मसाले**
	एनीसीड
	सुपारी
	इलायची

क्र0 सं0	वस्तु
	मिर्च
	दालचीनी
	लौंग
	धनिया
	अदरक
	मेथी
	जायफल
	काली मिर्च
	हल्दी
IV	**धातुएं**
	तांबा
	जिंक
	सीसा
	टिन
	स्वर्ण
	चाँदी
	चाँदी के सिक्के
V	**फाइबर्स**
	आर्ट रेशमी धागा
	सूती वस्त्र
	कॉटन पोड्स
	सूती धागा
	भारतीय सूत (पूरा प्रैस्ड, हाफ प्रैस्ड या खुला)
	जूट की वस्तु (किसी मिल और/या किसी अन्य विनिर्माता द्वारा जूट से बनाया गया किसी प्रकार का हेसियन और टाट तथा कपड़े और/या बैग, ट्विन्स और/या यार्न)
	कपास
	कच्चा जूट मेस्ता सहित)
	स्टेपल फाइबर धागा
VI	**अन्य**
	कपूर
	अरण्ड
	चारा या बरसीम (चारा बीज या बरसीम बीज सहित)
	कच्चा तेल

क्र0 सं0	वस्तु
	चना छिलका
	गुड़
	खाण्डसारी चीनी
	पोलीमर
	आलू
	रबड़
	सीडलेक
	शैलेक
	चीनी
	फरनेस तेल
	ईथेनाल
	कूकिंग कोल
	बिजली
	प्राकृतिक गैस
	प्याज
	कार्बन क्रेडिट
	थर्मल कोल
	मैथानोल
	मेल्टेड मैन्थानोल फलेक्स
	मेन्था ऑयल
	मैथोल क्रिस्टल
	लौह अयस्क

अनुलग्नक – V (क)

वर्ष 2001–12 के दौरान नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों को प्रदान की गई अनुमतियों के ब्यौरे।

1. एम सी एक्स			
क्र0 सं0	संविदा	संविदा के ब्यौरे	अनुमति की तारीख
1	ए टी एफ	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक	5/04/2011
2	जौ	–वही–	5/04/2011
3	ब्रंट कच्चा तेल	–वही–	5/04/2011
4	धनिया	–वही–	5/04/2011
5	बिनौला वाश तेल	–वही–	5/04/2011
6	आयातित थर्मल कोल	–वही–	5/04/2011
7	आयरन और	–वही–	5/04/2011
8	कपासिया खली	–वही–	5/04/2011
9	मक्का फीड/इंड ग्रेड	–वही–	5/04/2011
10	मेल्टेड मेथोल फ्लेक्स	–वही–	5/04/2011
11	माइल्ड स्टील इग्नोट/बायल्ट/जी जेड बी	–वही–	5/04/2011
12	लाल मिर्च	सितम्बर से दिसम्बर, 2011	5/04/2011
13	रबड़	जुलाई से दिसम्बर, 2011	5/04/2011
14	टिन		5/04/2011
15	हल्दी		5/04/2011
16	कच्चा तेल	जनवरी 2012 से दिसम्बर, 2012	15/04/2011
17	सोना (1 कि0 ग्रा0)	फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्तूबर और दिसम्बर, 2012	15/04/2011
18	चाँदी (30 कि0 ग्रा0)	मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, और दिसम्बर, 2012	15/04/2011
19	चाँदी मिनी (5 कि0 ग्रा0)	फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और नवम्बर, 2012	15/04/2011
20	तांबा	फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और नवम्बर, 2012	15/04/2011
21	एल्युमीनियम मिनी	जुलाई से दिसम्बर, 2011	29/04/2011
22	चाँदी माइक्रो	अगस्त , 2011 और नवम्बर, 2011	29/04/2011

1. एम सी एक्स			
क्र0 सं0	संविदा	संविदा के ब्यौरे	अनुमति की तारीख
23	गोल्ड पेटल	जुलाई से दिसम्बर, 2011	29/04/2011
24	आर बी डी पामोलीन	जून, 2011 से दिसम्बर, 2011	1/06/2011
25	कॉटन	अक्तूबर, 2011 से जुलाई, 2012	24/06/2011
26	चाँदी माइक्रो	फरवरी, 2012 से नवम्बर, 2011	4/07/2011
27	एल्युमिनियम	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	16/08/2011
28	एल्यमिनियम मिनी	–वही–	16/08/2011
29	ब्रंट कच्चा आयल	–वही–	16/08/2011
30	इलायची	–वही–	16/08/2011
31	कच्चा पाम आयल	–वही–	16/08/2011
32	गोल्ड गिनिया	–वही–	16/08/2011
33	गोल्ड मिनी	–वही–	16/08/2011
34	गोल्ड पेटल	–वही–	16/08/2011
35	आयरन और	–वही–	16/08/2011
36	लीड	–वही–	16/08/2011
37	लीड मिनी	–वही–	16/08/2011
38	मक्का	–वही–	16/08/2011
39	मेंथा आयल	–वही–	16/08/2011
40	प्राकृतिक गैस	–वही–	16/08/2011
41	निकल	–वही–	16/08/2011
42	आलू (आगरा)	–वही–	16/08/2011
43	आलू (तारकेश्वर)	–वही–	16/08/2011
44	रिफाइंड सोया तेल	–वही–	16/08/2011
45	चीनी एम 30 मिडियम ग्रेड (शुगर एम के ओ एल)	–वही–	16/08/2011
46	जिंक	–वही–	16/08/2011
47	जिंक मिनी	–वही–	16/08/2011
48	बादाम	जनवरी, 2012 से जून, 2012	16.08.2011
49	ए टी एफ	–वही–	16/08/2011

1. एम सी एक्स			
क्र0 सं0	संविदा	संविदा के ब्यौरे	अनुमति की तारीख
50	जौ	–वही–	16/08/2011
51	चना दाल	–वही–	16.08.2011
52	धनिया	–वही–	16/08/2011
53	कपास	–वही–	16/08/2011
54	बिनौला वॉश आयल	–वही–	16.08.2011
55	गैसोलीन	–वही–	16/08/2011
56	ग्वार	–वही–	16/08/2011
57	हीटिंग आयल	–वही–	16.08.2011
58	कपासिया खली	–वही–	16/08/2011
59	मैल्टेड मैंथाल फ्लेक्स	–वही–	16/08/2011
60	प्लेटिनम	–वही–	16.08.2011
61	आर बी डी पामोलीन	–वही–	16/08/2011
62	लाल मिर्च	–वही–	16/08/2011
63	रबड़	–वही–	16.08.2011
64	सोया बीन	–वही–	16/08/2011
65	माइल्ड स्टील इंगोट्स/बोलेट्स	–वही–	16/08/2011
66	आयातित थर्मल कोल	–वही–	16.08.2011
67	टिन	–वही–	16/08/2011
68	हल्दी	–वही–	16/08/2011
69	गेहूं	–वही–	16.08.2011
70	गोल्ड पेटल	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2012	3/11/2011

2. नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुंबई			
क्र0 सं0	कमोडिटी	संविदा माह	अनुमति की तारीख
1	शंकर कपास	अप्रैल, 2011, अक्तूबर, 2011, दिसम्बर, 2011, फरवरी, 2012 और अप्रैल, 2012	1/04/2011
2	शूगर एम	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011	19/04/ 2011
3	शूगर एस		
4	कच्चा् पाम तेल		
5	जिंक		
6	निकल कैथोड		
7	ब्रंट कच्चा आयल	जुलाई से दिसम्बर, 2011	27/05/2011
8	(गोल्ड 1 कि0 ग्रा0)	फरवरी 2012, अप्रैल, 2012, जून, 2012, अगस्त , 2012, अक्तूबर, 2012 और दिसम्बर, 2012	8/06/ 2011
9	चाँदी (30 कि0 ग्रा0)	मार्च, 2012, मई, 2012, जुलाई 2012, सितम्बर 2012, और दिसम्बर, 2012	08/06/2011
10	गोल्ड इंटरनेशनल	सितम्बर, 2011 से नवम्बर, 2012	18/07/2011
11	सिल्वर इंटरनेशनल	अगस्त, 2011 से नवम्बर, 2012	18/07/2011
12	अरंड बीज	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	9/08/2011
13	बिनौले की खली	जनवरी, 2012 से सितम्बर, 2012, दिसम्बर, 2012	
14	रेपसीड सरसों	जनवरी, 2012, अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2012	
15	रिफाइंड सोया तेल	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
16	सोयाबीन	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
17	ग्वार गोंद	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
18	ग्वार बीज	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
19	मक्का (फीड/इंडस्ट्रियल ग्रेड)	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
20	चना	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
21	गेहूं	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
22	आलू	मार्च, 2012 से सितम्बर, 2012	
23	सोना 100 ग्राम	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
24	चाँदी 5 कि0 ग्रा0	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	

2. नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुंबई			
क्र0 सं0	कमोडिटी	संविदा माह	अनुमति की तारीख
25	मिर्च	फरवरी, 2012 से अप्रैल, 2012 और जून 2012 से दिसम्बर, 2012	
26	जीरा	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
27	धनिया	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
28	काली मिर्च	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
29	हल्दी	अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012	
30	गुड़	जनवरी, 2012, मार्च, 2012, जुलाई, 2012, सितम्बर 2012, नवम्बर 2012 और दिसम्बर, 2012	
31	शुगर एम	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
32	स्टील लोंग	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
33	लाइट स्वीट क्रूड ऑयल	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	
34	कोपर कैथोड	फरवरी, 2012, अप्रैल 2012, जून 2012, अगस्त, 2012, नवम्बर, 2012	
35	जौ	जनवरी, 2012 फरवरी 2012, अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2012	
36	रबड़	जनवरी, 2012 से जून, 2012	
37	ब्रंट कच्चा तेल		
38	आर बी डी पामोलीन		
39	पोलीवीनील क्लोराइड (पी वी सी)		

3. नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज			
क्र0 सं0	संवीदा	संविदाओं का ब्यौरे	अनुमति की तारीख
1	शुगर एम	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011	4/07/2011
2	शुगर एस	–वही–	–वही–
3	मैंथा तेल	–वही–	–वही–
4	मेथाल क्रिस्टल	–वही–	–वही–
5	इलायची	–वही–	–वही–
6	गोल्ड	–वही–	–वही–
7	अरंड बीज	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	18/07/2011
8	खोपरा	–वही–	–वही–
9	ग्वार गोंद	–वही–	–वही–
10	इस्बगोल बीज	–वही–	–वही–
11	काली मिर्च	–वही–	–वही–
12	रेपसीड/सरसों	–वही–	–वही–
13	रबड़	–वही–	–वही–
14	सेकिंग	–वही–	–वही–
15	चना	–वही–	–वही–
16	ग्वार बीज 10 मीट्रिक टन	–वही–	–वही–
17	सोयाबीन तेल	–वही–	–वही–
18	हल्दी	–वही–	–वही–
19	किलो सोना	–वही–	–वही–
20	सिल्वर	–वही–	–वही–
21	एल्युमीनियम	–वही–	–वही–
22	काफी आर ई पी बल्क	–वही–	–वही–
23	तांबा	–वही–	–वही–
24	गोल्ड गिनिया	–वही–	–वही–
25	सीसा	–वही–	–वही–
26	निकल	–वही–	–वही–
27	कच्चा जूट	–वही–	–वही–
28	जिंक	–वही–	–वही–
29	सोना	जनवरी, 2012 से जून, 2012	13/12/2011

4. आई0 सी0 ई0 एक्स			
क्र0 सं0	संविदा	संविदाओं के ब्यौरे	संविदा की अनुमति की तारीख
1	आयरन ओर 62%	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011	4/5/2011
2	कापर कैथोड		
3	गोल्ड		
4	सिल्वर		
5	सिल्वर 5 कि0 ग्रा0		
6	कच्चा तेल	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	29/06/2011
7	सीसा		
8	प्राकृतिक गैस		
9	गोल्ड 100 ग्रा0		
10	रिफाइंड सोया तेल		
11	सरसों		
12	आयरन ओर 62% फाइन		
13	सोयाबीन	अक्तूबर 2011 से जून 2012	4/10/2011

5. ए0 सी0 ई0, मुंबई			
क्र0 सं0	वस्तुएं	संविदा समाप्त होने वाले माह	अनुमति की तारीख
1	अरंड बीज	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011	5/04/2011
2	शुगर एम	जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011	11/04/2011
3	ग्वार बीज	अगस्त 2011 से दिसम्बर, 2011	9/04/,2011
4	ग्वार गोंद		
5	चना	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012	6/09/2011
6	सरसों		
7	अरंड बीज		
8	सोयाबीन		
9	रिफाइंड सोया तेल		
10	ग्वार बीज		
11	ग्वार गोंद		
12	शुगर एम	जनवरी, 2012	10/10/ 2011
13	शुगर एम	फरवरी, 2012	11/11/2011
14	शुगर (एम)	मार्च, 2012 से जून, 2012	23/12 2011

अनुलग्नक V ख

क्षेत्र आधारित वस्तु विशिष्ट एक्सचेंजों को प्रदान की गई अनुमतियों के ब्यौरे।

क्र0 सं0	एक्सचेंज का नाम	वस्तुओं के नाम	सुपुर्दगियों के नाम	अनुमति की तारीख
1.	राजधानी ऑयल एंड ऑयल सीड्स एक्सचेंज, दिल्ली	गुड़	जुलाई, 2011	6.4.11
		सरसों	अगस्त , 2011	12.4.11
		गुड़	दिसम्बर, 2011	7.6.11
		सरसों	नवम्बर, 2011	19.7.11
		सरसों	फरवरी, 2012	17.10.11
		गुड़	मार्च, 2012	3.11.11
2.	चैम्बर आफ कामर्स, हापुड़	गुड़	जुलाई, 2011	15.4.11
		सरसों	अगस्त, 2011	27.4.11
		गुड	दिसम्बर, 2011	18.7.11
		सरसों	नवम्बर, 2011 और जनवरी, 2012	18.7.11
		गुड	मार्च, 2012	14.11.11
3.	मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज, मेरठ	गुड	जुलाई, 2011	12.4.11
4.	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, बीकानेर	ग्वार	जुलाई, 2011	19.4.11
		ग्वार	सितम्बर, 2011	22.6.11
		ग्वार	नवम्बर, 2011	26.8.11
		चना	अक्तूबर, 2011	26.8.11
		सरसों	अक्तूबर, 2011	26.8.11
		चना	दिसम्बर, 2011	4.10.11
		सरसों	दिसम्बर, 2011	4.10.11
		ग्वार	जनवरी, 2012	20.10.11
		सरसों	फरवरी, 2012	7.12.11
		चना	फरवरी, 2012	7.12.11

क्र0 सं0	एक्सचेंज का नाम	वस्तुओं के नाम	सुपुर्दगियों के नाम	अनुमति की तारीख
5.	आई पी एस टी ए, कोच्चि	काली मिर्च एम जी–1	दिसम्बर, 2011, जनवरी 2012 और फरवरी, 2012	12.5.11
		काली मिर्च एम जी–1	मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 और मई, 2012	24.8.11
		काली मिर्च एम जी–1	जून, 2012, जुलाई 2012 और अगस्त, 2012	11.11.11
6.	नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड, इन्दौर	सोया तेल, सोया मील और सोया बीन	अक्तूबर, 2011, नवम्बर 2011, दिसम्बर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012 और मार्च, 2012	24.5.11
		सोया तेल सोया मील और सोया बीन	अप्रैल, 2012, मई 2012, जून, 2012, जुलाई, 2012, अगस्त, 2012, सितम्बर, 2012	8.12.11
7.	विजय व्यापार चैम्बर, मुजफ्फर नगर	गुड़	जुलाई, 2011	11.4.11
		गुड़	दिसम्बर, 2011	4.7.11
		गुड़	मार्च, 2012	23.11.11
8.	फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया, कोच्चि	नारियल तेल	अगस्त, 2011, सितम्बर, 2011, अक्तूबर 2011 और नवम्बर, 2011	27.4.11
		खोपरा	अगस्त, 2011, सितम्बर, 2011, अक्तूबर, 2011 और नवम्बर, 2011	1.6.11

क्र0 सं0	एक्सचेंज का नाम	वस्तुओं के नाम	सुपुर्दगियों के नाम	अनुमति की तारीख
9.	ईस्ट इंडिया जूट और हेसियन एक्सचेंज, कोलकाता	जूट वस्तुएं (सेकिंग और हेसियन)	जुलाई 2011, अगस्त , 2011 और सितम्बर, 2011	5.5.11
		जूट वस्तुएं (सेकिंग और हेसियन)	नवम्बर, 2011 और दिसम्बर, 2011	4.10.11
10.	सेंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज, ग्वालियर	सरसों	अगस्त, 2011	26.5.11
		सरसों	नवम्बर, 2011	13.6.11
		सरसों	मई, 2012	20.9.11
11.	सुरेन्द्र नगर काटन आयल एंड आयल सीड्स एक्सचेंज, सुरेन्द्र नगर	कपास	अप्रैल, 2012	24.8.11
12.	राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लि0 राजकोट	अरंड बीज	मार्च, 2012, जून, 2012, सितम्बर, 2012 और दिसम्बर, 2012	28.9.11
13.	बोम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई	अरंड बीज	मार्च, 2012, जून, 2012, सितम्बर, 2012 और दिसम्बर, 2012	21.11.11

◆◆◆

सुरक्षा एवं उच्चतर क्षमता के लिए
हमेशा IS : .... CM/L-....... चिन्ह वाले बिजली के उपकरण खरीदें
बिना IS : .... CM/L-....... चिन्ह वाले बिजली के उपकरण आपको झटका दे सकते हैं।
सुनिश्चित करें कि आप हमेशा IS : .... CM/L-....... चिन्ह वाले उपकरण खरीदें।
IS : .... CM/L-....... चिन्ह का दुरूपयोग बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत एक दण्डनीय आपराधिक अपराध है।
भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइट www.bis.org.in
चिन्ह वाले उत्पादों के बारे में किसी शिकायत हेतु कृपया सम्पर्क करें:
डी.के. दास, टेलीफैक्स: 011–23235069 E-mail: dkd@bis.org.in
davp 08103/13/0085/1112
IS : .... CM/L-....... चिन्ह गुणता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अध्याय - VIII

भारतीय मानक ब्यूरो

(क) सामान्य

8.1 भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं को लेते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत 1 अप्रैल 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ब्यूरो देश में मानकीकरण को सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट और पोषित कर रहा है। अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान भी भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और प्रमाणन (उत्पाद एवं प्रबंध पद्धति प्रमाणन) से संबद्ध अपनी प्रमुख गतिविधियों में चहुँमुखी प्रगति की।

(ख) मानक निर्धारण

8.2 भारतीय मानक ब्यूरो एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यकताओं पर आधारित भारतीय मानकों का निर्धारण कर रहा है। ब्यूरो ने व्यापार एवं उद्योग जगत के सभी क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सरलता से अंगीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानकों को क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करने का निर्णय लिया। भारतीय मानकों के निर्धारण से संबंधित प्रगति निम्नलिखित है:

क्रम सं.	गतिविधि	कार्य निष्पादन	
		2010-11	अप्रैल–दिसम्बर, 2011
1.	नए एवं संशोधित निर्धारित मानक	340	254
2.	लागू मानक	18610	18650
3.	समीक्षा किए गए मानक	4296	1991

(ग) वर्ष 2010 के लिए राजीव गॉधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

8.3 निर्माताओं और सेवा संगठनों द्वारा उत्कृष्टता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, राजीव गॉधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में संस्थापित किया गया। इस वार्षिक पुरस्कार की तुलना यूएस के मेलकाम बेलरीज राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से की जाती है। इस पुरस्कार का मूल्यांकन नौ पैरामीटरों अर्थात् नेतृत्व, नीतियॉ, उद्देश्य और रणनीतियॉ, मानव संसाधन प्रबंधनः संसाधन, प्रक्रम ग्राहक केन्द्रित परिणामः कर्मचारियों की संतुष्टिः पर्यावरण और समाज पर प्रभाव और व्यवसाय परिणाम के आधार पर किया जाता है। लघु इकाई संगठनों के लिए छः पैरामीटर है।

8.4 वर्ष 2010 के पुरस्कार का प्रक्रम फरवरी 2011 में शुरु हुआ तथा पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने की। यह बैठक 16 नवम्बर 2011 में हुई। यह पुरस्कार प्रस्तुतीकरण समारोह फरवरी, 2012 में होने की संभावना है।

(घ) उत्पाद प्रमाणन

8.5 भारतीय मानक ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाण योजना प्रचालित करता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएस मुहर के नाम से प्रसिद्ध) की संबद्ध भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरुपता को दर्शाता है। किसी निर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो, निर्माता के पास अनिवार्य ढांचागत संरचना तथा क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है तदुपरांत, संबंधित भारतीय मानक के अनुसार बने उत्पाद की निरंतर जांच की जाती है, उत्पाद स्थान एवं बाजार से नमूने लिए जाते हैं तथा संबंधित भारतीय मानक के अनुसार उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं/मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराई जाती है। प्रमाण योजना मूल रूप से स्वैच्छिक होती है, लेकिन उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 83 उत्पाद मानकों को अनिवार्य किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रचालन की जा रही **आयातित उत्पादों और आभूषणों की हॉलमार्किंग** संबंधी उत्पाद प्रमाण योजना निम्नलिखित हैं:

(क) आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो आयातित सामानों के प्रमाणन के लिए 1999 से दो योजनाओं का प्रचालन कर रहा है जिनमें एक विदेशी निर्माताओं के लिए है और दूसरी भारतीय आयातकों के लिए। इन योजनाओं के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से अपने उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन ले सकता है तथा भारतीय आयातकर्ता भारतीय मानक ब्यूरो से अपने उत्पाद पर जो देश में आयात किया जा रहा है उस पर भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है। वर्ष 2010–11 के दौरान विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 58 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। अप्रैल 11 से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, स्पैन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैण्ड, आइसलैंड, चेक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मिश्र, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, यू एस ए, ब्राजील, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इंडोनेशिया, फिलीपिंस, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, ताइवान, दक्षिणी अफ्रीका आदि जैसे देशों की सीमेंट, एचडीपीई पाइप, इन्फेंट फार्मूला, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतल, स्विचगीयर, प्लग एवं सॉकेट, मिनिएचर परिपथ ब्रेकर, अवशेष करंट परिपथ ब्रेकर, पीवीसी रोधी केवल, एक्स एल पी रोधी केबल, बिजली की इस्तरी

की सुरक्षा, शुष्क सेल बैटरियॉं, इस्पात एवं इस्पात उत्पाद, सीवन रहित गैस सिलिंडर, काम्पेक्ट प्रतिदीप्त बत्ती, दूध एवं धान्य से बने दूध छुड़ाने के आहार, गैस आयतनमापी, घरेलू पानी के मीटर, वाट–घंटा मीटर, लकड़ी के उत्पाद, टायर और ट्यूब जैसे उत्पादों के लिए विदेशी विनिर्माता स्कीम के अंतर्गत 56 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे कुल लाइसेंसों की संख्या 220 हो गई।

उत्पाद प्रमाणन स्कीम की प्रगति निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	गतिविधियॉं		के दौरान प्रगति
		2010–11	अप्रैल–दिस. 2011
1.	प्रदान किए गए लाइसेंस	3135*	2304**
2.	प्रचालन में कुल लाइसेंस की संख्या (हालमार्किंग को छोड़कर)	24146	25037

* 05 उत्पाद पहली बार शामिल किए गए।

** 07 उत्पाद पहली बार शामिल किए गए।

(ख) आभूषण वस्तुओं की हॉलमार्किंग:–

(i) भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्णाभूषणों पर हालमार्किंग अप्रैल 2000 में शुरू की ताकि उपभोक्ताओं को स्वंर्णाभूषणों की शुद्धता या परिशुद्धता पर तीसरी पार्टी आश्वासन प्रदान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत एक जौहरी को उसके आभूषण को हालमार्क करवाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से हॉलमार्क लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जौहरियों के आभूषण की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाले एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एण्ड एच) केन्द्र जहॉं आभूषणों की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद मान्यता प्रदान की जाती है कि केन्द्र के पास सोने और चॉंदी के आभूषणों की सुरक्षा के अलावा उनकी एसेइंग और हॉलमार्किंग के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना है।

(ii) **हॉलमार्किंग योजना की प्रगति:** हॉलमार्किंग योजना में पहली अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान आगे वृद्धि की गई है। स्वर्ण आभूषण के हॉलमार्किंग के लिए लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च, 2011 को 8098 थी जो 31 दिसम्बर, 2011 को बढ़कर 9005 हो गई। इस अवधि के दौरान 108 लाइसेंस प्रतिमाह औसतन मंजूर किए गए। पहली अप्रैल से 30 नवम्बर 2011 को हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों/वस्तुओं की संख्या 173.63 लाख थी। 31 दिसम्बर, 2011 को भारतीय मानक ब्यूरो से कुल मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 171 है।

इस अवधि के दौरान चॉंदी के आभूषण/वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए प्रचलित चॉंदी के लाइसेंसों की संख्या 495 से बढ़कर 528 हो गई।

हॉलमार्किंग गतिविधि से पहली अप्रैल से 30 नवम्बर 2011 की आय 711.95 लाख है।

(iii) **11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों को स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन:** अवसंरचना सृजन करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए सरकारी योजना के

अंतर्गत 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रों की कुल संख्या 30 है ।

(iv) **शिल्पकारों/एसेइंग और हॉलमार्किंग कार्मिकों को प्रशिक्षणः** वित्त वर्ष 2011–2012 (31 दिसम्बर 2012 को) सात शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम और चार एसेइंग और हॉलमार्किंग कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिल्पकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शिल्पकारों को आभूषण बनाने, हॉलमार्किंग की अवधारणा, सही टॉके का उपयोग तथा सुनिर्माण रीतियों के प्रति जागरुक करने के लिए आयोजित किए गए थे। एसेइंग और हालमार्किंग केन्द्रों में कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य जनशक्ति की सक्षमता और क्रियाविधियों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों की अधिक जानकारी देना था।

(अ) हॉलमार्किंग पर प्रचार

(क) देश में हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से जौहरियों/उपभोक्ताओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहली अप्रैल से 31 दिसम्बर 2011 के दौरान जौहरियों के लिए 20 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख) अधिक प्रभाव डालने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो के दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जुलाई 2011, सितम्बर 2011, नवम्बर 2011 एवं दिसम्बर 2011 क्रमशः के दौरान चार ''हॉलमार्किंग जागरुकता सप्ताह'' कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान, केरल, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न' भागों में जौहरियों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा विस्तृत प्रचार किया गया। क्षेत्रीय भाषा में नुक्कड़ नाटक में आयोजित किए गए।

कोच्ची में जागरूकता सप्ताह का उदघाटन
4 जुलाई, 2011

(ग) स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं/जौहरियों में जागरुकता बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न समाचार पत्रों में 186 विज्ञापन जारी किए गए हैं ।

(ड.) गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना

8.6 भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रबंधन पद्धतियों के लिए संगत मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाओं को प्रदान करना जारी रखाः

(क) **आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना :** भारतीय मानक ब्यूरो गुणता प्रबन्धन पद्धति प्रमाणन योजना सितम्बर, 1991 में शुरू की गई भारतीय मानक ब्यूरो गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (क्यू एम एस सी एस) को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत प्रचालित किया जा रहा है। योजना को आईएसओ/आईईसी 17021 'अनुरुपता मूल्यांकन–प्रबंध पद्धतियों के ऑडिट एवं प्रमाणन' देने के लिए निकायों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालित किया जा रहा है।

अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान 77 गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन लाइसेंस मंजूर किए गए जिससे 31 दिसम्बर, 2011 तक प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 900 हो गई। इनमें रसायन, धातु और धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरी सेवाएं, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, औषधि, वस्त्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर–संचार, परिवहन आदि जैसे सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) **आईएस/आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन**

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन पद्धति आरम्भ की गई। यह आईएसओ/आईईसी 17021 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रचलित हैं। अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान 7 नए ई एम एस लाइसेंस मंजूर किए गए हैं जिससे 31 दिसम्बर, 2011 तक प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 159 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ऐरोनाटिकल उद्योग, परमाणु विद्युत, स्टेशन, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, इलैक्ट्रिकल एवं दूर–संचार केबलें, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशी, पेपर, इण्डस्ट्रियल एवं विस्फोटक रसायन, रेलवे वैगन कार्यशाला, औषधीय, मशीनरी, खनन, सार्वजनिक प्रशासन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लाइसेंस शामिल हैं।

(ग) **आईएस/आईएसओ 18001:2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (क्यूएचएसएमएस) प्रमाणन स्कीम**

भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस 18001: 2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबन्धन पद्धति प्रमाणन स्कीम शुरू की है जिसके अनुसार संगठन की कानूनी आवश्यकताओं और उन खतरों तथा जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संगठन नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इनके कार्यकलापों से प्रभावित होता है के लिए नीति तथा लक्ष्यं परिभाषित कर सकता है, योजना बना सकता है और प्रबंध कर सकता है। अप्रैल 11–दिसम्बर, 2011 के दौरान 4 नए ओ एच एस एम एस लाइसेंस मंजूर किए गए जिससे 31 दिसम्बर, 2011 तक प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 49

हो गई। इन लाइसेंसों में ताप विद्युत संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस आधारित बिजलीघर, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारी विकास केंद्र जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) **आईएस/आईएसओ 15000:1988 के अनुसार संकट विश्लेषण एवं क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) स्कीम (एचएसीसीपी स्टेंड एलोन);**

भारतीय मानक ब्यूरो आईएस 15000 के अनुसार एक अकेली एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रचालित करता है 31 दिसम्बर, 2011 को एचएसीसीरपी एक एकेली के 2 लाइसेंस प्रचालन में थे।

(ड.) **आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना;**

भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) को शुरू किया है। यह पद्धति किसी भी प्रकार के संगठन में खाद्य श्रृंखला के भीतर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति को लागू करने के लिए तैयार की गई है। (एफएसएमएस) के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने में मदद मिलेगीः

क) खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में वृद्धि और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पंर्धा में मदद;

ख) उत्पाद/सेवा देयता दावों का जोखिम कम करना

ग) ग्राहक की संविदात्मक अपेक्षाओं को संतुष्ट करना

घ) खाद्य उत्पादों की सरक्षा सुनिश्चित करना इसलिए स्वास्थ्य संरक्षण में मदद करना

ङ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों और लागू सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता प्रदर्शित करना

31 दिसम्बर, 2011 को 5 एमएसएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे।

(च) **आईएस 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना**

भारतीय मानक ब्यूरो सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना अप्रैल 2007 को शुरू की गई। यह सार्वजनिक सेवा संगठन अर्थात आईएस 15700:2005 गुणता प्रबंधन पद्धतियॉ– सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता की अपेक्षा, पर सेवा गुणता के भारतीय मानक पर आधारित है। यह मानक मुख्यतः निम्नलिखित 3 तत्वों पर केंद्रित हैः–

– परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करना;

– प्रदान की गई सेवाओं, सेवा सुपुर्दगी अपेक्षाओं की पहचान करना और

– शिकायत निपटान की प्रभावी प्रक्रिया

यह मानक काउंटर पर गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं, वे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणन ले सकते हैं।

संवर्धन गतिविधियों में तेजी लाई गई तथा सरकार, मंत्रालयों और विभागों से आईएस 15700 के अनुसार सार्वजनिक सेवा गुणता (एस क्यू एम एस) के प्रमाण पत्र के लिए अधिक मात्रा में आवेदन अपेक्षित है। 31 दिसम्बर 2011, को 04 लाइसेंस प्रचालन में थे।

आर वी ए द्वारा क्यू एम एस और ई एम एस का प्रत्यायन

रॉड वूरडिएक्रेडिरेटी (आर वी ए) नीदरलैंड द्वारा 26 बड़े आर्थिक क्षेत्रों और ईएमएस प्रमाणन 5 क्षेत्रों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन को प्रत्यायित किया गया। आर वी ए द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के पालन की पुष्टि हेतु ऑडिट नियमित रूप से किया जाता है। आर वी ए ने मई 2011 के दौरान एम एस सीडी, सी आर ओ और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय का निगरानी मूल्यांकन किया। आगे आर वी ए ने विद्युत और प्रकाशिक उपस्कर को शामिल करने पर विचार करने हेतु साक्ष्य ऑडिट भी किया। दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई में भी अगस्त 2011 में निगरानी मूल्यांकन किया गया। यह प्रत्यायन 1 नवम्बर 2013 तक वैध है।

प्रबंधन पद्धति प्रमाणन का संवर्धन

भारतीय मानक ब्यूरो के दल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में एस क्यू एम एस के प्रमाणन के कार्यान्वयन के आईएस 15700 का प्रस्तुतीकरण दिया।

भारतीय मानक ब्यूरो ने परिवहन आयुक्त के कार्यालय, जयपुर में भी प्रस्तुतीकरण दिया। इस प्रस्तुति में राजस्थान के माननीय परिवहन मंत्री उपस्थित थे।

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों का लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण

1 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो के 19 अधिकारियों को विभिन्न लीड ऑडिटर के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया जो निम्नलिखित है:

लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम	गुणता प्रबंधन पद्धति	पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति	व्यावसायिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति	खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति
प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या	1	8	9	1

भारतीय मानक ब्यूरो प्रबंधन पद्धतियों के लिए ऑडिट करने वाले कार्मिक

अप्रैल 11 से दिसम्बर 2011 की इस अवधि के दौरान, 38 ऑडिट करने वाले कार्मिक (भारतीय मानक ब्यूरो ऑडिटर और उप–संविदाकार) को पंजीकृत किया गया और 24 ऑडिट करने वाले कार्मिकों को विभिन्न प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजनाओं (क्यू एम एस/ई एम एस/ओ एच एस/एच ए सी सी पी/एफ एस एम एस) के अंतर्गत अपग्रेड किया गया है। 31 दिसम्बर 2011 को भारतीय मानक ब्यूरो की प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना के लिए निम्नलिखित संख्या में ऑडिटरों और उप–संविदाकारों को पंजीकृत किया गया:

गतिविधि	भारतीय मानक ब्यूरो ऑडिटर	उपसंविदाकार ऑडिटर
क्यू एम एस	255	86
ई एम एस	110	37
ओ एच एस	42	19
एफ एस एम एस	41	1
एच ए सी सी पी	28	5
एस क्यू एम एस	60	–

(च) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला गतिविधियॉं

8.7 भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला गतिविधियॉं

(i) देश भर में फैली भारतीय मानक ब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने संबद्ध भारतीय मानकों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की परीक्षण अनुरूपता को चलाने के लिए परीक्षण सेवा तथा संबद्ध परीक्षण संबंधी गतिविधियॉं उपलब्ध कराना जारी रखा। 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक परीक्षण कार्मिकों की सतत कमी के रहते हुए भी उत्पादों की व्यापक रेंज को कवर करते हुए 12171 परीक्षण रिपोर्टें जारी की। परीक्षण करने वाले परीक्षण कार्मिकों की संख्या अब 100 है, जबकि स्वीकृत संख्या 180 की है। इनमें से कुछ कार्मिक परीक्षण खरीद, भवन रख–रखाव तथा प्रयोगशाला मान्यता योजना इत्यादि जैसी गैर–परीक्षण गतिविधियों में लगे हैं ।

(ii) दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, चैन्नई में स्वर्ण एसेइंग प्रयोगशाला लगाई गई है तथा इसमें प्रचालन शुरू कर दिया है। इसने स्वर्ण आभूषणों के नमूनों के परीक्षण के लिए अंतःप्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भी भाग लिया है ।

(iii) कार्यकारी समिति के निर्देशों पर निम्नलिखित विचारणीय नियमों के साथ प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए स्थायी समिति गठित की गई–

- वर्तमान में परीक्षण सुविधाएं पूरी करना
- वर्तमान परीक्षण सुविधाओं का उन्नीयन
- आधारगत ढांचा

विभिन्न मुख्य विभागों के साथ–विचार–विमर्श के बाद इसकी दो बैठकें आयोजित की गई, स्थायी समिति ने कुल 403 परीक्षण उपकरणों की सिफारिश की। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त निधियॉं अनुमोदित की गई। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अतिरिक्त श्रमशक्ति अर्थात–वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी, परीक्षण कार्मिकों के साथ सहायक स्टाफ की अपेक्षाएं भी शामिल हैं। कुछेक सेवाओं को यथासंभव आउटसोर्स करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रक्रिया में भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा लगभग 4.40 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद पहले ही कर ली गई है एवं उनकी संस्थापना के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया गया।

(iv) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों की सभी रिपोर्टें स्कैन की जाती हैं और परीक्षण परिणामों को तुरत और छेड़छाड़ के बिना पारेषण के लिए मुद्रित प्रतियों के बजाए इंटरनेट के द्वारा सभी शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। इसके कारण शीघ्र निर्णय लेने में समय, धन की बहुत बचत होती है और हार्ड कॉपियों का संभावित दुरूपयोग नहीं होता है।

(v) उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के यथा आग्रह पर भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाएं नवीनतम उत्पाद परीक्षण पर भारतीय मानकों के अनुरूप भारतीय मानक ब्यूरो के कार्मिकों, उत्पाद प्रमाणन के लाइसेंसधारकों/आवेदकों के

लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

ख) कई विश्वविद्यालयों और कॉलजों के छात्रों को उनके ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग के रूप में प्रयोगशाला में 6 से 8 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया।

ग) बीएसटीआई (बंग्लादेश मानक एवं प्रशिक्षण संस्थान) के चार सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी प्रयोगशाला को उन्नत बनाने और उसके आधुनिकीकरण से संबंधित परामर्श के लिए जुलाई 2011 में केन्द्रीय प्रयोगशाला को दौरा किया।

घ) नेशनल टेस्ट हाउस, मुंबई के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने कीटनाशी अवशिष्ट के विश्लेषण हेतु जीसीएमएस के प्रचालन का अनुभव लेने के लिए अप्रैल 2011 में केन्द्रीय प्रयोगशाला का दौरा किया।

(vi) **प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति की मॉनीटिरिंग** – गुणता पद्धति की प्रभावी मॉनीटिरिंग के लिए प्रयोगशालाओं ने आईएस/आईएसओ/आईइसी 17025: 2005 के आधार पर दस्तावेजों को अद्यतन और कार्यान्वित किया है। इसकी प्रमुख उपलिब्धयां निम्नलिखित हैं:

i) विभिन्न गुणता आश्वासन कार्यक्रमों के अंतर्गत नमूनों का परीक्षण।

ii) विभिन्न उत्पादों के लिए अंतर्प्रयोगशाला तुलना में भागीदारी।

iii) अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया:

क) आईएस/आईएसओ/आईइसी 17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन पद्धति

ख) मापन अनिश्चितिता

ग) एनएबीएल द्वारा आयोजित आईएसओ 17043 के अनुसार अंतर्प्रयोगशाला तुलनात्मकता एवं पीटी प्रदाता।

iv) यथाआवश्यक समुचित कार्यवाही के लिए उपभोक्ता फीडबैक ली गई और उसका विश्लेषण किया गया।

छ) जागरूकता कार्यक्रम

8.8 भारतीय मानक ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम

(क) उपभोक्ताओं में मानकीकरण, प्रमाणन की अवधारणा को प्रोत्साहन देने और उनमें गुणता जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से, कई बार उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अवधि के दौरान (अप्रैल 2011 – दिसम्बर 2011) ऐसे 40 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख) लघु उद्योगों में मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंध पद्धति की अवधारणा तथा भारतीय मानक ब्यूरो की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2011 – दिसम्बर 2011 की अवधि में आठ औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में व्याख्यान और परिचर्चाएं शामिल थी। उद्योग विशेष से संबंधित ऐसे मानकों पर प्रकाश डाला गया जो कि उन उद्योगों के क्षेत्र से संबद्ध थे।

(ग) भारतीय मानकों को लागू करने एवं बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और क्रय एजेसियो के साथ निकट सहयोग और परस्परता के प्रयास किए गए। समाचार–पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचनाओं के आधार पर कई संगठनों से संपर्क किया गया और उन्हें आग्रह किया गया कि वे आईएसआई मुहर लगे उत्पादों का चुनाव करें अथवा आईएस विशिष्टियों का संदर्भ दें।

(घ) **विश्व मानक दिवस** – विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस समारोह के माध्यम से उन हजारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की जाती है, जिन्होंने स्वेच्छा से तकनीकी समझौतों का विकास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2011 के विश्व, मानक दिवस का थीम था "अंतर्राष्ट्रीय मानक – वैश्विक स्तर पर विश्वास के सृजक" लिए 'संवेदी एवं सुदृढ़ इमारतें' विषय के वर्तमान परिदृश्य में बहुत सार्थक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में और मुख्यालय में तकनीकी संगोष्ठियॉ आयोजित कीं। इनमें बड़ी संख्या में वक्ताओं ने आम उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों पर व्याख्यान दिए।

"अंतर्राष्ट्रीय मानक वैश्विक स्तर पर विश्वास के सृजक" विषय पर 14 अक्तूबर 2011 को विश्व मानक दिवस मनाया गया।

(ङ) **सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष** – लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष का प्रचालन कर रहा है। इस कक्ष द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों और तकनीकी पूछताछ के बारे में जानकारी दी जाती है ।

(च) **जन शिकायतें** – भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक माह उनकी समीक्षा और मॉनीटरिंग की जाती है। अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के मध्य 23 शिकायतें मिली और 23 शिकायतों का निवारण किया गया। तीन माह की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान करने के प्रयास किए जाते हैं।

(छ) **संगोष्ठियां/कार्यशालाएं** – अप्रैल–दिसम्बर 2011 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों की उपलब्धता की जानकारी का प्रसार करने और सुधार करने/नवीकरण के लिए फीडबैक हासिल करने तथा उन क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की और सम्मेलनों में भाग लिया जहां मानकीकरण की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. **राष्ट्रीय प्रकाश कोड पर संगोष्ठी** – कोलकाता, बंगलौर, चेन्नई और चंडीगढ में राष्ट्रीय प्रकाश कोड पर 4 संगोष्ठियां आयोजित की गई।

2. कॉस्मैटिक्स पर संगोष्ठी – 13 मई 2011 को मुंबई में कॉस्मैटिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कॉस्मैटिक के बारे में जानकारी, देश में आयातित कॉस्मैटिक उत्पादों का पंजीकरण करना, सुरक्षित कॉस्मैटिक के बारे में जानकारी को अद्यतन करना तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवाद करना भी था।

3. **टायर, टयूब एवं रिमों के मानकीकरण पर संगोष्ठी** – 2 मई 2011 को हैदराबाद में आटोमोटिव वाहनों के टायर, ट्यूबों एवं रिम पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य था:

i) भागीदारों को मानकीकरण एवं संगोष्ठी के विषय पर किए गए कार्य से अवगत कराना;

ii) टायर एवं ट्यूबों पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनिवार्य अनुपालन के लिए गुणता नियंत्रण आदेश 2009 के बारे में जागरूकता पैदा करना और

iii) आटोमोटिव टायर, ट्यूब और रिम के किसी मानक को लेकर उद्योगों/उपयोगकर्ताओं के सामने आई समस्याओं के बारे में चर्चा करना।

निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं, संघों और आटोमोटिव वाहनों, टायरों, ट्यूबों और रिम के क्षेत्र से संबद्ध अन्य संगठनों सहित लगभग 80 भागीदारों ने संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लिया।

4. **राष्ट्रीय विद्युत कोड पर संगोष्ठी** – 6 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विद्युत कोड पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी आईइइएमए के सक्रिय सहयोग से आयोजित की गई। संगोष्ठी के

तकनीकी सत्र के दौरान वक्ताओं ने कोड के महत्वपूर्ण पक्षों से भागीदारों को अवगत कराया।

5. **बंगलौर में आईएसओ/टीसी34/एससी 15 'कॉफी उप–समिति' की 19वीं बैठक** – भारतीय मानक ब्यूरो (भारत) ने काफी बोर्ड की सहायता से 12–13 अक्तूबर 2011 को बंगलौर में बैठक की मेजबानी की। बैठक में भारत, ब्राजील, कोलम्बिया और जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में शीघ्र परियोजनाएं तैयार करने के लिए आईएसओ/टीसी 34/एससी 15 सचिव और डब्लूजी संयोजकों के बीच आईएसओ वेबएक्स बैठक आयोजित कराना तथा आईएसओ/टीसी 34/एससी 15 के सदस्यों की सम्मति के लिए आईएसओ 3509 'कॉफी एवं कॉफी उत्पाद – पारिभाषिक शब्दावली' (भारत द्वारा प्रस्तावित) का मसौदा पुनरीक्षण परिचालित कराने सहित कुछ महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए।

6. **राष्ट्रीय भवन कोड और सिविल इंजीनियरिंग में अन्य संबद्ध भारतीय मानक** : भारतीय मानक ब्यूरो और कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी एण्ड इंजीनियरिंग (केआईटीआई) द्वारा संयुक्त रूप से 05 नवम्बर, 2011 को जयपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (भारत), राजस्थान स्टेट सेन्टर ने भी सहायता की। तकनीकी सत्र में 'सिविल इंजीनियरिंग में एनबीसी एवं अन्य संबद्ध मानकों का सिंहावलोकन ' पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया।

7. **23 नवम्बर 2011 को भदोई में 'टैक्स टाइल फ्लोर कवरिंग की संवृद्धि एवं विकास पर संगोष्ठी** : टैक्स टाइल फ्लोर कवरिंग के क्षेत्र में मानकीकरण पर एक पेपर प्रस्तुत किया गया। भागीदारों को टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग के परीक्षण और मूल्यांकन पर नवीनतम भारतीय मानकों से अवगत कराया गया।

8. **हैदराबाद में 17 दिसम्बर 2011 को ई–लर्निंग मानकीकरण पर संगोष्ठी** : इंटेल, इन्फोसिस, सांख्या इंफोटेक जैसे उद्योगों जेएनटीयू, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खडगपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों डीआईटी, सी–डैक, डीजीक्यूए जैसे सरकारी संगठनों ने ई–लर्निंग मानकीकरण पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिसमें वक्ताओं ने ई–लर्निंग पर प्रस्तुतीकरण दिया।

9. **मानक बनाने वाले संगठनों के लिए मानकीकरण पर 9वां प्रशिक्षण कार्यक्रम।** 8–9 दिसम्बर 2011 को एनआईटीएस, नोएडा में मानक बनाने वाले संगठनों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना 'मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना' के अंग 'मानकों का विकास/अनुसंधान व विकास प्राथमिकता' के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में नौंवा कार्यक्रम था। भारतीय मानक ब्यूरो ये कार्यक्रम उन संगठनों के कार्मिकों के लिए किए जाते हैं जो मानक बनाते हैं। ये कार्यक्रम मानकीकरण के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर मानक बनाने की सक्षमता का विकास करने को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाते हैं। यह आशा की जाती है कि इस प्रशिक्षण से भागीदारों,

जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्य भी हैं, को अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक प्रभावी और सक्षम तरीके से करने में सुगमता होगी।

इस दो दिन के कार्यक्रम में मानकीकरण और मानकों के विकास के विभिन्न पक्षों को लिया गया। व्याख्यान सत्रों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया जिसमें मूल अवधारणा, उद्देश्य, मानकीकरण के सिद्धांत मानकों की आवश्यकता मानक निर्धारण एवं समीक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के नियम मानक निर्धारण की प्रक्रिया तकनीकी समितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सदस्यों के दायित्व शामिल थे। मानकों के विकास की केस स्टडी के प्रस्तुतीकरण पर सत्र और मानकीकरण पर कार्यशाला सत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा थे।

कार्यक्रम में उन विभिन्न सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के 21 भागीदारों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम की सराहना की जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्यों हैं।

10. **21 दिसम्बर 2011 को नीरी नागपुर में अपशिष्ट प्रबंधन में हरित प्रौद्योगिकी और नवीन प्रवृत्तियां:** कार्यक्रम में ''भारतीय मानकों में हरित रसायन के समावेश के लिए रसायन एवं रसायन संबंधी प्रौद्योगिकियों एवं चुनौतियों पर भारतीय मानक'' शीर्षक से एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

11. **30 नवम्बर 2011 को नई दिल्ली में 'तकनीकी टैक्सटाइल के संवर्द्धन में मानकों की भूमिका' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी :** प्रोटेक्क, एग्रोटेक्क, मेडटेक, इंडयूटेक और जियोटेक मानकों पर पेपर प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी के दौरान शीघ्र मानकीकरण के लिए प्रोटेक, एग्रोटेक, मेडटेक, इंडयूटेक और जियोटेक के नए विषय ज्ञात किए गए। संगोष्ठी में 150 भागीदारों ने हिस्सा लिया।

(ज) सूचना सेवाएं

8.9 भारतीय मानक ब्यूरो की सूचना सेवाएं

(i) पुस्तूकालय

भारतीय मानक ब्यूरो का तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र हैं और उद्योगों, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है 1000 वर्ग मीटर में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें विश्वभर के 6 लाख मानक और 70,000 से अधिक तकनीकी पुस्तकें हैं। ब्यूरो के पुस्तकालय तंत्र में मुख्यालय (नई दिल्ली) का पुस्तकालय और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालय शामिल हैं। 10 सुविस्तृत विषयों की ग्रंथसूची तैयार कर और पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराकर 3253 आगुंतकों को संदर्भ सेवाएं प्रदान की गई। पुस्तकालय की संदर्भ इकाई मानक निर्धारण विभागों को ग्रंथसूची उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता की। इसने भारतीय व्यापार एवं उद्योगों से प्राप्त 1700 छोटी एवं बड़ी जानकारियों का जवाब देकर उनकी सहायता की। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा रखे जाने वाला विश्व मानकों के यांत्रिकीकृत डाटाबेस "मानक संदर्भिका" को अद्यतन करने के

लिए पुस्तकालय मूलभूत जानकारी देता रहा। 1135 मानक प्राप्त" हुए और डाटाबेस के लिए इनपुट के रूप में कूटबद्ध किए गए।

(ii) तकनीकी सूचना सेवा केन्द्रक

भारतीय मानक ब्यूरो उद्योगों, निर्यातकों, आयातकों, लोगों और सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछ पर तकनीकी जानकारी देता है। अवधि के दौरान 350 से अधिक जानकारियों का जवाब दिया गया।

(iii) पहचान संख्या के प्रायोजक

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित सेवाएं दी गईः

(क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812–1 पहचान पत्र – जारीकर्ता की पहचान – भाग 1: संख्यांकन की पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय तथा/अथवा अंतर उद्योग विनिमय में प्रयुक्त पहचान पत्रों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली निर्दिष्ट करती है। यह संख्या मुख्य उद्योग तथा कार्ड जारी करने वाले की पहचान कराती है जो मुख्य लेखा संख्या का पहला भाग है। भारतीय मानक ब्यूरो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके आईएसओ 7812.1 के अनुरूप आईआईएन को जारी करना सुविधाजनक बनाता है। अवधि के दौरान चौबीस (24) जारीकर्त्ता पहचान संख्याएं आबंटित की गई।

(ख) वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (डब्ल्यूएमआई) संख्या

सोसायटी ऑफ ओटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के समन्वय से भारतीय मानक ब्यूरो आईएसओ 3780:1983 रोड व्हीयकल्स – वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (कोड) के अनुसार भारत के ऑटोमोबाइल निर्माताओं और निर्यातकों को डब्ल्यू एमआई कोड जारी करता है। अवधि के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड के आबंटन के लिए 09 आवेदनों पर कार्यवाही की गई।

(ग) डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44 (आरई – 2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफटी के निर्देशानुसार भारतीय बाजार में लाने से पहले विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य है। भारतीय मानक ब्यूरो मानकों से संबंधित कोई उत्पाद अब तक निर्देशों में आता है अथवा नहीं इसका स्पष्टीकरण केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्व ारा जारी किया जाएगा और यह सभी संबंधितों के लिए बाध्य होगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न उत्पांदों पर 9 स्पष्टीकरण जारी किए।

(झ) प्रशिक्षण सेवाएं/एनआईटीएस

8.10 प्रशिक्षण सेवाएं/भारतीय मानक ब्यूरो का एनआईटीएस

(i) उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल 11 से दिसम्बर 11 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा संस्थान (एनआईटीएस) ने ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17 इन–हाउस कार्यक्रम, उद्योगों के लिए 09 लीड ऑडिटर कोर्सो सहित 25 ओपन कार्यक्रम और 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

(ii) उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एचआरडी एवं क्षमता निर्माण पर ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से किया जाता हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य

एनआईटीएस को सशक्त बनाना और उपभोक्ता सुरक्षा, खाद्य निरापदता हस्पताल अपशिष्ट का प्रबंधन एवं प्रहस्तन; सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता एवं जल निबटान तथा सार्वजनिक सेवाएं देना (सार्वजनिक सेवाएं देने वालों के लिए) जैसे उपभोक्ता से जुड़े विभिन्न विषयों पर भारतीय उपभोक्ताओं को शिक्षित, जागरूक एवं प्रशिक्षित करना होता है।

अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो (एनआईटीएस/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों) द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति हस्पताल अपशिष्ट का प्रबंधन एवं प्रहस्तन, सुरक्षित पेय जल, खाद्य उत्पादों में मिलावट और खाद्य निरापदता, जन सेवाएं देना जैसे विभिन्न विषयों पर 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 800 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

(iii) भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें एनआईटीएस के कर्मचारियों के लिए हिंदी अधिनियमों पर एक हिंदी कार्यशाला, ईएमएस ऑडिटरों (केवल अधिनियम/नियम और विनियम) के कौशल में वृद्वि के लिए और जीवन शैली विकार और तनाव प्रबंधन पर एक कार्यक्रम शामिल था। इन तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारतीय मानक ब्यूरो के लगभग 540 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

8.11 1947 में अपने आरंभ समय से ही उस समय का आईएसआई और अब भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैः अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईइसी)। यह इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति–निर्माता समितियों में भागीदारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास आईएसओ/आईइसी की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण समितियों का सचिवालय भी है जिनके भारत में व्यापारिक हित हैं। आईएसओ के सदस्य के रूप में भारतीय व्यापार और उद्योगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। ब्यूरो मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रत्यायन इत्यादि से जुड़े क्षेत्रीय और द्वि पक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी करता है। ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलाप जारी रखे। अप्रैल–दिसम्बर 2011 के दौरान कुछ गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित हैः

(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

(क) **आईएसओ महासभा** – भारतीय मानक ब्यूरो ने 19–24 सितम्बर 2011 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 34वीं महासभा की मेजबानी की। भारतीय मानक ब्यूरो ने 47 वर्षो के अंतराल के बाद दूसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी की। महासभा का उदघाटन माननीय के वी थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने किया। 127 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 368 प्रतिनिधियों ने महासभा में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व श्री राजीव अग्रवाल, सचिव

(उपभोक्ता मामले) ने किया। महासभा सप्ताह के दौरान आईएसओ डीईवीसीओ की 45वीं प्लेनरी, आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) की 52वीं बैठक और आईएसओ परिषद की 90वीं बैठक भी आयोजित की गई। भारतीय मानक ब्यूरो ने 18 सितम्बर, 2011 को पीएएससी ईसी की 40वीं बैठक भी आयोजित की। 22 सितम्बर,2011 को ''उद्योग एवं मानक – नवीनता को प्रोत्साहन एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का विकास'' विषय पर एक खुला सत्र भी हुआ जिसमें आईएसओ प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों के नायकों, औद्योगिक संगठनों और उपभोक्ता समूहों, सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

19–24 सितम्बर 2011 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 34वीं महासभा की मेजबानी की।

19–24 सितम्बर 2011 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 34वीं महासभा की मेजबानी की।

कार्यक्रम के दौरान मिस्र, उजबेकिस्तान, मोजाम्बिक, मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे और अमेरिका के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें हुई। उपरोक्त उल्लिखित देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ एमओयू/एमआरए किए जाने और वर्तमान एमओयू/एमआरए के संरचनागत कार्यावन्यन के लिए तंत्र बनाए जाने की चर्चा भी शामिल थी। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनाने पर भी चर्चाएं की गई

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएसओ की उन समितियों/उपसमितियों में सक्रिय भागीदारी की जिनमें भारत भागीदार 'पी' सदस्य है और जहां सचिवालय दायित्व भारत के पास है।

(ii) **अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)**

भारतीय मानक ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न समितियों में सक्रियता से हिस्सा लिया। भारतीय मानक ब्यूरो के शिष्ट मंडल ने अपने महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24 से 28 अक्तूबर, 2011 तक मेलबर्न में आईईसी की महासभा में भाग लिया।

(iii) **द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमः** भारतीय मानक ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से अमेरिका, ग्रीस, सिंगापुर, ओमान, इजरायल, केन्या, थाईलैंड, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताईवान, यूक्रेन, कोरिया, बांग्लादेश, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग बनाए रखा। मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान तथा स्लोवेनिया के

राष्ट्रीय मानक निकायों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री मनोज परिडा, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव पाकिस्तान में व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए उपभोक्ता सहयोग, परस्पर मान्यता और व्यापार शिकायतों के प्रतितोष सम्बिन्धी मानक करार पर हस्ताक्षर करते हुए

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव (उपभोक्ता मामले) के नेतृत्व में भारतीय मानक ब्यूरो के एक शिष्टमंडल ने मानक, तकनीकी नियमों तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए जुलाई, 2011 के दौरान ब्राजील में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। समझौता ज्ञापन के प्रत्येक अनुच्छेद के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न संगत मुद्दों पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ।

(iv) **क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम**: भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्क मानक समन्वय बोर्ड की बैठकों में सक्रिय भूमिका का दायित्व लेकर मानकों और अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में भागीदारी की। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिनांक 24–25 अगस्त, 2011 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित सार्क मानक समन्वय बोर्ड की 8वीं बैठक में भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिनांक 14–15 दिसम्बर, 2011 को ढाका में आयोजित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) के शासी बोर्ड की पहली बैठक में भाग लिया।

मानकीकरण, मापपद्धति तथा प्रमाणन यूरो–एशियन परिषद की 39वीं बैठक में सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। जो 11–12 मई, 2011 के दौरान तुर्कमानबाशी, तुर्कमेनिस्तान में आईएसओ द्वारा मान्य सात क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। विभिन्न सहभागी देशों के एनएसबी के साथ सॉझा हितों के क्षेत्रों में परस्पर फायदों के लिए रणनीतियॉ बनाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

(v) **विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा**: वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों तथा संबंधित संगठनों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों/प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया:

– अंडरराइटर्स लैबोरेट्री, यूएसए से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया जिसमें आपसी हितों एवं सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।

– दिनांक 8 अगस्त, 2011 को इथोपिया से (10 व्यक्तियों) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानकीकरण संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

– बांग्ला देश (बीएसटीआई) से एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएसटीआई लैबों के उन्न्यन पर चर्चा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

– कनाडा मानक परिषद से एक प्रतिनिधिमंडल

ने दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को आपसी हित तथा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

– न्यूजीलैंड से एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को भारत से खाद्य वस्तुओं के आयातों और अनिवार्य प्रमाणन संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

– आस्ट्रेलिया उच्च आयोग से एक प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य उत्पादों संबंधी मानकों से संबंधित वैधानिक कार्य योजना पर चर्चा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

– श्री जेवियिर शैफर, अध्यक्ष, आईएसओ टीसी 155 (निकल एवं निकल मिश्रित ध ाातु) ने भारतीय मानक ब्यूरो तथा आईएसओ द्वारा निकल एवं निकल मिश्रित धातुओं के मानकीकरण की स्थिति पर चर्चा के लिए दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

(ट) राजस्व अर्जन

8.12 भारतीय मानक ब्यूरो मुख्य रूप से अपनी आय प्रमाणन, प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय मानकों की बिक्री से अर्जित करता है। इन क्रियाकलापों से अर्जित आय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	गतिविधियॉ	प्रगति	
		2010–11	अप्रैल–नवम्बर, 2011
1	प्रमाणन (हॉलमार्किंग सहित)	210.53	149.47
2	प्रशिक्षण संस्थान	1.72	0.57
3	भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री	9.45	4.64
	योग	**221.70**	**154.68**

(ठ) प्रकाशन

8.13 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रकाशन विभाग मासिक पत्रिकाओं स्टैंडर्डस इंडिया, पूर्व में 1949 से प्रकाशित आईएसआई बुलेटिन के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मानकीकरण आंदोलन के प्रचार–प्रसार तथा संवर्द्धन का कार्य करता है। स्टैंडर्डस इंडिया पत्रिका देश तथा विदेश में मानकीकरण हेतु किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी तथा समीक्षा प्रस्तुत करती है। इस पत्रिका में विचारोत्तेजक महत्त्वपूर्ण टिप्पीणियों के साथ क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रगति की जानकारी होती है जिसके कारण पत्रिका ने क्षेत्र में स्वयं को एक प्रतिष्ठित पत्रिका के रूप में स्थापित किया है। स्टैंडर्डस मंथली एडीशन एक लघु प्रकाशन होने के बावजूद हर माह, उस माह के दौरान वर्तमान मानकों से संबंधित सभी संशोध ानों, परिवर्तनों तथा नए और प्रारूपण के चरण तक विकसित मानकों के विषय में पाठकों को जानकारी देता है और विदेशों से प्राप्त ऐसी ही सूचना इसमें प्रकाशित की जाती हैं।

यह विभाग प्रतिवर्ष बीआईएस कैटलॉग नामक एक कैटलॉग प्रकाशित करता है। इस कैटलॉग की सामग्री को कई शीर्षकों में विभाजित किया जाता है: क) 31 दिसम्बर तक अद्यतन किए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानक, ख) भारतीय मानकों के रूप में ग्रहण किए गए अंतरराष्ट्रीय मानक, ग) हिंदी में (अनुदित) भारतीय मानक, घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक सामग्री, ड) सभी प्रकाशनों संबंधी विषय–सूची प्रकाशन विभाग भारतीय मानकों की पुनर्पुष्टि/वापिस लेने/प्रकाशन विभाग पर तथा विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा दी गई सूचना से भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की संवृद्धि संबंधी सारणी फाइल तैयार करता है। यह विभाग तकनीकी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी नए/पुनरीक्षित भारतीय मानक/प्रकाशन और

संशोधनों के पीडीएफ प्रारूप की सॉफ्ट प्रति का रख–रखाव भी करता है। इस जानकारी का उपयोग वेबसाइट www.standardsbis.in पर भारतीय मानकों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो के पास इन सभी प्रकाशनों का प्रतिलिप्याधिकार होता है। भारतीय मानकों के संक्षेप सार को उद्धृत करने के अनुरोध तकनीकी पुस्तकों के लेखकों द्वारा विभाग को भेजे जाते हैं। यह विभाग आईएसओ/जीईएन 19:1999 गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग कॉपीराइट एक्सप्लायटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीज फॉर आईएसओ स्टैंडर्डस इन बुकस में निर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित गणनाओं तथा तकनीकी सत्यापन के बाद आवेदक से प्रतिलिप्याधिकार प्रभार का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात इसकी अनुमति देता है।

यह विभाग विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री का विभिन्न भारतीय (हिंदी के अलावा) भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से स्वदेशी भाषाओं में अनुवाद की सेवा उपलब्ध कराता है। अनुवाद हेतु विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योगों से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यह विभाग जर्मन अथवा फ्रेंच भाषा बोलने वाले देशों के साथ परस्पर संवाद की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

(ङ) प्रचार

8.14 भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं के बीच ब्यूरो की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने एवं गुणता के प्रति दृढ़ चेतना पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न प्रचार माध्यमों से विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ शुरू की।

(i) **34वीं आईएसओ महासभा**: भारतीय मानक ब्यूरो ने 21 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 47 सालों के बाद आईएसओ महासभा के 34वें उदघाटन समारोह की मेजबानी की। इस समारोह का उद्घाटन प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर, 16 भिन्न– भिन्न समाचार पत्रों में उद्घाटन संबोधन के प्रमुख बिंदुओं को दर्शाने वाला एक रंगीन विज्ञापन जारी किया गया। इस समारोह को इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया ने व्यापक रूप से प्रचारित–प्रसारित भी किया।

उद्घाटित अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 34वीं महासभा संबंधी प्रेस नोट दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को जारी किया गया तथा बहुसंख्यक परिचालित समाचार पत्रों द्वारा इसे प्रकाशित किया गया।

(ii) **विश्व मानक दिवस समारोह** –14 अक्तूबर, 2011 को आयोजित हुए विश्व मानक दिवस के समारोह को अधिसंख्यक दर्शकों वाले चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया। विश्व मानक दिवस के मौके पर एक विज्ञापन दिनांक 14 अक्तूबर, 2011 को 39 समाचार पत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित कराया गया।

(iii) **हॉलमार्किंग जागरूकता सप्ताह**: दिनांक 3–9 जुलाई, 2011 के दौरान कोच्चि में हॉलमार्किंग जागरूकता सप्ताह समारोह मनाया गया। माननीय राज्यमंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने समारोह का उदघाटन किया तथा जिसे क्षेत्रीय इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया। इसके अलावा, माननीय राज्यमंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्रालय की प्रेस–वार्ता भी आयोजित की गई। सप्ताह के दौरान, मलयालम भाषा में हॉलमार्किंग संबंधी टीवी

स्पॉट एशियानेट न्यूज, मनोरमा न्यूज तथा जय हिंद पर बारम्बार प्रतिदिन प्रसारित कराया गया। दिनांक 4 जुलाई 2011 को स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग संबंधी विज्ञापन जारी किया गया तथा जिसे 24 न्यूजपेपरों में प्रकाशित कराया गया। उपरोक्त सप्ताह के दौरान 15 विभिन्न समाचार–पत्रों में हॉलमार्किंग संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी कराया गया। हॉलमार्किंग पर 10 नुक्कड़ नाटक हॉलमार्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए कोच्चि एवं अन्य जिलों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर कराए गए।

मुम्बई में 26–30 सितम्बर, 2011 के दौरान हॉलमार्किंग जागरूकता सप्ताह समारोह आयोजित कराया गयाः

हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए प्राइम समय के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के 5 बहुसंख्यक दर्शकों वाले चैनलों में प्रतिदिन 24 सितम्बर से 30 सितम्बर 2011 तक मराठी एवं गुजराती भाषाओं में हॉलमार्किंग संबंधी टी वी स्पॉट प्रसारित किए गए। हॉलमार्किंग संबंधी एक विज्ञापन अभियान दिनांक 26 से 30 सितम्बर, 2011 के दौरान सप्ताह भर डब्ल्यूआरओ, मुम्बई में प्रिंट मीडिया में जारी किया गया तथा मुम्बई, पुणे, नागपुर एवं सूरत के 11 भिन्न–भिन्न समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया। हॉलमार्किंग संबंधी नुक्कड़ नाटक हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भिन्न–भिन्न स्थानों पर भी आयोजित किए गए।

कोलकाता में 14–18 नवम्बर, 2011 के दौरान हॉलमार्किंग जागरूकता सप्ताह समारोह आयोजित किया गयाः दिनांक 14–20 नवम्बर, 2011 के दौरान बंगला एवं उड़िया में हॉलमार्किंग पर टी वी स्पॉट प्रसारित कराए गए। हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अधिसंख्यक दर्शकों वाले चैनलों पर प्रतिदिन टी वी स्पॉट प्रसारित कराए गए। हॉलमार्किंग संबंधी एक विज्ञापन अभियान दिनांक 14–18 नवम्बर, 2011 के दौरान सप्ताह भर कोलकाता में प्रिंट मिडिया में जारी किया गया तथा इसे कोलकाता, रॉची, पटना, गुवाहाटी तथा भुवनेश्वर के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। हॉलमार्किंग संबंधी नुक्कड़ नाटक हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भिन्न –भिन्न स्थानों पर आयोजित कराए गए।

चंडीगढ़ में 5 दिसम्बर से 9 दिसम्बर, 2011 तक हॉलमार्किंग जागरूकता सप्ताह समारोह आयोजित किया गयाः

दिनांक 3–9 दिसम्बर, 2011 तक हिंदी एवं पंजाबी भाषाओं में हॉलमार्किंग पर टी वी स्पॉट प्रसारित किए गए। हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए प्राइम टाइम में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमुखतः देखे जाने वाले चैनलों पर प्रतिदिन टी वी स्पॉट प्रसारित किए गए। चंडीगढ़ में प्रिंट मीडिया में 3–9 दिसम्बर, 2011 तक सप्ताहभर हॉलमार्किंग पर एक विज्ञापन अभियान भी जारी किया गया तथा इसे चंडीगढ़, पानीपत, अमृतसर, जालंधर, लखनऊ, फरीदाबाद, बरोग (एचपी) इत्यादि के 16 भिन्न–भिन्न अखबारों में प्रकाशित कराया गया। हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भिन्न –भिन्न स्थानों पर हॉलमार्किंग पर नुक्कड़ नाटक भी कराए गए।

(iv) **प्रिंट मीडिया** – अखिल भारतीय स्तर पर अप्रैल, 2011, मई, 2011 तथा जून 2011 महीनों के दौरान स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग पर एक विज्ञापन अभियान जारी

किया गया। अप्रैल, 2011 तथा सितम्बर, 2011 के दौरान आईएसआई (टायर एवं ट्यूब) पर एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर विज्ञापन भिन्न –भिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराया गया।

(v) **हॉलमार्किंग/आईएसआई मुहर पर जिंगल**–उपभोक्ता जागरूकता के लिए 16 अगस्त, 2011 से 15 सितम्बर, 2011 तक 139 रेल सम्पर्क पर हॉलमार्किंग/आईएसआई मुहर पर जिंगल चलाया गया।

(vi) **आईएसआई मुहर/हॉलमार्किंग पर टी वी स्पॉट प्रसारण** – उपभोक्ता जागरूकता के लिए डीएवीपी के माध्यम से अप्रैल, 2011 के दौरान डीडी नेशनल तथा प्राइवेट चैनलों पर आईएसआई मुहर तथा हॉलमार्किंग पर टी वी स्पॉट प्रसारित करके प्रचार अभियान चलाया गया।

(vii) **रेडियो स्पॉट**– 4 अक्तूबर, 2011 से 45 दिनों के लिए ऑल इंडिया रेडियो (37 विविध भारतीय स्टेशनों तथा 22 एफएम स्टेशनों) पर प्रसार भारती के माध्यम से आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए।

(viii) **आउटडोर पब्लिसिटी अभियान**– उपभोक्ता जागरूकता के लिए रेलवे स्टेशनों/बस स्टैंडों, बस क्यू शैलटरों पर एनीमेशन डिस्पलेटेशन, होर्डिंग, फ्रंटलाइट ब्रिज पैनलों, किआस्क, बेकलाईट ग्लो साईन; मुम्बई रेलवे स्टेशनों पर वीडिओ वाल डिस्पले तथा डिजीटल संदेश रिले बस स्टैंडों पर एलसीडी डिस्पले के माध्यम से आईएसआई मुहर तथा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर पब्लिसिटी अभियान भी चलाए गए।

(ix) **प्रदर्शनियाँ**: भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर ब्लो–अप प्रदर्शित किए गए। इन प्रदर्शनियों के दौरान किसानों, डेयरी उपकरणों, आम उपभोक्ताओं तथा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग पर छोटी फिल्में दिखाई गई। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए आगन्तुकों को ब्रॉशर भी बॉटे गए।

(x) **साक्षात्कार**– विश्व मानक दिवस (13 अक्तूबर, 2011) पर डीडी नेशनल ने अपने कार्यक्रम 'ईवनिंग लाईव शो' पर सीधे एक साक्षात्कार प्रसारित किया। जीटीवी पर 20 अक्तूबर, 2011 की शाम को हॉलमार्किंग पर एक साक्षात्कार प्रसारित किया। आईएसआई मुहर पर साक्षात्कार ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल चैनल पर 'उपभोक्ता और मानक चिन्ह' कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।

(ढ) भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

8.15 भारतीय मानक ब्यूरो ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा राजभाषा संबंधी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। तदनुसार, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबद्ध निम्नलिखित कार्य किए हैं:

हिंदी कार्यान्वयन:– भारतीय मानक ब्यूरो के सभी विभागों को राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम परिचालित किया गया। मुख्यालय की

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकें समय से आयोजित की गई। भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 15 कार्यशालाएं आयोजित की गई। जिसमें काफी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें 132 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवधि के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने गुवाहाटी शाखा कार्यालय तथा पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में अपने निरीक्षण के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग को संतुष्टिपरक पाया।

हिंदी पत्रिका– हिंदी पत्रिका 'मानकदूत' के प्रकाशन को भी जारी रखा तथा 'मानकदूत' के सभी अंकों की पांडुलिपियॉ समय से तैयार की। मानकदूत सम्पादन सलाहकार समिति की बैठक भी इस दौरान आयोजित की गई।

मानक और सामान्य अनुवाद: अवधि के दौरान लगभग 360 तकनीकी शीर्षक एवं 63 मानकों का अनुवाद किया गया। लगभग 650 पृष्ठों का अनुवाद भी किया गया।

(ण) सतर्कता गतिविधियॉ:

8.16 भारतीय मानक ब्यूरो के सतर्कता विभाग के अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। उनकी सहायता के लिए चार सतर्कता अधिकारी तथा पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्रों में तैनात दो क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को ब्यूरो के सतर्कता कार्यकलापों का प्रबंधन कार्य सौंपा गया है। यह विभाग अन्य अभिकरणों यथा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओटी)' के निकट समन्वय में काम करता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियॉ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती है। जिनका निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। इस विभाग के मुख्य कार्य सतर्कता के निवारक, खोजें और दंडात्मक पक्षों से जुड़े हैं। सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:

क) ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों और चल तथा अचल संपत्तियों व अंतिम लेन–देन जब और जैसे दर्ज कराए जाने पर उनकी संवीक्षा/जॉच करना।

ख) विभाग/कर्मचारी के अनुरोध पर पदोन्नति पासपोर्ट, विदेशों में कार्य करने पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना।

ग) सीधे शिकायतकर्ता अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीआई) मंत्रालय के माध्यम से मिली जानकारी के स्रोत और शिकायतों व जॉच–पड़ताल करना। जॉच–पड़ताल के आधार पर मिले परिणाम के आधार पर आवश्यक होने पर शिकायत दर्ज करना या केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लेना।

घ) भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के आचरण नियमावली, सीसीएन (सीसीए) नियमावली और लागू होने वाले अन्यक विभिन्नो संबंधित नियमों/विनियमों तथा मैनुअलों से अवगत कराने और उनमें अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए

संबंधित विषयों पर कार्यशाला और कार्यक्रम आयोजित करना।

ड.) निवारक सतर्कता के रूप में ब्यूरो और शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न कार्यकलापों के सतर्कता ऑडिट आयोजित करना और क मियां को दूर करने के लिए व्यवस्थित सुधार लाने के सुझाव देना।

च) यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो सीधा फीडबैक प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारियों, उपभोक्ता संगठनों और निर्माता संघों के साथ बैठकें आयोजित करना और व्यवस्थित सुधार तथा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव देना।

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 के दौरान सतर्कता विभाग ने ब्यूरो के एमडीडी– I, II एवं III दिल्ली, बीएचबीओ भुवनेश्वर, प्रशासन विभाग और पुस्तकालय तथा भारतीय मानक ब्यूरो के हिंदी विभाग, कोलकाता के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय सहित चार की सतर्कता ऑडिट किए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रक्रियाविधियों के अनुपालन न करने के मामलों मे सतर्कता जॉच–पड़ताल की गई। भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंसियों के सोलह औचक निगरानी निरीक्षण भी किए गए। लंबित सतर्कता जांचें आगे बढ़ाई गई और जारी विभागीय जांचों को नियमित तौर पर मॉनीटर किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार भारतीय मानक ब्यूरो में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के सभी कार्यालयों ने भ्रष्टाचार विरोधी बैनर/पोस्टर/नारों को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त, निबंध प्रतियोगिता, परिचर्चा इत्यादि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। देश में भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशाला तथा निरीक्षण कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की रिपोर्ट को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा रहा है।

(त) प्रवर्तन

8.17 भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणवता की मुहर है और छः से भी अधिक दशकों में इसने अपनी एक ब्रांड छवि बनायी है क्योंकि उपभोक्ताः हमेशा गुणवता वाले उत्पादन को पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता गैर–आईएस उत्पादों की तुलना में आईएसआई मुहर वाले उत्पाादों को प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती मॉग के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएं भी बढ़ रही है क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगाकर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं।

01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देश भर में 74 प्रवर्तन छापे मारे गए। इन छापों के दौरान विभिन्न नकली उत्पादों, जिनमें अनेक घरेलू उत्पाद, पैकेजबंद पेयजल, पीवीसी इन्सुलेशन केबलें, पीवीसी इन्सुलेशन टेपें, सीमेंट, डीजल इंजिन, अग्निशामक यंत्र, वेल्डिंग

इलैक्ट्रोरॉड आदि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों में यथा संभव समय पर कार्रवाई के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालयों में अभियोजन प्रारंभ किए गए।

आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले धोखेबाज विनिमार्ताओं के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने तथा दोषियों के विरूद्ध माननीय न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देने के लिए अनेक प्रेस विज्ञप्तियॉ जारी की गई।

(थ) कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न

8.18 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और मानदंडों का पालन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में यौन उत्पीडन समिति गठित की गई जिसके आधे से अधिक सदस्य भी महिलाएं हैं। 'यौन उत्पीडन' पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों की प्रति समिति के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ दी गई कि वह इन दिशा–निर्देशों को पूरी तरह पढ़ लें जिससे कि वे विषय की संवेदनशीलता को भली–भांति जान सके।

यह समिति 5 मई, 2011 को एक वर्ष के लिए पुनगर्ठित की गई। ऑल इंडिया डमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) को समिति में एनजीओ प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया गया है। मई, 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में अधिकारियों और स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ को छोड़ कर), एनआईटीएस, नौएडा और केंद्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद में अतिरिक्त यौन उत्पीड़न समितियॉ गठित की गई हैं। जहॉ कहीं भी संभव हुआ वहां समिति में एनजीओ के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

समूह	वर्तमान संख्या	अनु.जाति	अ.ज.जाति	अ.पि.वर्ग	विकलांग व्यक्ति	वि.	पूर्व सै.
क	487	74	12	31	1	1	1
ख	495	100	11	8	6	0	2
ग	358	73	19	19	7	0	0
घ	279	103	17	4	7	0	0
कुल	1619	350	59	62	21	01	03

पहले ये समूह 'घ' में थे। छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के निर्णयानुसार समूह 'घ' को निर्दिष्ट प्रशिक्षण दिए जाने के बाद प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद समूह घ के कर्मचारियों पद समाप्त हो गया है। अब वे सभी समूह 'ग' के कर्मचारी जाने जाते हैं।

8.19 31 दिसम्बर, 2011 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्टाफ संख्या 1619 थी। अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. तथा विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:

भारतीय मानक ब्यूरो मानव संसाधन विकास के प्रयत्नों को जारी रखे हुए है। मानव संसाधन के विकास के भाग के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्मिकों को इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा एनआईटीएस में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न एजेंसियों (भारत के भीतर) द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

जागो ग्राहक जागो

वार्षिक कार्य योजना 2011–12 (जनवरी 2012– मार्च 2012) के लक्ष्य

गतिविधि	निरूपण 2011–12
क. वित्तीय लक्ष्य (राजस्व आय करोड़ों में)	
	जनवरी–मार्च 2012)
उत्पाद प्रमाणन	46
हॉलमार्किंग	3.15
प्रबंध पद्धति प्रमाणन	0.70
प्रशिक्षण संस्थान	0.40
भारतीय मानक ब्यूरो प्रकाशनों की ब्रिकी	2.30
ख. वास्त्विक लक्ष्य	
मानकीकरण	
मानक निर्धारण	75
मानकों की समीक्षा	1500
प्रमाणन	
1. उत्पाद प्रमाणन	
क) प्रचालन लाइसेंसों में निबल वृद्धि (हॉलमार्किंग निकाल कर) 2010–11	275
2. हॉलमार्किंग	
क) नए लाइसेंस प्रदान करना	450
3. प्रबंध प्रमाणन पद्धति	
क) नए लाइसेंस प्रदान करना	35
ख) लाइसेंसधारकों की समीक्षा बैठकें	5

गतिविधि	प्रक्षेपण 2011–12 (जनवरी–मार्च 2012)
प्रयोगशाला भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण रिपोर्टों की संख्या	5095
प्रवर्तन क) छापों की संख्या	73
प्रशिक्षण गतिविधियॉं/जागरूकता कार्यक्रम	
i) **एनआईटीएस**: निम्नलिखित पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	
क) गुणता प्रबंध पद्धति, प्रलेखन एवं ऑडिटिंग, टीक्यूीएम, एसक्यूसी, ईएमएस, एफएसएमएस, एचएसीसीपी, ओएचएसएमएस, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण इत्यादि	30
ख) अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)	3
ग) संगठनात्मक विकास	6
भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ii) **एसपीसीएडी**: क) मानकों का शैक्षिक उपयोग (ईयूएस) ख) मानकीकरण एवं गुणता पद्धतियों पर उद्योग जागरूकता कार्यक्रम (ए डब्ल्यू) ग) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	 26 18 60
iii) **हॉलमार्किंग** हॉलमार्किंग पर जागरूकता कार्यक्रम	15

◆◆◆

अध्याय - IX

बाट तथा माप

9.1 देश में बाट तथा माप कानूनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के माध्यम से लागू किया जाता है। इन विधायनों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि व्यापार अथवा वाणि ाज्य अथवा मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बाट तथा माप सही और विश्वसनीय हों ताकि प्रयोगकर्ताओं को उनके कार्य–निष्पादन के बारे में गारंटी दी जा सके। इससे समय आने पर उपभोक्ता उस सही मात्रा/गुणवत्ता को प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के साथ–साथ सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति के चलते भारतीय बाजार में बड़ी तेजी से बहुत से अत्याधुनिक बाट तथा माप उपकरणों को लाया जा रहा है। इस नए किस्म के बाट तथा माप उपकरणों को खपाने के उनके विनिर्देशनों को भी अपनाने/अद्यतन करने की आवश्यकता है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप सामान्य नियमों में नए विनिर्देशन शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

9.2 भारत में बाट तथा माप कानून 'पैकशुदा' रूप में वस्तुओं की बिक्री को भी विनियमित करते हैं। **विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं)** नियम,2011 की अपेक्षा के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए पैकेजों पर कतिपय बुनियादी जानकारी की घोषणा करना अनिवार्य है। नियमों में आयातकर्ताओं के लिए आयात पैकेजों पर घरेलू पैकेजों की तर्ज पर ही कुछ बुनियादी घोषणाएं करना अपेक्षित है। विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 को सा.का.नि. 784(अ) तारीख 24.10.2011 के द्वारा संशोधित किया गया था। खुदरा पैकेजों के गैर–मानक आकार के लिए प्रावधान का 1 जुलाई, 2012 से लोप कर दिया गया है।

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थाान, रांची

9.3 विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान चार महीने के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता आ रहा है। संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधि ानियम के तहत गठित राज्य आयोगों और जिला मंचों के गैर–न्यायिक सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करता रहा है। इसके अलावा, संस्थान, विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर प्रवर्तन अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक कार्यशालाएं और सेमिनार में आयोजित करता है। संस्थान प्रतिवर्ष औसतन 200 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

कैलेण्डर वर्ष 2011–12 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	
		से	तक
1	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अंग्रेजी माध्यम)	01.4.11	29.07.11
2	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (हिंदी माध्यम)	01.4.11	29.07.11
3	विधिक माप विज्ञान(पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	25.4.11	29.4.11
4	गैर–स्वचालित तोलन मशीनों पर विशेष पाठ्यक्रम	09.05.11	13.05.11
5	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक माप विज्ञान के मॉडल (प्रवर्तन) नियम,2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	23.05.11	27.5.11
6	इन–मोशन रेल वेब्रिज एंड स्टेनटिक वेब्रिज पर विशेष पाठ्यक्रम	06.6.11	10.6.11
7	इलेक्ट्रानिक तोलन मशीन के मरम्मतकर्ताओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम	1.7.11	29.7.11
8	विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 और विधिक माप विज्ञान के मॉडल (प्रवर्तन) नियम, 2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	18.7.11	22.7.11
9	मानक तुला (मैकेनिकल और डिजिटल) के अंशांकन और सत्यापन पर विशेष पाठ्यक्रम	08.8.11	12.8.11
10	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अंग्रेजी माध्यम)	1.8.11	30.11.11
11	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (हिंदी माध्यम)	1.8.11	30.11.11
12	विधिक माप विज्ञान में विदेशी अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम	1.8.11	30.12.11
13	बाट और माप से संबंधित कानून पर सेमिनार	15.9.11	16.9.11
14	वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद/द्रव के फ्यूल डिस्पेंसर और सी एन जी मापन प्रणालियों पर विशेष पाठ्यक्रम	26.9.11	30.9.11
15	मास कम्पेयरेटर(तोलन तकनीकें और बाटों के अंशांकन) पर विशेष पाठ्यक्रम	17.10.11	21.10.11
16	विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 और विधिक माप विज्ञान के मॉडल (प्रवर्तन) नियम,2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	21.11.11	25.11.11
17	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अंग्रेजी माध्यम)	1.12.11	30.3.12
18	वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद/द्रव के फ्यूल डिस्पेंसर और सी एन जी मापन प्रणालियों पर विशेष पाठ्यक्रम	12.12.11	16.12.11
19	विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 और विधिक माप विज्ञान के मॉडल (प्रवर्तन) नियम,2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	9.1.12	13.1.12
20	आटो/टैक्सी किराया मीटर (परीक्षण और अंशांकन), क्लिनिकल थर्मामीटर और रक्तचाप मापने के उपकरण पर विशेष पा. ठ्यक्रम	06.2.12	10.2.12
21	उपभोक्ता शिक्षा पर सेमिनार	20.02.12	21.2.12
22	विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 और विधिक माप विज्ञान के मॉडल (प्रवर्तन) नियम,2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	19.3.12	23.3.12

बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत प्रतिभागियों की संख्या
(चार माह की अवधि)
वर्ष 2011–2012

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रतिभागियों की कुल संख्या	सफल	पूरक / असफल	परीक्षाफल : में
बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.12.2010 से 31.03.2011 तक	43	26	17	61
बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.04.2011से 31.07.2011 तक	49	परीक्षाफल तैयार किया जा रहा है।		
बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.08.2011 से 30.11.2011 तक	58	प्रशिक्षण ले रहे हैं।		

वर्ष 2011–12 के लिए विशेष पाठ्यक्रम / सेमिनार / कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और मॉडल प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 पर विशेष पाठ्यक्रम	17/01/2011-21/01/2011	15
2	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और मॉडल प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 पर विशेष पाठ्यक्रम	21/02/2011-25/02/2011	21
3	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और मॉडल प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 पर विशेष पाठ्यक्रम	14/03/2011-18/03/2011	23
4	पैकेज में रखी वस्तुओं नियम, 2011 पर विशेष पाठ्यक्रम	25/04/2011-29/04/2011	18
5	गैर–स्वचालित तोलन उपकरणों पर विशेष पाठ्यक्रम	09/05/2011-13/05/2011	17
6	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और मॉडल प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 पर विशेष पाठ्यक्रम	23/05/2011-27/05/2011	04
7	इन–मोशन रेल वेब्रिज एंड स्ट्रेटिक वेब्रिज पर विशेष पा. ठ्यक्रम	06/06/2011-10/06/2011	21
8	गैर–स्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रानिक तोलन मशीन) पर विशेष पाठ्यक्रम	01/07/2011-29/07/2011	05
9	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और मॉडल प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 पर विशेष पाठ्यक्रम	18/07/2011-22/07/2011	21

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान में अन्य) गतिविधियां

1. माननीय कृषि मंत्री, झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड सरकार के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 पर एक दिवसीय सेमिनार का उदघाटन किया और श्री बी.एन. दीक्षित, निदेशक (विधिक माप विज्ञान), भारत सरकार ने अधिनियम और नियमों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी तथा उनसे बातचीत की।

झारखण्ड के माननीय कृषि मंत्री ने विधिक माप विज्ञान अधिनिमय, 2009 पर एक दिवसीय सेमिनार का उदघाटन किया

श्री बी.एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार ने अतिथि के रूप में विधिक माप विज्ञान अधिनियम पर व्याख्यान दिया

श्री ए.एम. पाठक, निदेशक, विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर व्याख्यान दिया

श्री वी.के. सिंह, विधिक माप विज्ञान नियंत्रक, आंध्र प्रदेश सरकार ने विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।

2. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थावन, रांची के तीन संकाय सदस्यों ने फ्यूल डिस्पेंसर और सी एन जी/एल पी जी डिस्पेंसर पर 17.2.2011 से 18.2.2011 तक एफ सी आर आई, पालक्काड, केरल में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

3. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के दो संकाय सदस्यों ने मेजरमेंट की अनिश्चितता, इंटरलेक्रोटरी कम्प्रीजन्स, प्रोफिसिएंसी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन का ऑफ जेड स्कोर्स पर एन आई टी एस, भारतीय मानक ब्यूरो, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से 5 अगस्त , 2011 तक प्रशिक्षण प्राप्त, किया।

श्री वी.के. सिंह, विधिक माप विज्ञान नियंत्रक, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के साथ बातचीत की।

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में सेमिनार में भाग लेते हुए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु

प्रीसियन्स लेबोरेटरी में मास कम्पेयेरेटर

सेकेण्डरी स्टैण्डर्ड लेबोरेटरी में सैकेण्डरी स्टैण्डर्ड इक्वी– आर्म डबल पैन बैलेंस

रेफ्रेंस स्ट्ैण्डर्ड लेबोरेटरी में रेफ्रेंस स्टैण्डर्ड इक्वी आर्म डबल पैन बैलेंस

वर्किंग स्टैण्डर्ड लेबोरेटरी में वर्किंग स्टैण्डर्ड इक्वी आर्म डबल पान बैलेंस

संदर्भ मानक बाट

द्वितीयक मानक बाट

कार्यकारी मानक बाट

सेकेण्डरी स्टैण्डर्ड क्षमता माप

वर्किंग स्टैण्डर्ड क्षमता माप

4. बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान संकाय द्वारा प्रशिक्षुओं के साथ बाट तथा माप से संबंधित देश के विभिन्न उद्योगों में क्षेत्र प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

5. 30.08.2011 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

6. 1.9.2011 से 14.9.2011 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:–

(क) 1.9.2011 और 2.9.2011 को दो दिन की हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

(ख) 5.9.2011 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(ग) 9.9.2011 को हिंदी पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया।

(घ) 14.9.2011 को हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया।

श्री बी.एस. मिश्रा (सेवानिवृत्त आई ए एस) भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे।

तमिलनाडु के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों ने हिंदी पखवाड़ा समारोह में भाग लिया।

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में हिंदी पखवाड़ा समारोह

7. अप्रैल, मई, जुलाई और सितम्बर,2011 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8. 20.5.2011 को आतंकवादरोधी दिवस मनाया गया।

9. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के मुख्य भवन, होस्टल, रिहायशी क्वार्टरों, सड़कों और चार दीवारी का नवीनीकरण किया जा रहा है।

ग. क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं

9.4 केंद्रीय सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएं विधिक माप विज्ञान के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों को वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

घ. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए कार्य

9.5 विभाग के क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, फरीदाबाद, गुवाहाटी और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची, जो राज्यों और सेवा राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, के आधुनिकीकरण की स्कीमें शुरू की हैं। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद के फ्लोमीटर के परीक्षण/अंशाकन का कार्य शुरू किया है। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और बंगलौर के लिए फ्लोमीटर के परीक्षण/अंशांकन के लिए नए प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य इस वर्ष के दौरान हो जाने और उसमें कार्य शुरू हो जाने की उम्मीद है। इन प्रयोगशालाओं को किसी भी प्रकार के बाट तथा माप के इलैक्ट्रानिक सूचक के परीक्षण के लिए इलैक्ट्रानिक परीक्षण सुविधा प्रदान करके आधुनिक बनाया गया है।

9.6 राज्यों के विधिक मानकों के सत्यापन और बाट अथवा मापों के मॉडल अनुमोदन परीक्षण करने की सांविधिक अनिवार्यता के अलावा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं उद्योगों को उनके बाट तथा माप उपकरणों का अंशांकन करके उनको माप विज्ञान सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला अपने क्षेत्र के औसतन उद्योगों को अंशांकन सेवा प्रदान करती है।

विभाग ने विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मुंबई में 10 मार्च, 2011, रांची में 9.4.2011, अहमदाबाद में 26 अप्रैल, 2011 और 2 मई, 2011 को 4 विधिक माप विज्ञान सम्मेलन आयोजित किए। उपर्युक्त सम्मेंलनों के अलावा, विभाग ने गुणता प्रबंधन पर एन आई टी एस, नोएडा और फ्लोमीटर परीक्षण पर एफ सी आर आई, पालक्काड, केरल में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 से अधिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया।

'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाट तथा माप आधार–ढांचे को मजबूत बनाना' नामक स्कीम के तहत दिसम्बर, 2011 तक 35.82 करोड़ रुपए का व्यय आ गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभागों को अपनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए 544 कम्प्यूटर दिए गए और सेकेण्डरी/वर्किंग मानक प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 15.50 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नई दिल्ली में 10 अगस्त, 2011 को मॉडल सेकेण्डरी मानक प्रयोगशाला का उदघाटन किया।

श्री बी एन दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान ने सेकेण्डरी मानक प्रयोगशाला के उदघाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया जिसका उदघाटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने किया।

नई दिल्ली में सेकेण्डरी मानक प्रयोगशाला में 10 अगस्त,2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित और माननीय परिवहन मंत्री श्री हारुन युसुफ को मानक उपायों के बारे में बाते हुए निदेशक (विधिक माप विज्ञान)

ड. व्यय विवरण

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद का कार्य–निष्पादन (दिसम्बर,2011 तक)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	118	150	153	58	135	23
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	155	175	210	202	215	65
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	93	383	431	343	417	129
परीक्षित मॉडलों की संख्या	98	93	115	108	115	47
आयोजित सेमिनारों की संख्या	1	5	16	11	6	2
अर्जित राजस्व(लाख रु. में)	12.4	12.78	15.13	14.40	17.29	8.3

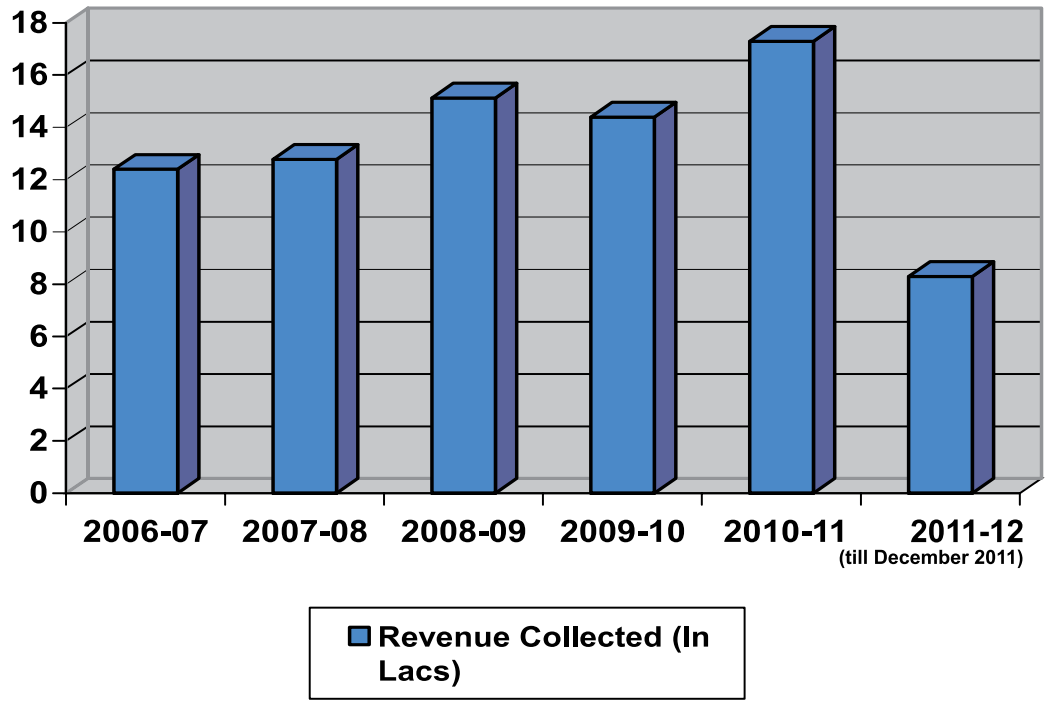

जागो ग्राहक जागो

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर का कार्य–निष्पादन (दिसम्बर, 2011 तक)

विवरण	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	138	178	15	85	65
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	574	592	554	676	517
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	3876	4909	5139	6848	5261
परीक्षित मॉडलों की संख्या	194	207	76	143	109
आयोजित सेमिनारों की संख्या	12	09	03	03	02
अर्जित राजस्व (लाख रु.में)	33.35	39.83	35.87	45.64	36.52

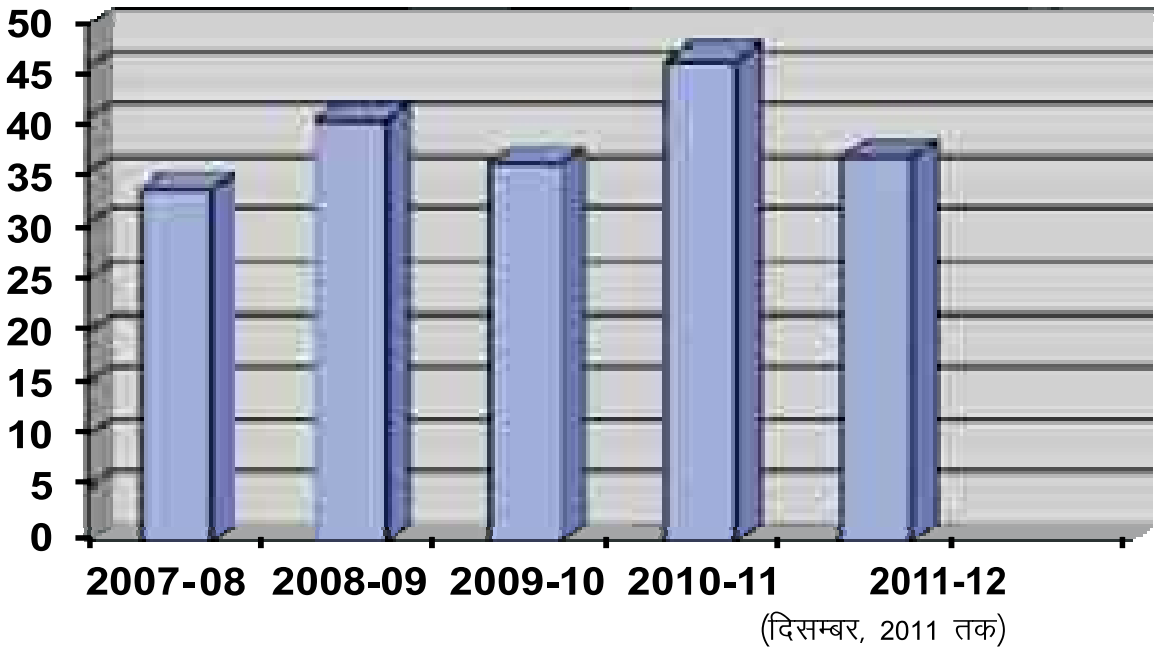

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद का कार्य–निष्पादन (दिसम्बर, 2011 तक)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	25	23	10	42	11	38
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	581	500	500	538	562	583
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	1500	1715	1800	2300	2000	1234
परीक्षित मॉडलों की संख्या	187	172	170	165	196	70
आयोजित सेमिनारों की संख्या	3	3	2	3	2	3
अर्जित राजस्व(लाख रु. में)	30.0	28.0	30.5	36.4	39.6	34.16

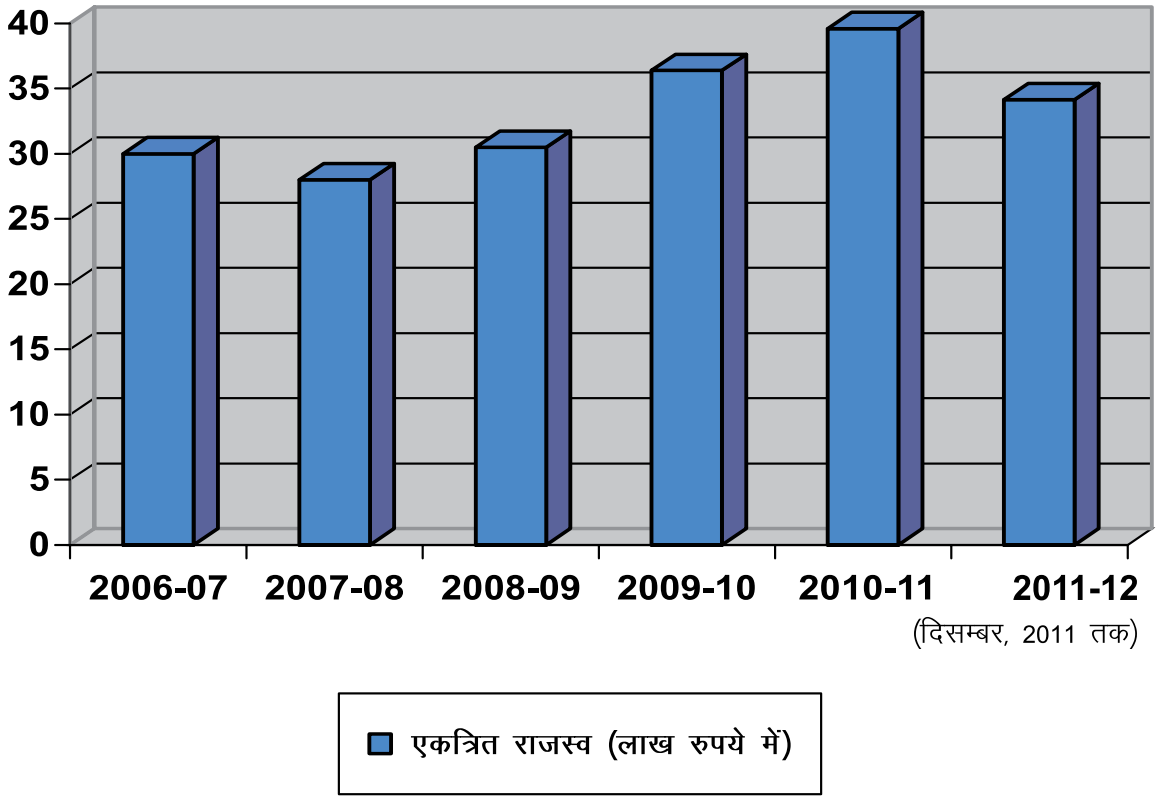

जागो ग्राहक जागो

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर का कार्य–निष्पादन (दिसम्बर, 2011 तक)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	19	15	16	46	51	51
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	275	294	250	271	263	118
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	1250	1139	1135	1136	1218	735
परीक्षित मॉडलों की संख्या	58	25	49	121	159	39
आयोजित सेमिनारों की संख्या	1	2	3	2	2	1
अर्जित राजस्व (लाख रु. में)	14.25	11.00	11.22	19.51	24.88	19.39

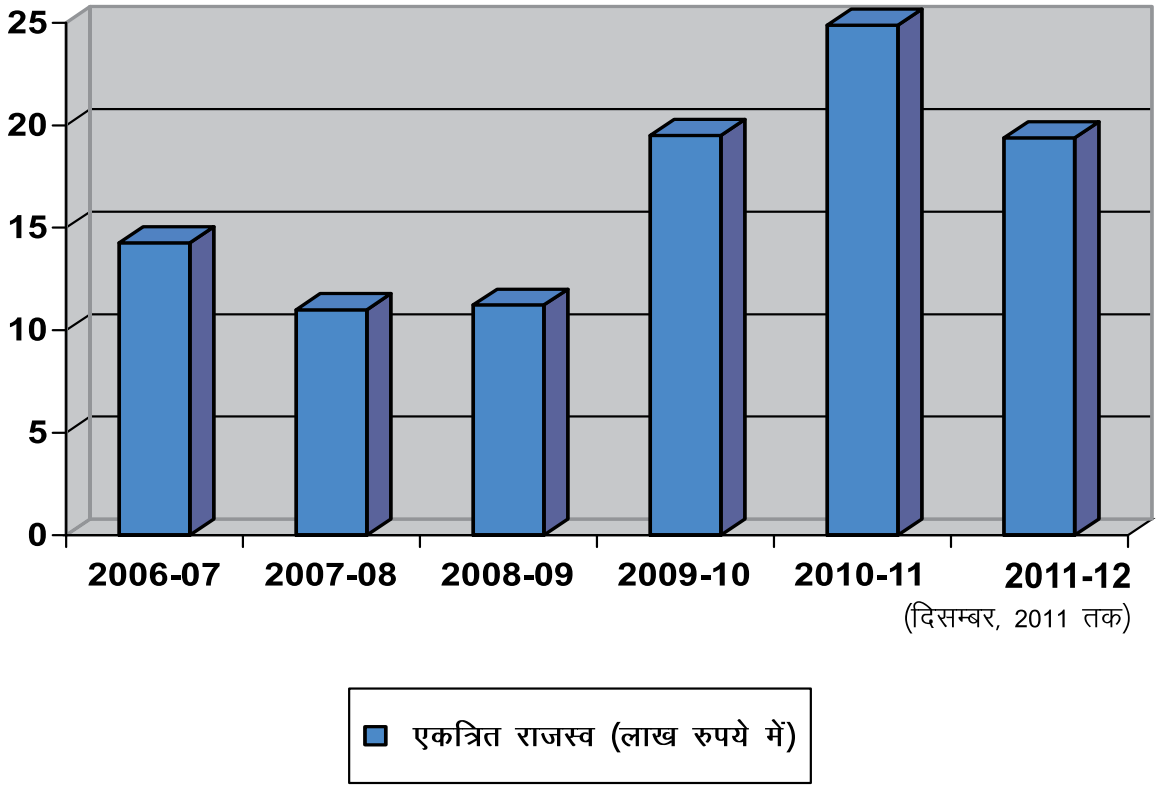

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी का कार्य–निष्पादन (दिसम्बर, 2011 तक)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	7	15	10	--	41	4
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	6	04	07	10	23	10
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	20	10	16	05	64	25
परीक्षित मॉडलों की संख्या	5	12	08	05	08	14
आयोजित सेमिनारों की संख्या	02	04	शून्य	04	07	05
अर्जित राजस्व (लाख रु. में)	0.9	1.2	1.2	1.2	2.6	1.9

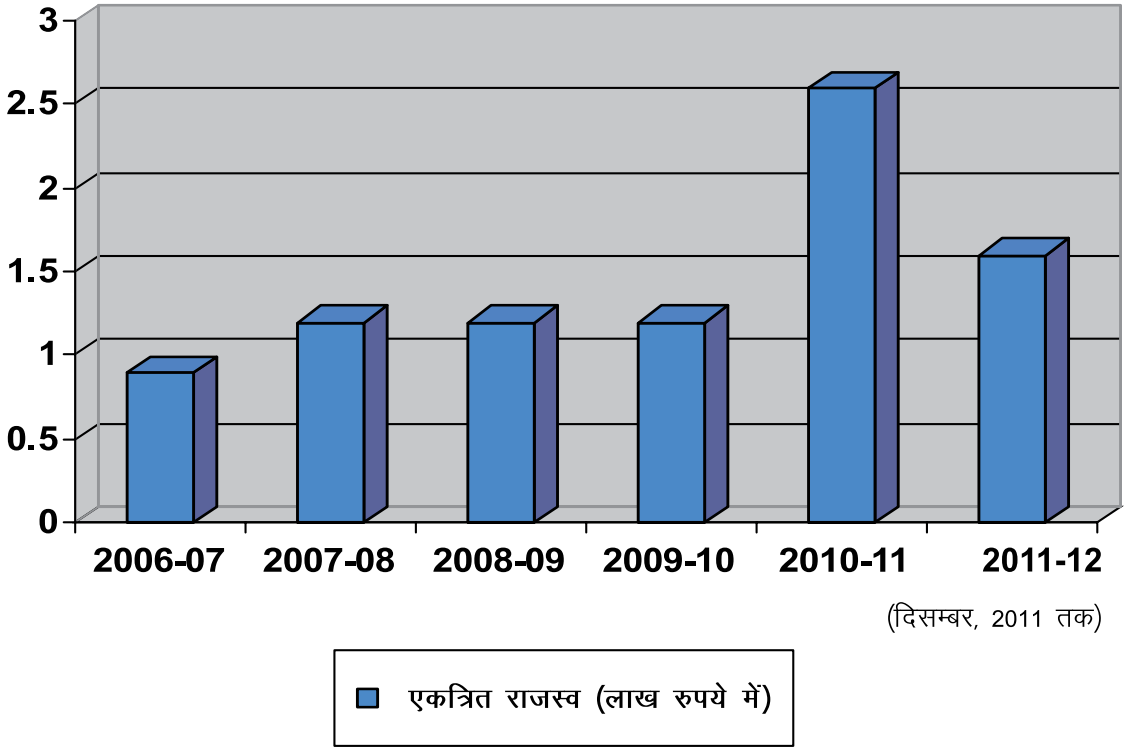

अध्याय - X

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

1. भूमिका

10.1 लगभग नौ दशक पहले **राष्ट्रीय परीक्षण शाला** ने रेलवे बोर्ड के तहत अपना सफर आरम्भ किया था और अब यह उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय महत्व की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने स्वतन्त्रता के बाद एक लम्बा सफर तय किया है और भारत सरकार ने देश में औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में दूसरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय आधार के निर्माण के लिए आयात, प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की अनिवार्यता को महसूस किया।

10.2 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के कार्यो में अन्य संबद्ध सेवाओं के साथ जिन प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं का निष्पादन करता है उनमें औद्योगिक सामग्री और उपभोक्ता उत्पादों का परीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन, माप उपस्करों/उपकरणों और यन्त्रों का अशांकन सम्मिलित है।

10.3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला का उद्देश्य उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखना है जिसके कारण औषधि, शस्त्र एवं गोला बारूद के सिवाय औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के लिए विश्व व्यापार प्रचालन में सार्थक प्रतिस्पर्धा होती है। नई पीढ़ी के भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी उद्योगों के विकास में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के तहत औद्योगिक अनुसन्धान और विपणनीय उत्पादों के बीच योजक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निर्देशनों या उपभोक्ता मानक विर्निदेशों के अनुरूप वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य करती है।

10.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सेवाओं और अन्य मुख्य बातों का ब्यौरा राष्ट्रीय परीक्षण शाला की वेबसाइट http://www.nth.gov.in पर उपलब्ध है

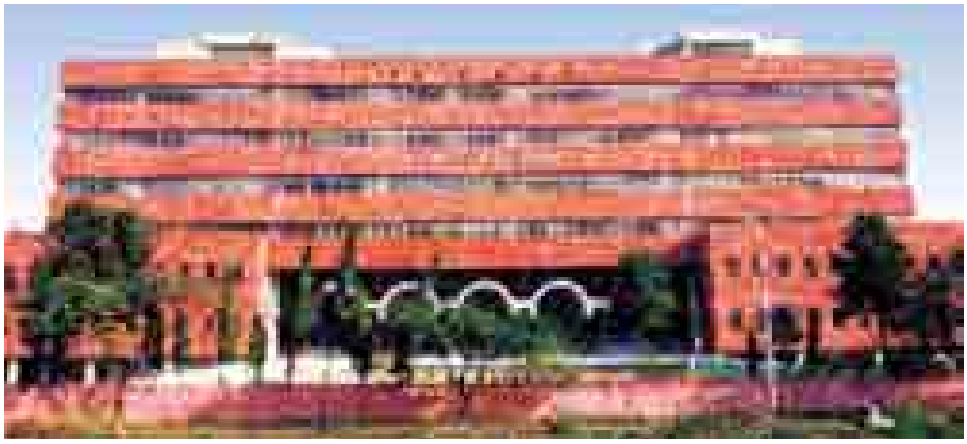

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की रूपरेखा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में देश को दी जा रही इसकी सेवाओं की झलक को निम्नलिखित के जरिए देखा जा सकता है:–

संगठन

10.5 **देश में राष्ट्रीय परीक्षण शाला का नेटवर्क**

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता की स्थापना अलीपुर में 1912 में की गई थी।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता, 1912 में अलीपुर में और 2003 में साल्ट लेक में।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई, 1964 में।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई,1975 में।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, 1977 में।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर, 1993 में।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी, 1995 में।

10.6 31–12–2011 की स्थिति के अनुसार कर्मचारीवृंद की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है।

कार्य

10.7 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:–

(i) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार औषधियों, शस्त्रों और गोला बारुद को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं में सामग्रियों, और उत्पादों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण और मूल्यांकन।

(ii) एशलान–II के स्तर पर अंशांकन तथा अपनी सक्षमता के क्षेत्रों में उपयुक्त मानकों और निर्देशों का अनुरक्षण करना।

(iii) विफलता विश्लेषण तथा तत्संबंधी समस्याओं के लिए परामर्शी सेवा सहित परीक्षण और माप प्रौद्योगिकी और परामर्शदात्री सहित संबद्ध क्षेत्रों के साथ–साथ इंजीनियरिंग और सामग्री उत्पादों से संबंधित छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्य।

(iv) आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी उत्पादों का विकास करने में उनके गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों में उद्योगों की सहायता करना।

(v) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड(एन ए बी एल) को सहायता देना।

(vi) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों और मानकों का विकास करने में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ सहयोग करना।

(vii) परीक्षण तथा माप प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना।

(viii) इंडियन वायलर रेग्यूलेशन अधिनियम,1950 की 'सेन्ट्रल ऑथारिटी फार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स' की स्कीम के तहत वेल्डर्स को प्रमाणित करना

(ix) छोटे उद्यमियों और ग्राहकों में गुणवत्ता मानकों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं में चर्चाएं और मेलों में प्रदर्शन की व्यवस्था करना।

(x) राष्ट्रीय परीक्षण शाला परीक्षण, मूल्यांकन और अंशाकन सेवाएं भुगतान के आधार पर प्रदान करता है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपनी क्षमता को समृद्ध करने पर जोर देता रहा है ताकि देश की सेवा अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके।

उपलब्ध सुविधाएं:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला के परीक्षण, अंशांकन और गुणता आश्वासन के क्षेत्र

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं की एन ए बी एल से प्रत्यायन की स्थिति

10.8 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी प्रयोगशालाओं अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर तथा राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता को रसायन (पेंट परीक्षण) विद्युत (बैरी और लैम्प परीक्षण) में आई एस ओ/ आई ई सी–17025 के अद्यतन रुप के अनुसार एन ए बी एल द्वारा प्रत्यायित किया जा चुका है और उनके पास आज की तारीख में वैध प्रत्यायन है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), के विद्युत एवं यांत्रिक अंशाकन में, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र) ने यांत्रिक अंशंकन में और राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिणी क्षेत्र), चेन्न्ई ने विद्युत, ताप और यांत्रिक अंशांकन में एन ए बी एल का प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है और आज की तारीख में उनके पास वैध प्रत्यायन प्रमाण–पत्र है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता का लाइट मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला (नवीकरण) सिविल इंजीनियरिंग और आर.पी.पी. टी. प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन कार्यक्रम अंतिम चरण में हैं।

निम्नलिखित क्षेत्रों में परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं–

रसायन

यांत्रिक इंजीनियरिंग (हैवी और लाइट); विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग; सिविल इंजीनियरिंग; नान– डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग; रबर, प्लास्टिक, कागज और वस्त्र अंशांकन सेवाएं (एश्लान –II स्तर)

यांत्रिकी तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (अंशांकन)

वर्तमान में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र में यांत्रिक और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रों में, पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र में यांत्रिक और दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र में यांत्रिक, विद्युत और ताप विद्युत के क्षेत्रों में अंशांकन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता स्कीम में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की स्थिति

10.9 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी प्रयोगशालाएं अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई, रा.प.शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, रा.प.शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) जयपुर और रा.प.शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई (विद्युत स्कंध के लिए यांत्रिक और रसायनिक स्कंध के तहत कार्बन स्टील बाइलैट और तांबा) और रा.प.शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता (रसायन (पेंट) और विद्युत (सेकेण्डरी बैटरी) को भा.मा.ब्यूरो द्वारा उत्पाद प्रमाणन के लिए मान्यता दी गई है।

10.10 राष्ट्रीय परीक्षण शाला निम्नलखित विशेषीकृत क्षेत्रों में औद्योगिक गुणता परामर्शदात्री सेवाएं भी प्रदान कर रहा है:–

(क) परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सेवा (टैक्नो मैनेजीरियल सर्विस)

(ख) आयात प्रतिस्थापन से संबंधित समस्याओं में सामाग्री अभिनिर्धारण परामर्श सेवा (मैटेरियल आइडेन्टफिकेशन कन्सलटैनसी)

(ग) इंजीनियरिंग मैटेरियल और संयंत्र/प्रणाली हेतु विफलता विश्लेषण (फेलयर अनालिसिस) और उपचारात्मक उपाय।

(घ) पेन्ट और सहायक समग्रियों, परिष्कृत रसायनों, कीटनाशी दवाओं आदि की गुणवत्ता में सुधार।

(ड.) परीक्षण और अंशांकन कार्यविधि का विकास।

(च) सिविल निर्माण कार्यों के लिए सुदृढ़ता, प्रायोज्यता तथा स्थायित्व संबंधी परामर्शी सेवा।

(छ) रेडियोग्राफ की व्याख्या और मानकों के संदर्भ में खराबियों की गंभीरता की ग्रेडिंग।

(ज) लघु उद्योग विकास परामर्शी

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) की मौजूदा स्थितिः–

10.11 राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने अपना कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम 90 के दशक में आरंभ कर दिया था। प्रथम प्रबंधन सूचना प्रणाली को डम्ब टर्मिनल आर्किटेक्चर के साथ आरंभ किया गया जिसे बाद में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अपग्रेड कर दिया गया।

उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी के समानान्तर अपग्रेड किया है। वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने अत्याधुनिक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली अपनाई जिसका सेन्ट्रल डाटा बेस सेंटर राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में है। प्रबंधन सूचना प्रणाली ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला के तकनीकी, प्रशासनिक और लेखा से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों की गतिविधियों को कवर कर लिया है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने ग्राहकों को परीक्षण और अंशाकन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए इस सुविधा को अपनाया है, जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। मौजूदा प्रबंधन सूचना प्रणाली का वर्ष 2010 में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई तक विस्तार कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला(उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई में प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा और इसके 31 मार्च,2012 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

सुविधा केन्द्रः

10.12 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जो प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय मुखिया के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्राहकों की जरूरतों और हर प्रश्न का समाधान करने के लिए एक सहायता डेस्क के रूप में कार्य करता है। इस केन्द्र में ग्राहक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सभी परीक्षणों के शुल्क दावों और नमूने के मूल्यांकन की कसौटी के लिए तत्काल संदर्भ प्राप्त कर सकता है। विशेष प्रकार के नमूनों के परीक्षण में सहायता के लिए केन्द्र संबंधित प्रयोगशाला अध्यक्षों और ग्राहकों के बीच सेतु, का कार्य करता है। इस केन्द्र के माध्यम से परीक्षण प्रमाणपत्रों को भी दस्ती डाक से पहुंचाया जाता

है। भविष्य में पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सहायक और ग्राहक हितैषी बनाने और समय अंतराल को कम करने के लिए इस डेस्क से सर्विस रिक्वेस्ट फार्म तैयार किया जाएगा। सुविधा केन्द्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रत्येक क्षेत्र से सहायक कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए उच्चाधिकार सलाहकार समितियां:

10.13 राष्ट्रीय परीक्षण शाला को नीति और विभिन्नि प्रशासनिक मामलों में सलाह देने हेतु दो उच्चाधिकार समितियां मौजूद हैं। ये हैं– (i) कार्यकारी समिति और (ii) तकनीकी सलाहकार परिषद।

i) कार्यकारी समिति:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला से संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्य–सचिव निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) हैं। सरकारी विभागों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठनों से सदस्यों को इसमें नामित किया गया है। कार्यकारी समिति की बैठक राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सामने आ रही समस्याओं और उसके समग्र विकास पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती है।

ii) तकनीकी सलाहकार परिषद:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की तकनीकी सलाहकार परिषद महानिदेशक (रा.प.शा.) की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसके सदस्य के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली और कोलकाता, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा के सिविल यात्रिकी विभाग के अध्यक्ष, आई आई टी, खड़गपुर के मैटेरियल साइंस के प्रोफेसर को नामित किया गया है। निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र) को सदस्य–सचिव नामित किया गया है। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य विभिन्न विषय क्षेत्रों में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, कार्य के वर्तमान क्षेत्रों में आशोधन/कटौती करने और परीक्षण और अंशांकन में नए क्षेत्रों/क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए सलाह देना और राष्ट्रीय परीक्षण शाला और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों तथा नए व्यापार क्षेत्रों का पता लगाना है।

10.14 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा चलाई गई गैर वाणिज्यिक गतिविधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

i) भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न अनुभागीय समितियों में प्रतिनिधित्व करके विभिन्न इंजीनियरिंग और उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्देशों को बनाने में भारतीय मानक ब्यूरो को सहायता दी।

ii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला के वैज्ञानिक एन ए बी एल में प्रमुख विश्लेषक और विश्लेषकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।

iii) रेलवे, भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL), भा.मा. ब्यूरो जैसे सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों से संबंधित व्यावसायिकों को बहुत कम शुल्क पर परीक्षण और अंशांकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना।

iv) तृतीय पक्ष निर्देश प्रयोगशाला के रूप में गुणवत्ता आश्वांसन के लिए विभिन्न न्यायालयों, कानूनी अभिरक्षक और

सतर्कता विभागों की सहायता करना। यद्यपि राष्ट्रीय परीक्षण शाला परीक्षण शुल्क लेती है, परन्तु इस प्रकार के परीक्षण के लिए यह मूल्य देश के उपभोक्ता हितों के लिए अत्यन्तक लाभदायक है।

v) राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान, सुरक्षित आवास आदि जैसे क्षेत्रों में समाज कल्याण सेवा करता है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला शुल्क स्वीकार करता है परन्तु सही मायनें में इसे वाणिज्यिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण शाला की मुख्य भूमिका समाज और राष्ट्र को सेवा प्रदान करना है।

10.15 **योजनागत कार्यकलाप:**

(i) राष्ट्रीय परीक्षण शाला को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री मूल्यांकन, मानकीकरण और औद्योगिक विकास में सहायता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए समर्थ बनाने हेतु इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना स्कीम के तहत लाया गया है। स्कीम में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा क्षेत्रीय परीक्षण शालाएं स्थापित करने की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों को पांचवी पंचवर्षीय योजना से नियमित रूप से योजना स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है।

(ii) ग्यावरहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय वित्त समिति द्वारा 74.84 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं जिसमें से 20.20 करोड़ रुपए की राशि ''भूमि एवं भवन'' शीर्ष के अंतर्गत रखी गई है 36.98 करोड़ रुपए उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के लिए तथा 17.66 करोड़ रुपए आवर्ती स्वरूप की मदों (सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 1.89 करोड़ रु. सहित) के व्यय हेतु रखा गया है। उपर्युक्त आबंटित निधियों में से 60.29 करोड रुपए की राशि को वर्ष 2007–08/2008–09/2009–10/2010–11 और 2011–12 (31 दिसम्बर 2011 तक) से उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण और राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र) अलीपुर में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई में फेस II भवन के निर्माण के कार्य को 31 मार्च,2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में कार्यालय–सह–प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पूर्वोत्तर क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत समय–सारणी के अनुसार उक्त भवन के निर्माण को वर्ष 2013–14 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(iii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला के छः केन्द्रों में (योजना एवं गैर–योजना): (पिछले दो वर्षों के साथ) (निर्माण परिव्यय को छोड़कर)

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	2009–10			2010–11			2011–12 (31 दिसम्बर, 2011)		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1	पू.क्षे.,कोलकाता, मुख्यालय सहित	704.65	1076.68	1781.33	730.92	1005.59	1736.51	182.71	889.68	1072.39
2	प.क्षे.,मुम्बई	37.17	344.51	381.68	32.65	327.58	360.23	30.71	291.51	322.22
3	द.क्षे.,चेन्नई	46.81	371.54	418.35	36.27	339.47	375.74	17.73	297.40	315.13
4	उ.क्षे.,गाजियाबाद	68.31	332.31	400.62	94.88	324.32	419.20	16.40	320.97	337.37
5	पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जयपुर	28.09	142.23	170.32	20.25	114.97	135.22	12.05	77.48	89.53
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी	10.26	68.53	78.79	14.82	61.21	76.03	9.10	53.38	62.48
	योग	**895.29**	**2335.80**	**3231.09**	**929.79**	**2173.14**	**3102.93**	**268.72**	**1930.42**	**2199.12**

योजना शीर्ष के तहत भूमि एवं भवन के लिए व्यय: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को प्राधिकृत वर्ष 2009–10 के लिए 552.00 लाख रुपए, वर्ष 2010–11 के लिए 629.00 लाख रु. और वर्ष 2011–12 के लिए 31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार 1043.00 लाख रु. (इसमें राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी शामिल है।

10.16 कार्य–निष्पादन:

(i) मानव संसाधन 31.12.2011 तक (ब्यौरे अनुलग्नक I पर है)

(ii) पिछले दो वर्षों सहित 2011–12 में अर्जित राजस्व

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	2009–10	2010–11	2011–12 (31 दिसम्बर, 2011 तक)
1	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	262.08	302.18	246.75
2	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	162.45	201.85	182.42
3	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	145.27	147.92	140.24
4	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	386.84	538.12	321.63
5	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	67.84	79.05	75.19
6	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	23.34	17.46	14.84
	कुल	**1047.82**	**1286.57**	**981.07**

(iii) जारी की गई परीक्षण रिपोर्टो की संख्या और अर्जित राजस्व : क्षेत्रवार

(लाख रुपए में)

क्षेत्र का नाम	2010–11		2011–12 (दिसम्बर,2011 तक)	
	जारी किए गए परीक्षण प्रमाण–पत्रों की संख्या	अर्जित राजस्व (लाख रु.में)	जारी किए गए परीक्षण प्रमाण–पत्रों की संख्या	अर्जित राजस्व (लाख रु.में)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	3621	302.18	2642	246.75
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	2793	201.85	2150	182.42
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	2175	147.92	1581	140.24
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	4727	538.12	3331	321.63
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	1691	79.05	1589	75.19
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	309	17.46	274	14.84
कुल	**15316**	**1286.57**	**11567**	**981.07**

(iv) चालू और पिछले वर्ष के व्यय के संबंध में कार्य निष्पादन – क्षेत्रवार

क्षेत्र	2010–11			2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक		
	गैर योजना व्यय	अर्जित राजस्व	गैर योजना व्यय में रा. जस्व का%	गैर योजना व्यय	अर्जित राजस्व	गैर योजना व्यय में राजस्व का%
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)	1005.60	302.18	30.04	889.68	246.75	27.73
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र)	327.58	201.85	61.61	291.51	182.42	62.57
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र)	339..47	147.92	43.57	297.40	140.24	47.15
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र)	324.32	538.12	166.00	320.97	321.63	100.20
राष्ट्रीय परीक्षण शाला, जयपुर	114.98	79.05	68.75	77.48	75.19	97.04
राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी	61.21	17.46	28.52	53.38	14.84	27.80
कुल	**2173.16**	**1286.57**	**59.20**	**1930.42**	**981.07**	**50.82**

(v) वर्ष 2011–12 के दौरान (31 दिसम्बर, 2011 तक) विशेष महत्व की गतिविधियां:–

(क) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता की रसायन एवं सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से प्राप्त रोगन (वार्निश) परत (फिल्म) की तंत्र शक्ति और यू टी एम पर उत्थापित (इलिवेटेड) तापमान (130.से), 25 के एन (टिनियस ओलसेन) पर इस्पात (स्टील) के साथ रोगन के चिपकाव का भी परीक्षण संयुक्त रूप से संचालित किया। इस परीक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त फिक्सरों (तापमान नियंत्रित तापन

जैकेट) को देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया।

(ख) क्यू यू वी में एक्सलेटर वेदरिंग टेस्ट (Accelerator weathering test) और जेनेन आर्क वेदर –ओ–मीटर के अधीन एक्टीरियर इनेमल तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट को आइ एस मानकों के आशोधन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को भेजा गया।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला,(पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता की रसायन प्रयोगशाला ने इसी नाम के नमूने में 4 अमीनोडीफिनाएल अमाइन की मौजूदगी का परीक्षण और पुष्टि की है। रंजक (dyes), फोटोकैमिकल और रबड़ रसायनों के विनिर्माण एककों में इसको एक मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया गया। इस विशेष प्रकार के नमूने की पहचान और शुद्धता मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिकों ने परीक्षण प्रक्रिया को चुनने के लिए उतकृष्ट प्रयास किए।

(घ) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद के विद्युत–तकनीकी प्रभाग के अंतर्गत विद्युत प्रयोगशाला द्वारा एयरपोर्ट डिस्प्ले सिस्टम के प्रोजेक्शन इंजिन और डाटा वॉल डिस्प्ले स्क्रीन का परीक्षण किया गया। नमूने को मैसर्स मितसुबीशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा.लि., गुड़गांव द्वारा भेजा गया था। प्रयोगशालाओं ने ए एन एस आई एकरुपता (uniformity) कंट्रास्टि अनुपात (contrast ratio), ए एन एस आई चमक (brightness) और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रभाव का इन पैरामीटरों पर परीक्षण किया गया। प्रोजेक्टर (projector) के लिए चमक के स्तर अर्थात अमेरिकन नेशनल स्टेण्डर्ड इंस्टियूट चमक को ''ए एन एस आई ल्यूमन्स'' के रूप में उद्धरित किया गया है जबकि ल्यूमन्स, बुनियादी तौर पर प्रोजेक्टर से उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा का माप है।

(ड.) बालस्टलैस ट्रैक सिस्टम व्यवहारिक रख–रखाव से मुक्त प्रणाली के साथ दीर्घ काल चक्र, आरामदायक तीव्र गति सवारी, अति भार वाहन क्षमता सम्मिलित है, जिनको भूमिगत रेलवे अथवा भू–तल यात्री रेल लाइनों में एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता की सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला ने रेलवे लाइन को फिक्स करने के लिए तराई के अलग–अलग समय पर बालस्टलैस ट्रैक के लिए बोल्ट को पकड़े रखने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राऊट डावल्स के विफलता के लक्षणों का अध्ययन किया। टांलीगंज मेट्रो रेल स्टेशन पर इन–सिटू पुल आऊट परीक्षण सफलता पूर्वक किया गया।

(च) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र) साल्ट लेक, कोलकाता की आर पी पी टी प्रयोगशाला ने, आर डी एस ओ विनिर्देश संख्या सी–9911 रेव 3 के अनुसार उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, पूर्वी रेलवे, लिलुआ से प्राप्त ए.सी.कोच के लिए अग्निरोधी पर्दे के कपड़े (फायर रिर्टाडन्ट कर्टेन क्लाथ) का परीक्षण किया। लगातार जलने का समय और बर्नर के बुझ जाने के बाद हल्की आंच, आग से क्षतिग्रस्त सतह का क्षेत्र और जलते हुए कणों का निकलना आदि किए गए कुछ परीक्षण थे।

(छ) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई की विद्युत प्रयोगशाला, ने तमिलनाडू औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त ट्रांसफार्मर पर आई एसः 649:1997 के अनुसार ट्रांसफारमर कोर लांस का मूल्यांकन किया, ट्रांसफार्मर को लोस विद्युत उर्जा ह्रास है जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एस सी वोल्टेज स्रोत

के अधीन किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर में हुए लॉस को ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता को बढाने के लिए न्यूनतम किया जा सकता है।

(ज) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई की सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला द्वारा 'ए एम ई टी' विश्वविद्यालय (जिसे एकाडमी आफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहा जाता है) के हार्बर इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ''कंकरीट टेक्नालांजी – एन एक्सपोजर एंड वेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मिक्स डिजाइन आफ कंकरीट'' विषय पर 18–21 अक्टूबर 2011 के दौरान एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई की सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला ने प्रशिक्षण में एक मील का पत्थार खड़ा किया है और 2.1 लाख रुपयों का राजस्व अर्जित किया है।

निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई प्रशिक्षुओं को भागीदारी प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए।

(झ) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के निदेशक के पर्यवेक्षण में 25 नवम्बर, 2011 को ''साम्प्रदायिक सौहार्द्रता अभियान सप्ताह'' एवं 19 से 25 नवम्बर, 2011 तक ''कौमी एकता सप्ताह'' मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ''साम्प्रदायिक सौहार्द्रता अभियान सप्ताह'' और ''कौमी एकता सप्ताह'' पर राष्ट्रीय अखण्डता की प्रतिज्ञा के साथ किया गया। डा. सुनील कुमार साहा, निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता द्वारा हिन्दी में शपथ दिलाई गई और श्री ए.के. सेनगुप्ता, उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता द्वारा अंग्रेजी में प्रतिज्ञा दिलाई गई। निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता ने अपने भाषण में

निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) और उप निदेशक, प्रशासन, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता प्रतिज्ञा दिलाते हुए

प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ।

भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर विशेष जोर दिया।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता

राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता ने 7 से 11 सितम्बर, 2011 तक कोलकाता में अयोजित 15वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी का आयोजन सेन्ट्रल कोलकाता सांइस एंड कल्चर आर्गनाइजेशन फॉर यूथ द्वारा किया गया। स्टॉल के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया अच्छी थी जो राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता को व्यापार के संवर्धन में मदद कर सकता है।

प्रदर्शनी केंद्र का भीतरी भाग

डा0 एम. भूनिया, माननीय सिंचाई मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, प्रदर्शनी में प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए

डा0 एम. भूनिया, माननीय सिंचाई मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई

राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई ने 3–7 सितम्बर, 2011 तक होरीथोलसावम 2011 में भाग लिया। इसका आयोजन कृषि थोक बाजार, नेटूर,मारादू, कोच्ची में किया गया था। इस अवसर पर स्कोप ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों को जन–साधारण के बीच प्रचारित करने के लिए मंच प्रदान करने के साथ–साथ केरल राज्य में वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों सहित प्रतिष्ठित संगठनों के व्यवसायिकों के साथ बातचीत करने का प्रथम और ऑन द स्पाट मौका प्रदान किया।

केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमन चण्डी ने 3सितम्बर, 2011 को 4.00 बजे अपराह्न हरिथोलसावम का उदघाटन किया। प्रो.के.वी थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कई अन्य गणमान्य हस्तियां उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमन चण्डी ने 3 सितम्बर, 2011 को कोच्चि में हरिथोलसावम का उदघाटन किया।

प्रो0 के.वी. थॉमस, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मेले के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित किया।

हरिथोलसावम, 2011 में राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई का दृश्य

श्री पंकज अग्रवाल, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के स्टाल में आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर करते हुए

हरिथोलसावम, 2011 में राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के स्टाल में
वैज्ञानिक से बातचीत करते हुए दर्शक

हरिथोलसावम, 2011 के अंतिम दिन स्मृति चिह्न भेंट करते हुए
एर्नाकुलम के न्यायाधीश श्री शेख परीथ

हरिथोलसावम, 2011 में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन

हरिथोलसावम, 2011 में सांस्कृतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बईः

16–18 नवम्बर, 2011 के दौरान मुम्बई प्रदर्शनी केन्द्र में ''अन्नपूर्णा वर्ल्ड फूड इंडिया 2011'' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फिक्की ने खाद्य, कृषि और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, संघीय जर्मनी के साथ प्रदर्शनी–सह–कार्यशाला का आयोजन किया।

'अन्नपूर्णा वर्ल्ड फूड इंडिया 2011' खाद्य प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार

प्रदर्शनी में राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई का स्टाल

स्टाल में निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई अन्य वैज्ञानिकों के साथ

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के स्टाल पर निदेशक

विफलता विश्लेषणः–

1) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.(डी एम आर सी) एक साइट पर सीमेंट 'मार्टर मिक्स' और ईंटों (ब्रिक्स) के नमूने एकत्र किए गए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर की सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला द्वारा उनका परीक्षण किया गया। प्रभागीय आयुक्त जयपुर, राजस्थान सरकार द्वारा की गई जांच पड़ताल के अंतर्गत जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (जे.एम.आर.सी) से भी वैसे ही नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा गया था क्योंकि उस स्थल पर एक दुर्घटना हुई थी।

2) ब्राहमेन नदी, नलहाटी पर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत निर्माणाधीन पुल के पाइल कैप का उसकी शक्ति का आकलन करने के लिए एन डी परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा स्थल पर ही परीक्षण किया गया।

3) राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के भौतिक यांत्रिक प्रभाग के अंतर्गत यांत्रिक प्रयोगशाला ने मैमर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लि. अंगुल, उड़ीसा से प्राप्त स्टेनलेस स्टील ट्यूब पर बिफलता विश्लेषण आयोजित किया। इस ट्यूब का सामान्यतया कूलिंग के लिए नदी के पानी का प्रयोग करते हुए भाप को संघटित करने हेतु पांवर प्लांटों में विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। विफलता विशलेषण, पिटिंग (pitting) और (स्ट्रेंस कोरोसन क्रैकिडां) दबाव सक्षारक भंजन (stress corrosion cracking) के कारण कोरोजन विफलता के साथ रसायन (chemical composition) संयोजन ढांचे के समग्र ब्रिटलनैस (brittleness) के अपसरण का पता चलता है।

(4) राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्ई की एन डी टी प्रयोगशाला, ने मेटलरजिकल और यांत्रिक परीक्षणों के लिए ड्रम ब्रेक्स का परीक्षण किया, जिसमें से एक ड्रम सर्विस व्हीकल की तरफ से था (विफलता के मामले) और दूसरा नया था। यह परीक्षण दोनों की आई एस 7371,1982 के अनुसार विभिन्न गुणधर्मों (सूक्ष्म ढांचा, रसायनिक संघटन, ब्राइनल हार्डनैस आदि, के विश्लेषण और तुलना के लिए था। परिणामों में नए और चालू नमूनों के बीच कड़ेपन और सूक्ष्म ढांचे के संबंध में कुछ विभिन्नता देखने को मिली। इन ड्रमों का उपयोग हल्के वाहनों में किया जाता है और चलते वाहन की विफलता को रोकने के लिए परीक्षण आवश्यक है।

निरीक्षण सेवाएंः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला(दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई की सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने तूतीकोरीन में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जिरकोनियम परियोजना परिसर में निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए दौरा किया। विभिन्न चरणों पर कोर बनाए गए हैं और डिजाइन मिक्स नमूनों को परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला को भेजा गया है।

10.17 परिक्षण के लिए नई सुविधाएं बढ़ाने/सृजित करने के लिए 2011–12 के दौरान खरीदे गए/खरीदे जाने वाले उपकरण नीचे दिए गए हैं।

क्रम सं.	उपकरण का नाम	क्षेत्र	प्रयोगशाला
1	एन्वायरनमेंट चैम्बर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	सिविल इंजिनियरी
2	ह्यूमिडिटी चैम्बर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	सिविल इंजिनियरी
3	कम्प्रैशन टैस्टिंग मशीन, 3000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	सिविल इंजिनियरी
4	कम्प्रैशन टैस्टिंग मशीन, 3000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	सिविल इंजिनियरी
5	कम्प्रैशन टैस्टिंग मशीन, 3000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	सिविल इंजिनियरी
6	युनिवर्सल टैस्टिंग मशीन, 100 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	फिजिको– मेके. निकल
7	कम्प्यूटर रेडियोग्राफी इमेजिंग सिस्टम के साथ डिजिटल एक्सरे मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	एन डी पी
8	क्रिटिकल आक्सीजन टेस्ट अपरेटस	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	विद्युत
9	क्रिटिकल आक्सीजन टेस्ट अपरेटस	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	विद्युत
10	क्रिटिकल आक्सीजन टेस्ट अपरेटस	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	विद्युत
11	स्मूथनेस एंड पोरोसिटी टेस्टर फॉर पेपर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	आर पी पी टी
12	स्मूथनेस एंड पोरोसिटी टेस्टर फॉर पेपर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	आर पी पी टी
13	स्मूथनेस एंड पोरोसिटी टेस्टर फॉर पेपर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	आर पी पी टी
14	स्मूथनेस एंड पोरोसिटी टेस्टर फॉर पेपर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	आर पी पी टी
15	स्मूथनेस एंड पोरोसिटी टेस्टर फॉर पेपर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	आर पी पी टी
16	वर्टिकल फ्लेम रेटारडेंस टेस्ट सेट–अप	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	विद्युत
17	वर्टिकल फ्लेम रेटारडेंस टेस्ट सेट–अप	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	विद्युत
18	वर्टिकल फ्लेम रेटारडेंस टेस्ट सेट–अप	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	विद्युत
19	रोटेटिंग डिस्क अब्रेसर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	रसायन
20	डिजिटेल माइक्रो ओहम–मीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	विद्युत
21	डिजिटेल माइक्रो ओहम–मीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर	विद्युत
22	पी वी सी और एच डी पी ई पाइप के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर टेस्टिंग मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	आर पी पी टी
23	पी वी सी और एच डी पी ई पाइप के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर टेस्टिंग मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	आर पी पी टी
24	पी वी सी और एच डी पी ई पाइप के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर टेस्टिंग मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	आर पी पी टी

क्रम सं.	उपकरण का नाम	क्षेत्र	प्रयोगशाला
25	पी वी सी और एच डी पी ई पाइप के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर टेस्टिंग मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	आर पी पी टी
26	आप्टिकल इमेशन स्पेक्टोमीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	रसायन
27	इम्पल्स, टेस्ट एंड मेजरिंग सिस्टम	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	विद्युत
28	पार्सियल डिस्चार्ज टेस्ट मेजरिंग सिस्टम	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	विद्युत
29	डाईइलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर टेस्ट एंड मेजरिंग सिस्टम	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	विद्युत
30	प्री–स्ट्रेस्ड कंक्रीट वायर के लिए स्ट्रेस रिलेक्सेशन टेस्टिंग मशीन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	यांत्रिक
31	पोर्टेबल डिजिटल ग्लोसमीटर स्पेक्यूलर 45	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	रसायन
32	युनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, 1000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	यांत्रिक
33	युनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, 1000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	यांत्रिक
34	युनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, 1000 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	यांत्रिक
35	वेट एब्रेशन स्क्रीब टेस्टर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई	रसायन

10.18 राष्ट्रीय परीक्षणशाला में स्थापित लोक शिकायत तंत्रः

राष्ट्रीय परीक्षणशाला एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है जो सामाग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन, गुणता आश्वासन और मानकीकरण का कार्य करती है। उपर्युक्त सेवाओं और क्रियाकलापों के लिए नमूने जमा करने और नमूने तथा परीक्षण शुल्क आदि प्राप्त करने हेतु उसका जनता के साथ सीधा संपर्क है। ये सुविधाएं कम्पयूटरकृत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी यूनिटों पर उपलब्ध है और एक–एकल खिड़की नमूना कक्ष के जरिए कार्य करता है। उपर्युक्त के बावजूद, लोक शिकायत के शीघ्र पंजीकरण और प्रतितोष की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सभी क्षेत्रों में लोक शिकायतें कक्ष हैं। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख इस कक्ष का नेतृत्व करते हैं।

10.19 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सतर्कताः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय) का सतर्कता विभाग सीधे राष्ट्रीय परीक्षण शाला के महानिदेशक के नियंत्रण में है जिसमें एक सतर्कता अधिकारी, एक कार्यालय अधीक्षक और एक उच्च श्रेणी लिपिक सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के छः क्षेत्रीय शाखाओं के छः अधिकारी सीधे राष्ट्रीय परीक्षण शाला(मुख्यालय) के सतर्कता अधिकारी के नियंत्रणाधीन सहायक सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रों के सभी छः सहायक सतर्कता अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षण शाला(मुख्यालय) के सतर्कता अधिकारी उनको सौंपे गए नियमित कार्यों के अलावा सतर्कता का कार्य अंशकालिक कार्य के रूप में करते हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में तीन सतर्कता/अनुशासनिक मामले लम्बित हैं।

10.20 हिन्दी का कार्यनिष्पादनः

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला में हिन्दी का प्रयोग संतोषजनक रहा। राष्ट्रीय परीक्षण शाला में हिन्दी की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के पूरे प्रयास कर रहा है। यह राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 5 का पूरा अनुपालन कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय ने 14.9.2011 से 30.9.11 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिनिधि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में उपस्थित हुए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान राजपत्रित अधिकारियों को हिन्दी में कार्यालय का कार्य करने में मदद करने के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। एक टंकक और आशुलिपिक को क्रमशः हिन्दी में टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया गया है।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई ने गृह पत्रिका 'संधान' का प्रकाशन किया।

10.21 लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति नीचे प्रस्तुति की गई है:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला और उसकी क्षेत्रीय इकाईयों से संबंधित बकाया पैराओं पर की गई कार्रवाईः–

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बईः–

वर्ष 2010–11 तक के लेखा–परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई अभी पूरी की जानी है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), कोलकाताः–

वर्ष 2010–11 में स्थानीय लेखा परीक्षा के संबंध में 5 पैराओं के उत्तर भेज दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबादः–

वर्ष 2010–11 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गई है, इसलिए अभी तक कोई लेखा परीक्षा टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नईः–

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, (वैज्ञानिक विभाग), चेन्नई के कार्यालय द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के लिए 24 से 30 जून,2011 के दौरान आयोजित की गई स्थानीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है और सभी ग्यारह पैराओं के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र), जयपुरः

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई के उत्तर तैयार कर लिए गए हैं और सभी सोलह पैराओं के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटीः

वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के लिए 19 पैरा के संबंध में आंतरिक लेखा–परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कारवाई के उत्तर दे दिए गए हैं।

10.22 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रदान की गई मुख्य परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएं निम्नलिखित हैं:

i) राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई की फिजिको मैकेनिकल प्रभाग के अंतर्गत एन डी प्रयोगशाला ने, मारोशी से रूपटेल कॉलेज, दादर तक जाने वाली सुरंग के निर्माण की परियोजना के लिए अपेक्षित ट्रासवर्स टेसाइल टेस्ट और बेंड टेस्ट के

लिए आई एस 3600 के अनुसार स्टील में वेल्डड फिल्ड ज्वाइंटस और वेल्ड धातु का परीक्षण किया है। ग्रेटर मुम्बई में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बी एम सी (बृहन, मुम्बई नगर निगम) के अंतर्गत परियोजना से नमूने प्राप्त हुए।

ii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता की यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 3 जून, 2010 के खान सुरक्षा महानिदेशक के परिपत्र सं– डी जी एम एस/एस एंड टी/ तकनीकी परिपत्र (अनुमोदन) सं. 3 के अनुसार डोम वाशर और कोनिकल सीट के साथ रुफ बोल्ट के नमूनों का परीक्षण किया गया। रूफ बोल्ट असेम्बली (रूफ बोल्ट, धागा, पेच, कोनिकल सीट, डोम वाशर प्लेट और डोम बियरिंग प्लेट) का डी जी एम एस के परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण किया गया।

iii) रा.प.शा (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, विद्युत प्रभाग ने 10 मीटर तक प्रकाश की पहुंच को बढ़ाने के लिए मैमर्स सारजा इलैक्ट्रिकल्स, नागपुर द्वारा प्रस्तुत 400 वाट फ्लड लाइट ल्यूमिनेर के लैम्प के नमूनों के प्रतिबिम्बन और अनुकूलन पर अनुसंधान और विकास कार्य किया तथा परामर्श दिया। फर्म ने उत्पाद को 4 प्रयासों के बाद सुधारा है और 10 मीटर की दूरी पर 8500 एल यू एक्स प्राप्त करने में सफल हुई है।

(iv) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के विद्युत परीक्षण प्रभाग ने विभिन्न भारतीय मानक विनिर्देशनों और आई ई सी, एस ए ई (यू.एस.ए), डी आई एन (जर्मनी), जे आई एस (जापान) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों के अनुसार सेकेण्डरी (लीड एसीड) बैटरियों के परीक्षण के लिए 2009 में "20 चौनल सेकेण्डरी बैटरी साइकिल टेस्टर" खरीदा। प्रयोगशाला ने श्रीलंका मानक संस्थान, कोलोम्बो के माध्यम से थाइलैण्ड से प्राप्त लीड एसिड आटोमोटिव स्टार्टर बैटरियों का परीक्षण किया। प्रयोगशाला "इन्वर्टरों" और सोलर सिस्टम बैटरी पैक के लिए तैयार की गई लीड एसीड बैटरी पर भी कार्य करती है। यह सेकेण्डरी बैटरियों के परीक्षण के लिए एन ए बी एल द्वारा प्रत्यायित देश की एकमात्र प्रयोगशाला है।

10.23 खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी की संसदीय स्थायी समिति के साथ कोलकाता में बैठक

परीक्षण, मूल्यांकन और इंजीनियरिंग उपकरणों के परीक्षण, मूल्यांकन और अंशाकन के लिए सुविधाओं के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिनिधियों की खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति के साथ दिनांक 17 नवम्बर, 2011 को हयात रिजेन्सी, कोलकाता में बैठक हुई। निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता, डी डी ए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बैठक में भाग लिया।

संसदीय स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विलास मुत्तेमवार के साथ श्री पी.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव (लोक सभा सचिवालय)

संसदीय स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विलास मुत्तेमवार ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया

बैठक में (बांए से दांए) चर्चा करते हुए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री विलास मुत्तेमवार, श्री पी.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव एवं श्रीमती वीना शर्मा, निदेशक, लोक सभा सचिवालय, श्रीमती टी एन सीमा, संसद सदस्य ।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता के महानिदेशक द्वारा माननीय संसद सदस्यों के समक्ष राष्ट्रीय परीक्षण शाला के कार्यों के बारे में प्रस्तुति

बैठक में माननीय संसद सदस्य

बैठक में निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता, डी डी ए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और वरिष्ठ वैज्ञानिक

हयात रिजेंसी में बैठक का पूरा दृश्य

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता के महानिदेशक ने संसदीय स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री मुत्तेमवार को पुष्प गुच्छ भेंट किया।

महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता ने माननीय संसद सदस्यों का स्वागत किया

महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता ने माननीय संसद सदस्यों का स्वागत किया

निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता ने माननीय संसद सदस्यों से बातचीत की

अनुलग्नक

राष्ट्रीय परीक्षण शाला के स्टाफ की स्थिति का विवरण 31.12.2011 तक

मुख्यालय	रा.प्र.शा./पू.क्षे.			रा.प्र.शा./प.क्षे.			रा.प्र.शा./द.क्षे.			रा.प्र.शा./उ.क्षे.			रा.प्र.शा./पूर्वो.क्षे.			कुल	
पद	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	स्वी.सं.	वा.सं.	रिक्तियां
महा निदेशक	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
निदेशक		0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	3	1
उप. निदेशक (प्रशासन)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
सहा. निदेशक (प्रशासन ग्रेड.I	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
सहा. निदेशक (रा.भा)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
समूह क पद																	
रसायन			13	12	3	3	3	2	4	4	3	2	3	2	29	25	4
विद्युत			8	7	3	2	2	2	6	4	1	0	0	0	20	15	5
यांत्रिक			5	5	1	1	3	1	2	2	1	1	1	0	13	10	3
पी आर पी पी टी			3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	5	1
सिविल			3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	8	6	2
एन डी टी			6	2	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	12	5	7
कुल	**2**	**2**	**41**	**33**	**14**	**10**	**14**	**9**	**16**	**13**	**5**	**3**	**5**	**2**	**97**	**72**	**25**
समूह 'ख' राजपत्रित																	
अनुभाग अधिकारी (रसायन)			16	11	5	4	4	4	8	8	4	3	3	0	40	30	10
अनुभाग अधिकारी (विद्युत)			5	1	5	3	3	3	4	4	1	1	0	0	18	12	6
अनुभाग अधिकारी (यांत्रिक)			4	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	12	10	2
अनुभाग अधिकारी (पी आर पी पी टी)			2	1	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	7	4	3
अनुभाग अधिकारी (सिविल)			2	2	1	1	1	1	3	3	1	1	0*	0	8	8	0

मुख्यालय	रा.प्र.शा./ पू.क्षे.			रा.प्र.शा./प. क्षे.			रा.प्र.शा./द.क्षे.			रा.प्र.शा./उ.क्षे.			रा.प्र.शा./ पूर्वो.क्षे.			कुल	
अनुभाग अधिकारी (एन डी टी)			3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	0	8
कुल (अनुभाग अधिकारी)			**32**	**17**	**18**	**12**	**13**	**11**	**19**	**18**	**7**	**6**	**4**	**0**	**93**	**64**	**29**
सहा.निदेशक प्रशासन (ग्रेड.II)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0
महानिदेशक के निजी सचिव		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
लेखा अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
एस एंड पी ओ	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
कुल	**3**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**8**	**4**
समूह (ख) (एन जी ओ) वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	0	0	12	3	3	2	6	1	8	2	8	0	4	1	41	9	32
वैज्ञानिक सहायक (विद्युत)	0	0	5	0	2	0	3	2	6	1	1	0	0	0	17	3	14
वैज्ञानिक सहायक (यांत्रिक)	0	0	4	0	1	0	2	1	2	0	2	1	1	1	12	3	9
वैज्ञानिक सहायक (पी आर पी पी टी)	0	0	2	0	2	0	1	1	2	2	1	0	1	0	9	3	6
वैज्ञानिक सहायक (सिविल)	0	0	5	1	1	1	2	0	2	1	3	1	2	1	15	5	10
वैज्ञानिक सहायक (एन डी टी)	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	4
कुल		**0**	**30**	**4**	**10**	**4**	**15**	**5**	**21**	**6**	**15**	**2**	**8**	**3**	**99**	**24**	**75**
समूह (ग) (प्रशासन)	**0**	**0**	**79**	**73**	**19**	**14**	**21**	**18**	**12**	**10**	**2**	**0**	**4**	**3**	137	**118**	**19**
समूह (ग) (तकनीकी)		**0**	**61**	**55**	**20**	**14**	**8**	**8**	**5**	**4**	**2**	**2**	**3**	**3**	**99**	**86**	**13**
समूह (ग) (एस डब्ल्यू ए)	**0**	**0**	**83**	**55**	**22**	**17**	**16**	**12**	**21**	**15**	**4**	**2**	**3**	**2**	149	103	**46**
कुल	5	4	329	238	105	72	88	64	95	67	36	16	28	14	686	475	211

◆◆◆

खाओ स्वस्थ
रहो स्वस्थ
जागो ग्राहक जागो
मिर्च
हमेशा एगमार्क प्रमाणित उत्पादों को खरीदें!
क्योंकि...

अध्याय - XI

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य (पिछड़े वर्गों/ शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

11.1 विभिन्न ग्रेडों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया।

11.2 उपभोक्ता मामले विभाग तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी से संबंधित कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:–

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों/महिलाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

पद का समूह	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या							
			अनु. जा.	अनु. ज.जा.	अन्य. पिछड़े वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग			भूतपूर्व सैनिक	महिला
						दृष्टि बाधित	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
समूह क.	224	161	25	9	8	1	-	1	3	22
समूह ख. राजपत्रित	189	146	21	4	8	-	-	-	-	31
अराजपत्रित	197	95	18	6	9	-	-	4	-	27
समूह ग	636	508	129	36	45	2	6	8	11	62
कुल	**1246**	**910**	**193**	**55**	**70**	**3**	**6**	**13**	**14**	**142**

नोट– संकलन में उपभोक्ता मामले विभाग और इस विभाग के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल है:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता

वायदा बाजार आयोग, मुंबई

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली

विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं – (अहमदाबाद, बेंगलूरू, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी)

◆◆◆

16 अक्टूबर
विश्व खाद्य दिवस
जब अनाज के भंडारण की
बात आती है, तो हमारा लक्ष्य होता है
'न कोई बर्बादी, न कोई नुकसान'

अध्याय - XII

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

शिकायत समिति का गठन

12.1 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में 3 अगस्त, 1998 को एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिसका 21.11.2007 को विभाग में आर्थिक सलाहकार, डॉ. आनन्दी रविचन्द्रन की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया। इस शिकायत समिति को महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के समयबद्ध निवारण से संबंधित कार्य सौपा गया है। इसके अलावा, यह सैल महिला सैल के रूप में भी कार्य करता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यापक तौर पर कवर करता है:

(क) विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के वातावरण में सुधार करने की कार्रवाई करना तथा समन्वय स्थापित करना।

(ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करना।

(ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य कार्य।

12.2 इस सैल को अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विभाग की सभी महिला कर्मचारियों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनके सामने आ रही समस्याओं, यदि कोई हो, के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

◆◆◆

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
24 दिसम्बर 2009
जागो ग्राहक जागो
वित्तीय रूप से शिक्षित बनिए : अपने निवेश को सुरक्षित रखिए!
हॉट टिप्स अमुक शेयर 2 माह में 4 गुना
1 लाख के बनेंगे 20 लाख बस 10 सालों में
पाइए निश्चित 500% वापसी
आज निवेश कीजिये 5 सालों में 10 गुना पाईए
2 सालों में पैसा दुगुना कीजिए
5 मिनट में ऋण पाइए
सयानी रानी की सलाह...
• वित्तीय रूप से साक्षर बनें।
• आमदनी के अनुरूप व्यय/निवेश करें।
• भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह न हों।
• वित्तीय अनुबंध करने से पहले संबंधित नियमों व शर्तों की जांच कर लें।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें।
• वस्तुओं/सेवाओं में कमी के मामले में अपने अधिकारों के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें।
• हमेशा, वस्तु/सेवा की खरीद पर रसीद प्राप्त करें।
अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए www.ncdrc.in पर लॉग ऑन करें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सं. 1800–11–4000 (शुल्क मुक्त)
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) अथवा
011–27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू)
(पूर्वान्ह 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक – सोमवार से शनिवार)
सत्यमेव जयते
जनहित में जारी :
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in
davp 08101/13/0155/0910

अध्याय - XIII

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन

संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के अधीन इस विभाग में एक हिंदी प्रभाग है जो विभाग के सभी अनुवाद कार्यों को संपन्न करता है और विभाग में तथा इसके साथ–साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

13.1 वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई।

13.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में जांच बिन्दुओं की स्थापना की गई है। इन जांच बिन्दुओं के प्रभावी अनुपालन के लिए कारगर कदम उठाए गए।

13.3 विभाग के जिन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों (समूह घ को छोड़कर) को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके साथ ही विभाग और नियम 10(4) के तहत अधिसूचित ऐसे कार्यालयों द्वारा उक्त नियमों के नियम 8(4) के अंतर्गत सभी काम हिन्दी में करने के लिए आदेश भी जारी किए गए।

पुनरीक्षा

13.4 राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2011–12 के वार्षिक कार्यक्रम पर जारी किए गए आदेशों को विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखी गई है और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उन पर समीक्षात्मक/आलोचनात्मक चर्चा की गई।

13.5 वर्ष के दौरान विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों पर तथा क्षेत्रीय भाषाओं का अनुपूरक प्रयोग करने पर भी जोर दिया गया।

13.6 वर्ष के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई और उनमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

प्रोत्साहन योजनाएं

13.7 वर्ष के दौरान विभाग में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी तथा मसौदा लिखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गई।

13.8 विभाग के कर्मचारियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइपिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता रहा।

13.9 विभाग में 01.09.2011 से 15.09.2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए गए।

अन्य गतिविधियां

13.10 विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कदम उठाए गए।

13.11 हिंदी भाषा, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए नामित किया गया।

13.12 हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए विभाग में समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

13.13 विभाग ने पुस्तकालय निधि का 50% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, विभाग के पुस्तकालय के लिए हिन्दीं समाचार – पत्र, पत्रिकाएं तथा जरनल नियमित रूप से खरीदे गए।

13.14 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में ही नहीं, वरन् इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी निरंतर प्रयत्न किए गए। इस बारे में हुई प्रगति पर निगरानी रखने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किए गए।

◆◆◆

अध्याय – XIV

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मूल्य निगरानी

14.1 पूर्वोत्तर राज्यों से 22 आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दैनिक और साप्ताहिक मूल्य रिपोर्टों के आधार पर मूल्य निगरानी की जाती रही।

बाट तथा माप

14.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी, 1 मई, 2009 से नई परिसर में कार्यरत है और सात राज्यों के सैकेण्डरी मानको के सत्यापन और औद्योगिक उपकरणों के अंशाकन के लिए सेवाएं उपलब्ध करती है। नागालैंड और मेघालय में कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं और सैकेण्डरी मानक प्रयोगशालाओं आदि के निर्माण के लिए 1.32 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो

14.3 भारतीय मानक ब्यूरो का गुवाहाटी में एक शाखा कार्यालय है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों की गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन और प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करता है। इस क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के 7 राज्य शामिल हैं। गुवाहाटी शाखा कार्यालय मानकीकरण, उत्पादों के प्रमाण ान और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में सूचना प्रदान कर रहा है। यह राज्य सरकारों को प्रमाणित वस्तुओं पर सूचना भी प्रदान करता है। उद्योगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्यालय भवन के लिए लगभग 9900 वर्ग फीट और प्रयोगशाला भवन के लिए 900 वर्ग फीट के स्थान की खरीदारी पहले से ही असम राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड से कर ली है। नए कार्यालय और प्रयोगशाला के मार्च 2012 से प्रारम्भ होने की संभावना है।

14.4 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार लाइसेंसों की संख्या 418 (उत्पाद पर 325 लाइसेंस और हॉलमार्किंग पर 93 लाइसेंस) हैं। 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ हो कर नौ माह की अवधि के दौरान उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

14.5 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 7 पूर्वात्तर राज्यों में 325 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रचालन में है, उत्पाद लाइसेंसों का राज्य–वार वितरण निम्नानुसार है।

असम	–	–	–	207
त्रिपुरा	–	–	–	23
मणिपुर	–	–	–	8
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	10
मिजोरम	–	–	–	3
मेघालय	–	–	–	58
नागालैंड	–	–	–	16
कुल			–	**325**

(i) गुवाहाटी शाखा कार्यालय की एक संबद्ध प्रयोगशाला है जहां गैल्वनाइज्ड स्टील शीटों (स्पाट और कोरोगेटेड), सामान्य

इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए एम एस वायर रोड और उच्च शक्ति डिफार्मड स्टील बार्स, स्ट्रचरल स्टील, कोरोगेटेड और सेमी कोरोगेटेड एस्बेट्स सीमेंट शीट और ए सी फीटिंग जैसे उत्पाद का भौतिक परीक्षण किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइनः

14.6 राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन पहले से ही 6 पूर्वोत्तर राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, नागालैंड और मणिपुर में कार्य कर रही है।

गैर योजना स्कीम के तहत उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ता संचलन को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता।

14.7 इस विभाग ने संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपभोक्ता संचलन को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(1) कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसायटी को त्रिपुरा राज्य में आम आदमी के सरोकारों पर ध्यान देने के लिए उनकी परियोजना नए युग में भारतीय उपभोक्ता के लिए।

(2) नागालैंड के लांगलेन जिला में जागरूकता कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपए की राशि, नागालैंड के अयोलटा मानव संसाधन सोसाइटी को मंजूर किया गया।

(3) कोहिमा में उपभोक्ता जागरूकता अभियान के आयोजन के लिए वी. किक्कि वेलफेयर सोसाइटी, एसोसिएशन को सोसाइटी के विकास के लिए 10 लाख रु. और 5 लाख रु. मंजूर किया गया।

(4) नागालैंड के वोखा जिला के पिछड़े क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता का आयोजन करने के लिए वोखा जिले के गैर सरकारी संगठन सनराईज मिशन होम को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान

14.8 विभाग ने पूर्वोत्तार राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों की सेवाओं का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि संदेश स्थानीय भाषा में पहुंचा सके। आडियो और विडियो स्पॉटस को पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं जैसे असमिया, खासी, गारो, मिजो, मणिपुरी और नागा में बनाया जा चुका है। पूर्वोत्तर में अभियान चलाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकाशवाणी, निजी एफ एम चैनलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्करण वाले समाचार पत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विशेष अभियान चलाया गया। वास्तविक जीवन के निर्णयों के आधार पर सीरियलों का निर्माण किया गया है और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

14.9 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की एक उपग्रह शाखा की स्थापना 1996 में सी आई टी आई काम्पलैक्स, कालापहाड़, गुवाहाटी–781016 में की गई थी जिसे असम सरकार से किराए पर लिया गया और जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसके कार्यालय

और प्रयोगशाला परिसर के लिए 7 सेट जिनका क्षेत्रफल लगभग 12600 वर्ग फिट है तथा एक हॉस्टल ब्लाक असम सरकार के वाणिज्य निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी की स्थापना खपत योग्य इंजीनियरी उत्पादों के गुणता आश्वासन के जरिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को देखते हुए की गई थी।

1. **इस समय राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैः–**

(i) विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी सामग्री तथा सिविल, रासायनिक, वस्त्र, मैकेनिकल आदि का परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन।

(ii) सीमेंट, जल, पेंट, सामान्य रसायन, स्टील आदि के लिए परीक्षण विधियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iii) प्रयोगशाला स्थापना, पैकेज में रखे पेयजल, मृदा सामग्रियों आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(iv) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा शुरु किए गए परियोजना कार्य में राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की मौजूदा सुविधाओं पर निर्भर करते हुए भाग लेना।

2. उपभोक्ताओं को समग्र सेवा प्रदान करना, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी के पास 'कृषि आधारित' और 'खनिज आधारित' दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में क्षेत्र के बढ़ते हुए औद्योगीकरण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश है। अतः इस क्षेत्र के लिए भावी योजना इस प्रकार हैः–

(i) आर्गनिक और इनआर्गनिक उत्पादों, अवशिष्ट कीटनाशकों, गैस विश्लेषण आदि के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा रसायन प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(ii) मिश्रित डिजाइन, सैनीटेरी वेयर, अपवर्तकों तथा सिविल इंजीनियरी उत्पादों के गैर विध्वंसक परीक्षणें के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा सिविल प्रयोगशालाओं का विस्तार करना।

(iii) यांत्रिक इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे टी एम टी बार, बिलेटस, स्टील प्लेटस आदि के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाएं सृजित करके यांत्रिक प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(iv) रबड़, प्लस्टिक, पेपर और वस्त्र इंजीनियरी प्रयोगशालाएं खोलना।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी का प्रकार्य और वर्तमान परिदृश्य

14.10 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी की सभी प्रयोगशालाएं कार्यालय–सह–प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी तौर पर नवनिर्मित आवासीय क्वार्टरों में अपना कार्य कर रही है। इस समय उपलब्ध अर्द्धस्थायी शेड राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी में आधुनिक परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं है। मौजूदा प्रयोगशाला माहौल में आधुनिक परीक्षण उपकरणों का रख–रखाव कठिन होता जा रहा है। आगे विस्तार करना दूर की बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार–ढ़ाचे के विकास को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुपालन में

राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने मौजूदा अर्द्धस्थायी शेडों को चरणबद्ध रूप से हटाकर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी के लिए एक स्थायी भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक बार स्थायी प्रयोगशाला भवन शुरू हो जाने से ग्यारहवीं योजना स्कीम के तहत औद्योगिक उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन को अधिक अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सकता है।

14.11 प्रस्ताव को राष्ट्रीय परीक्षण शाला की ग्यारहवीं योजना स्कीम में शामिल कर लिया गया है जिसको व्यय वित्त समिति ने विधिवत अनुमोदित कर दिया है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी के लिए वर्ष 2008–09 और 2009–10, 2010–11, 2011–12 के दौरान क्रमशः 140.00 लाख और 200.00 लाख रुपए, 222.00 लाख और 400.00 लाख रुपए आबंटित किए हैं जिसमें से भवन के निर्माण कार्य के लिए आबंटित राशि क्रमशः 94.00 लाख रुपए, 100.00 लाख रुपए, 152.00 लाख रुपए और 400.00 लाख रुपए थे। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी के लिए किए जा रहे आवासीय क्वाटरों का निर्माण कार्य राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर) गुवाहाटी स्थित प्रयोग शाला–सह–कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 1206.00 लाख रुपये के लागत अनुमान के प्रति अब तक 543.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। नए भवन का निर्माण वर्ष 2013–14 तक पूरा होने की संभावना है।

14.12 **राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर)**, गुवाहाटी ने पिछले 2 वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन के संबंध में लगभग 100 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है जो सुविधाओं के ईष्टतम उपयोग को दर्शाता है। इस क्षेत्र की अपेक्षा है कि देश के भीतर और आस–पास उभर रहे उद्योगों और जीवन के सभी क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को उनके अधिकांश उत्पादों की गुणवत्ता के मूल्यांकन का भरपूर लाभ एक ही छत के नीचे मिल सके।

◆◆◆

अध्याय - XV

समेकित वित्त प्रभाग

प्रस्तावना

15.1 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का समेकित वित्त प्रभाग अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के अधीन है।

कार्य

15.2 समेकित वित्त प्रभाग के कार्य इस प्रकार हैं –

(i) यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से पालन किया जाए और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाए;

(ii) बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व उनकी पूरी तरह से जांच करना;

(iii) यह देखना कि पूर्ण विभागीय लेखों का रख–रखाव सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय केवल अनुदानों के प्रति व्यय तथा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विनियोजन के लेखों का ही अनुरक्षण नहीं करता अपितु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकड़े भी प्राप्त करता है ताकि मंत्रालय के पास अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समूचे व्यय की माह दर माह सही स्थिति उपलब्ध हो सके;

(iv) आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुदानों में से किए गए खर्च की प्रगति पर नजर रखना और उसकी समीक्षा करना तथा जहां व्यय की प्रगति उचित नहीं है वहां नियंत्रण प्राधिकारियों को समय रहते चेतावनी देना;

(v) देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करना जैसाकि सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षित है ताकि बजट अनुमानों की वास्तविक तैयारी करने, बुक ऋणों पर नजर रखने और प्रत्याशित बचतों को समय पर प्रत्यर्पित करने में सुविधा हो सके;

(vi) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों की जांच करना;

(vii) प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त शक्तियों के अलावा सभी शक्तियां शामिल हैं। आंतरिक वित्तीय प्रभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति से स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि उसको आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श के बाद जारी किया गया है;

(viii) विभाग के आउटकम बजट में शमिल होना और तैयारी का समन्वय करना;

(ix) अपेक्षित दृढ़ता के साथ योजनाओं/

परियोजनाओं का उच्चश गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यांकन सुनिश्चित करना;

(x) मातहत प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनर्प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना;

(xi) स्कीमों के प्रतिपादन तथा महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण से ही अपने आपको निकट से जोड़े रखना;

(xii) परियोजनाओं और अन्य अनवरत स्कीमों के मामले में प्रगति/ कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से अपने आपको जोड़े रखना और यह देखना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों परिणामों को बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए;

(xiii) लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटान पर नजर रखना;

(xix) विभाग के अधिकारियों तथा भारतीय मानक ब्यूरो जो उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, के अधिकारियों के विदेशों में प्रतिनियुयक्ति प्रस्तावों की भी जांच करना;

(xv) भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न समितियों अर्थात वित्त समिति और कार्यकारी समिति में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करना;

(xvi) लेखा परीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन लेखाओं, पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(xvii) वित्त मंत्रालय की स्वीकृति अथवा सलाह के लिए भेजे जाने वाले सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना;

(xviii) वित्त मंत्रालय को तिमाही स्टाफ विवरण तथा अन्य रिपोर्टों और विवरणियों का नियमित रूप से और समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

लेखा परीक्षा आपत्तियों का सारांश

15.3 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बकाया लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई पर नोट

उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई

(31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं संख्या	पैरा/पी ए रिपोर्ट सं. जिन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट लेखा–परीक्षा द्वारा विधीक्षा के बाद लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई	पैरा/पी ए रिपोर्टों के ब्यौरे जिन पर की गई कार्रवाई लंबित है।		
			उन कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जिनको मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जो भेजी गई किन्तु टिप्पणियों के साथ वापिस कर दी गई और लेखा परीक्षा उनको मंत्रालय द्वारा दोबारा भेजे जाने की प्रतीक्षा में है।	उन कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा अं. तिम रूप से विधीक्षा कर दी गई है किन्तु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को नहीं भेजी गई।
1	2007 का सी.ए.13	1*	0	0	0
2	2007–08 का सी.ए.13	2	0	0	0
3.	2008–09 का 1	1	0	0	0
4	2009–10 का 23	3	0	0	0
5	2010–11 का 38	1	2**	0	0

15.4 विभागीकृत भुगतान और लेखा संगठन

1. संगठनात्मक ढांचाः

विभागीकृत लेखा प्रणाली के तहत उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं जो अपने कार्य का निर्वहन उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से उनकी सहायता से करते हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग के विभागीकृत भुगतान और लेखा संगठन में नई दिल्ली में एक प्रधान लेखा कार्यालय के अलावा चार भुगतान और लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अवस्थित हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक उपभोक्ता मामले विभाग के साथ–साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जिसके भी नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चार भुगतान और लेखा कार्यालय हैं, के संबंध में भुगतान और लेखा संगठन का अध्यक्ष है।

2. कार्य एवं जिम्मेदारियां

मुख्य लेखा नियंत्रक के तहत भुगतान और लेखा संगठन निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार हैः–

(i) भुगतान और लेखा कार्यालयों तथा सरकारी सेवकों तथा अन्यों को वेतन और भत्तों , भविष्य निधि दावों, कार्यालय आकस्मिक खर्चों, विविध भुगतानों, ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ सहायता अनुदान के चैक आहरण और संवितरण अधिकारियों के जरिए भुगतान की व्यवस्था कराना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 4 भुगतान और लेखा अधिकारी, 1 चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा 21 गैर–चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। गैर–चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावों/बिलों को प्रत्यायित भुगतान और लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं जो बिलों की जांच के बाद चैक जारी करते हैं। चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी संगत नियंत्रणें का अनुपालन करने के बाद वेतन और आकस्मिक दावों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं। चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक शाखाओं को भुगतान और लेख अधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में जारी किए गए लैटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर प्रत्यायित बैंक शाखाओं को चैक जारी करते हैं।

(ii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश जारी करना और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करना।

(iii) उपयोग प्रमाण–पत्रों का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग।

(iv) राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को ऋणों और सहायता अनुदानों का रिकार्ड रखना।

(v) एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 के तहत घोषणा और रिपोर्टिंग अपेक्षा।

(vi) मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों को तकनीकी सलाह।

(vii) आशोधित रोकड़ प्रबंधन प्रणाली के तहत व्यय की समीक्षा।

(viii) आंतरिक लेखा परीक्षा यूनिट मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के

कार्यालयों तथा अन्य लेखा परीक्षा योग्य यूनिटों के निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान आंतरिक लेखा विंग ने खाद्य तेल और उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना स्कीमों का जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के लिए अध्ययन किया।

15.4 इस मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मासिक लेखा, व्यय विवरण, योजना व्यय पुनरावलोकन और वार्षिक लेखा जैसी आवधिक रिपोर्टें बनाता है। मासिक लेखे, प्राप्तियां और भुगतानों का एक समग्र शीर्षवार चित्र प्रदान करते हैं। प्रधान लेखा कार्यालय कान्टैक्ट नामक अन्य साफ्टवेयर के जरिए विभिन्न प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा उसको प्रस्तुत किए गए मासिक लेखों को संकलित करता है। मंत्रालय के संकलित लेखा को भारत संघ के लेखों में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक को भेजा जाता है। कान्टैक्ट का प्रयोग करते हुए अनेक रिपोर्टें तैयार की जाती है।

15.5 भुगतान और लेखा कार्यालयों में भुगतान और लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा कार्य काम्पैक्ट साफ्टवेयर पर ई–लेखा द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण और विकास उपलब्धता, वहनीयता, सुरक्षा और अनुरक्षणीयता जैसी सभी साफ्टवेयर प्रणाली विशेषताओं को पूरा करने के प्रयास के साथ किया गया है। इस साफ्टवेयर की विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) यह लेखा के निम्नतम स्तर पर है और लेखा प्रणाली के उच्चतर स्तरों को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करता है!

(ii) यह सभी लेखा और भुगतान कार्यों अर्थात प्री चैक, बजट, संकलन, सामान्य भविष्य निधि और पेंशन को कवर करता है।

(iii) इसका उद्देश्य प्रधान लेखा कार्यालय में कान्टैक्ट साफ्टवेयर डाटाबेस में शमिल करने के लिए इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मासिक संकलित लेखा डाटा तैयार करना है।

(iv) यह व्यय नियंत्रण रजिस्टर, प्राप्तियों बनाम व्यय तुलना, तिथिवार मासिक विवरण आदि जैसे व्यय विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रबंधकीय रिपोर्टें प्रदान करता है।

(v) यह प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले चैकों की तैयारी/मुद्रण में मदद करता है।

15.6 ई–लेखा जी 2 जी ई–प्रशासन कार्रवाई। काम्पैक्ट साफ्टवेयर के कार्यक्षेत्र को अब दैनिक क्लोजिंग एकाउटिंग और प्रशासनिक डाटा सबसैट तैयार करने के लिए लागू किया गया है जिसको प्रत्येक भुगतान और लेखा कार्य से प्रतिदिन के अंत में सेंट्रल डाटा बेस सर्वर पर भेजा जा सकता है। जब भी डाटा बेस सर्वर पर 300 भुगतान और लेखा कार्यालयों में से प्रत्येक से डाटा प्राप्त होंगे, यह वेब आधारित अनुप्रयोग तथ्य आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑन लाइन वित्तीय सूचना प्रणाली को सुकर बनाएगा।

15.7 आंतरिक लेखा परीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र नियंत्रणाधीन 3 लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा की जाती है जिनमें से दो कोलकाता में और एक नई दिल्ली मुख्यालय में है।

15.8 आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए अनेक पैराओं के परिणाम स्वरूप 7,03,583 रु. का अधिक भुगतान विभिन्न लेखा परीक्षितियों/

प्राधिकारियों/संस्थाओं से वसूल हुई। आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा डी डी ओ को नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ के साथ को नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ के साथ रिकॉडों और खानों के उचित रख–रखाव के लिए सुझाव भी दिए जाए।

15.9 उपलब्धियां (31 दिसम्बर, 2011 तक):

1. वित्तीय वर्ष 2010–12 के दौरान 21 यूनिटें लेखा परीक्षा की परिधि में आए। इनमें से दिसम्बर, 2011 तक 15 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई।
2. गैर–सरकारी संगठन को लेखा–परिक्षाएं भी आंतरिक लेख–परीक्षा विंग द्वारा की जा रही है।
3. वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए लेख एक नजर में, मासिक व्यय राज्य। सरकार को सलाह के संबंध में मंजूरियां आदि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. 55 कर्मचारियों ने आई एन जी ए एफ और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। एन आई एफ एम, फरीदाबाद से दो अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2000–2001 से 2011–2012 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विभाग	मांग संख्या	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक अनुमान		
			योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
2000-2001	उपभोक्ता मामले विभाग	40	10.00	12.06	22.06	9.50	42.71	52.21	9.86	44.23	54.09
2001-2002	उपभोक्ता मामले विभाग	36	8.50	37.55	46.05	10.77	63.24	74.01	9.24	60.90	70.14
2002-2003	उपभोक्ता मामले विभाग	39	10.15	52.48	62.63	7.50	75.33	82.83	7.13	88.85	95.98
2003-2004	उपभोक्ता मामले विभाग	18	9.67	24.76	34.43	9.67	32.98	42.65	8.24	34.85	43.09
2004-2005	उपभोक्ता मामले विभाग	18	18.25	32.55	50.80	18.25	64.81	83.06	36.11	43.26	79.37
2005-2006	उपभोक्ता मामले विभाग	17	107.94	56.90	164.84	90.00	59.89	149.89	86.09	34.04	120.13
2006-2007	उपभोक्ता मामले विभाग	17	163.00	68.00	231.00	150.00	52.66	202.66	133.96	35.43	169.39

वर्ष	विभाग	मांग संख्या	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक अनुमान		
			योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
2009- 2010	उपभोक्ता मामले विभाग	16	209.00	271.90	480.90	164.00	264.86	428.86	146.23	231.52	377.75
2010-2011	उपभोक्ता मामले विभाग	16	220.00	269.00	489.00	198.00	521.72	719.72	187.92	513.96	701.88
2011-2012	उपभोक्ता मामले विभाग	16	225.00	375.36	600.36	185.00	337.61	522.61	146.09*	242.13*	388.22 *

सभी आंकड़े समेकित हैं।.

*31 दिसम्बर, 2001 तक खर्च जैसा कि प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है और इसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में 58.76 करोड़ रुपये की प्राधिकृत राशि शामिल है।

◆◆◆

अध्याय - XVI

अपंग व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीमें

विभिन्न समूहों में अपंग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय/विभाग का नामः उपभोक्ता मामले विभाग
कार्यालय/संगठनः

पद समूह	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारियों की संख्या	कॉलम 3 में से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या		
			दृष्टि बाधित	बधिर	अस्थि विकलांग
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
समूह क	224	161	1	-	1
समूह ख	386	241	-	-	4
समूह ग	636	508	2	6	8
योग	**1246**	**910**	**3**	**6**	**13**

◆◆◆

मोबाइल बैंकिंग
जानने योग्य कुछ जरूरी बातें

* अब आप अपने मोबाइल फोन से हर रोज 5000/- रु. तक नकदी हस्तांतरण और 10,000/- रु. तक वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य अदा कर सकते हैं।
* ऐसे सभी बैंकों को अपनी शाखाओं/व्यापारिक सह-संबंधियों के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है, जो भारत में नियंत्रित और लाइसेंस प्राप्त हैं, जो भौतिक रूप में भारत में विद्यमान हैं और जिन्होंने कोर बैंकिंग पद्धतियां लागू की हैं।
* बैंकों के ग्राहक और/अथवा डेबिट/क्रेडिट कार्ड धारक इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
* वर्तमान में, मोबाइल फोन सेवाएं घरेलू लेन-देन के लिए प्रदान की जा रही हैं।
* मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं का निबटारा बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत किया जाता है।
* बैंकों का यह दायित्व है कि वे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल संबंधी जोखिमों, उत्तरदायित्वों और देयताओं से आपको अवगत कराएं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई-400 001, www.rbi.org.in

आप **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. (1800-11-4000 निःशुल्क)** (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
011-27662955, 56, 57, 58 (राष्ट्रीय कॉल दरें लागू) पर भी कॉल (सोमवार से शनिवार – 9.30 बजे पूर्वाह्न से 5.30 बजे अपराह्न) कर सकते हैं।

davp 08101/13/0015/0910